सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.

(A Joint Venture of Govt of India & Govt of Himachal Pradesh)

Corporate Headquarter : Himfed Building, New Shimla - 171009
Expediting Office : Ircon Building, C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017
Phone 011-41659207, 41659205 Fax 011- 41659204
Visitn us at ***www.sjvn.nic.in***

Save Energy for Benefit of Self & Nation

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2007-08

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.

Rising for the National Cause

As a responsible Corporate Citizen, SJVN have contributed a sum of Rs.2.5 crore, to the Prime Minister's National Relief Fund in the wake of devastating flood in river Kosi which has inundated thousands of people in the state of Bihar. A cheque of the amount was handed over to the Hon'ble Union Minister of Power Shri Sushilkumar Shinde and the Minister of State for Power Shri Jairam Ramesh, by the Comapny's Chairman & Managing Director, Shri H. K. Sharma. The contibutions so receieved from the Power Sector PSU's were further presented to the Hon'ble Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh on 3rd Sept.,2008.

Looking beyond the Horizon

Upcoming 412 MW Rampur Hydro electric Project on river Satluj

विषय-सूची ✧ CONTENTS

अध्यक्षीय संबोधन **Chairman's Statement**	**9**
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट **Directors' Report**	**13**
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट **Auditors' Report**	**29**
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ **Comments of the C & AG**	**35**
वार्षिक लेखा 2007–08 **Annual Accounts 2007-08**	**38**

कंपनी सचिव	:	पी.एस.आर. मूर्ति	Company Secretary	:	P.S.R. Murthy
लेखा परीक्षक	:	आर. बंसल एण्ड कं॰ सनदी लेखाकार, चण्डीगढ़	Auditors	:	R. Bansal & Co. Chartered Accountants, Chandigarh.
बैंकर्स	:	– आई.डी.बी.आई. बैंक – ऐक्सिस बैंक – पंजाब नैशनल बैंक – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	Bankers	:	- IDBI Bank - AXIS Bank - Punjab National Bank - State Bank of India
पंजीकृत कार्यालय	:	हिमफेड बिल्डिंग, न्यू शिमला – 171009	Registered Office	:	Himfed Building, New Shimla - 171009

दूर-दृष्टि

निगम की व्यवहार्यता निरंतर बनाए रखने के लिए स्वस्थ वाणिज्यिक सिद्धांतों की आधार-शिला पर मानवीय कुशलता एवं मनोभावों के साथ विकास की संभावनाओं को पुनर्गठित कर भविष्य की जलविद्युत ऊर्जा के अपार संसाधनों के रूप में भारत को विश्व पटल पर प्रस्तुत करना।

मिशन

हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी घाटी में एवं किसी भी अन्य स्थान पर जलविद्युत परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, संगठन, निष्पादन, प्रचालन तथा अनुरक्षण करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को पूरा करने की दृष्टि से कंपनी ने अपने लिए निम्नलिखित कारपोरेट उद्देश्य निश्चित किए हैं:

- अधिकतम निष्पादन दक्षता के साथ विद्युत केन्द्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- युक्तियुक्त व्यावसायिक, वित्तीय एवं नियामक नीतियों की स्थापना एवं अनुपालन।
- अन्य जल विद्युत परियोजनाओं को हाथ में लेना।
- सतलुज जल विद्युत निगम को आबंटित नई परियोजनाओं को कम से कम लागत सहित प्रभावी ढंग से पूरा करना।
- सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परियोजना प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग करके परियोजना निष्पादन के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहारों को क्रियान्वित करना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण दिलाकर इंजीनियरों को परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणीकृत परियोजना प्रबंधक बनने में सक्षम करना।
- आंतरिक रूप से उपलब्ध तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता का अन्य उपयोगिताओं/परियोजनाओं में प्रसार।
- सहभागिता प्रबंधन दर्शन की शुरूआत करते हुए कार्य संस्कृति एवं कार्य वातावरण तैयार करना, जो कि संगठन एवं कर्मचारियों दोनों की संवृद्धि एवं विकास में सहायक होगा।
- समाज के प्रति सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। पणधारियों, समकक्षों तथा अन्य संबंधित संगठनों का सृजनात्मक सहयोग हासिल करना तथा व्यक्तिगत संबंध बनाना।
- पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक विक्षोभ को न्यूनतम रखते हुए परियोजना के स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना।
- नव रत्न स्टेट्स प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।

VISION

TO MAKE INDIA A FOUNTAINHEAD OF HYDRO POWER AND THE ENERGY SOURCE OF THE FUTURE BY REORGANISING DEVELOPMENT WITH PASSION AND PROFESSIONALISM FOR SUSTAINABLE VIABILITY OF THE CORPORATION ON BEDROCK OF SOUND COMMERCIAL PRINCIPLES.

MISSION

TO PLAN, INVESTIGATE, ORGANISE, EXECUTE, OPERATE AND MAINTAIN HYDROPOWER PROJECTS IN THE SATLUJ RIVER BASIN IN HIMACHAL PRADESH AND AT ANY OTHER PLACE.

OBJECTIVES

In the pursuit of above mission, the company had set for itself the following corporate objectives :

- **Operating and maintaining power stations with maximum performance efficiency.**
- **Establishing and following sound business, financial and regulatory policies.**
- **Taking up of other Hydro Power projects.**
- **Completion of the new projects allocated to SJVN in an efficient and cost effective manner.**
- **Use of the best project management practices for the project implementation by applying latest universally accepted Project Management Techniques, and by enabling its Engineers, to become certified Project Managers through further trainings.**
- **Dissemination of available in-house technical and managerial expertise to other utilities/projects.**
- **Creating work culture and work environment conducive to the growth and development of both the organization and the individuals through introduction of participative management philosophy.**
- **Fulfilling social commitments to the society. Achieving constructive cooperation and building personal relations with stakeholders, peers, and other related organizations.**
- **Striving clean and green project environment with minimal ecological and social disturbances.**
- **To strive for acquiring Nav Ratna Status.**

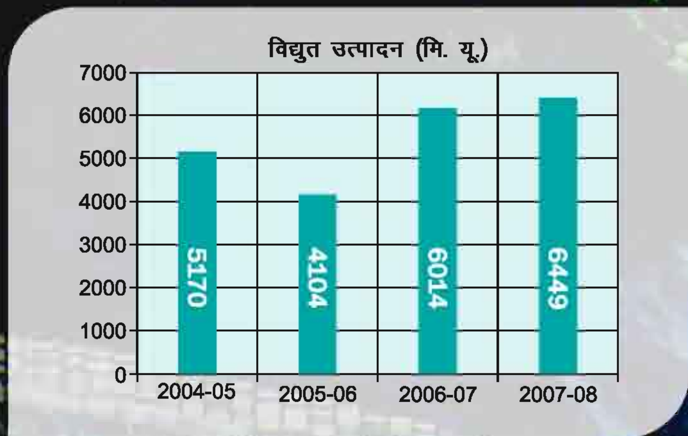
विद्युत उत्पादन (मि. यू.)
5170
4104
6014
6449
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

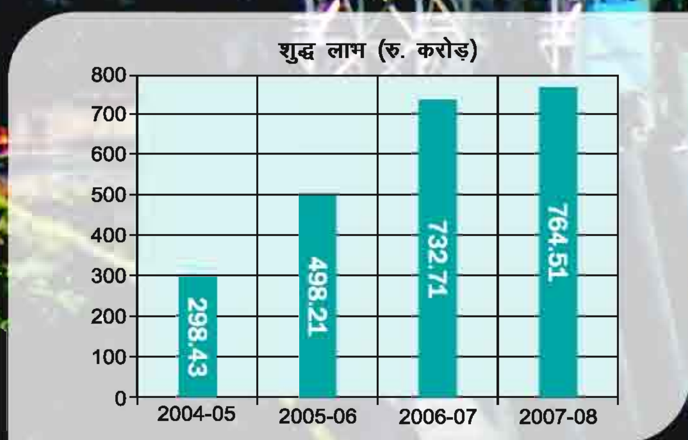
शुद्ध लाभ (रु. करोड़)
298.43
498.21
732.71
764.51
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

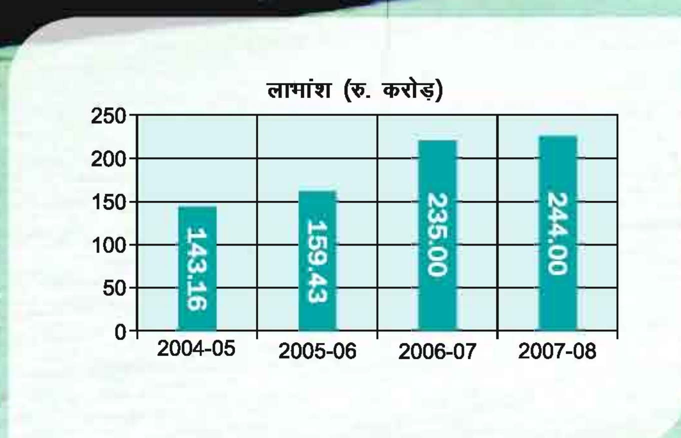
लाभांश (रु. करोड़)
143.16
159.43
235.00
244.00
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

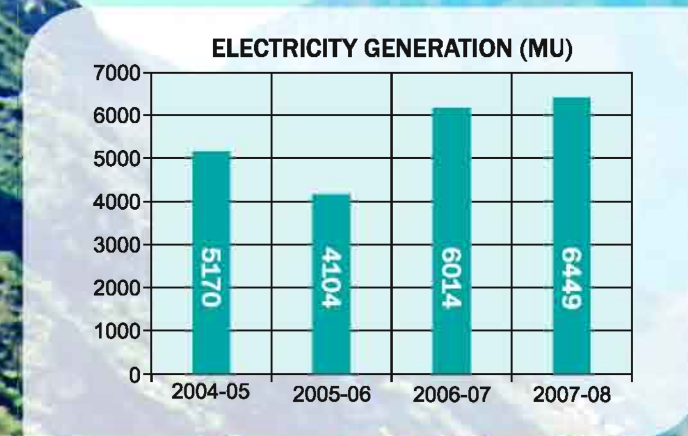
ELECTRICITY GENERATION (MU)
5170
4104
6014
6449
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

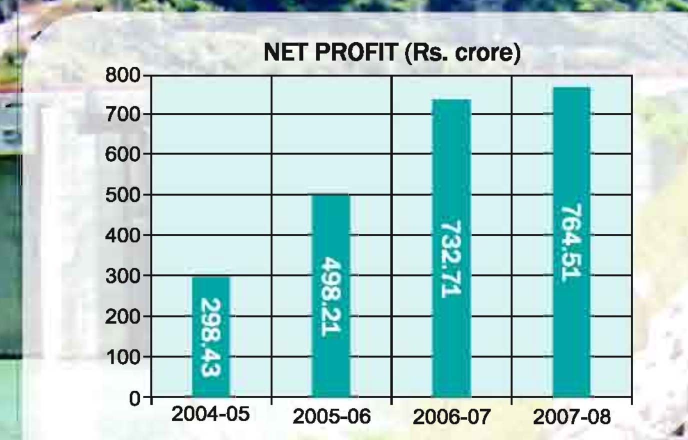
NET PROFIT (Rs. crore)
298.43
498.21
732.71
764.51
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

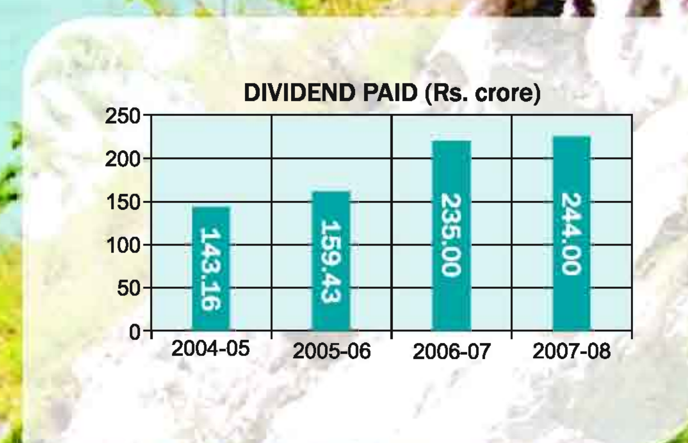
DIVIDEND PAID (Rs. crore)
143.16
159.43
235.00
244.00
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एच. के. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri H. K. SHARMA
Chairman & Managing Director

श्री जे. के. शर्मा
निदेशक (सिविल)
Shri J. K. SHARMA
Director (Civil)

श्री आर. एस. कटोच
निदेशक (कार्मिक)
Shri R. S. Katoch
Director (Personnel)

श्री कृष्ण कुमार गर्ग
निदेशक (वित्त)
Shri K. K. Garg
Director (Finance)

श्री आर. पी. सिंह
निदेशक (विद्युत)
Shri R. P. Singh
Director (Electrical)

श्री गुरदयाल सिंह
सदस्य (एचई), सीईए
Shri Gurdial Singh
Member (HE), CEA

श्री राजेश वर्मा
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
Shri Rajesh Verma
Joint Secretary & Finance Advisor, Ministry of Power

श्री जे. एस. कावले
संयुक्त सचिव (जल विद्युत), विद्युत मंत्रालय
Shri J. S. Kawale
Joint Secretary (Hydro) Ministry of Power

श्री अरविन्द मेहता
प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार
Shri Arvind Mehta
Principal Secretary (Finance) Govt. of Himachal Pradesh

श्री अजय मित्तल
प्रधान सचिव (ऊर्जा), हिमाचल प्रदेश सरकार
Shri Ajay Mittal
Principal Secretary (Power) Govt. of Himachal Pradesh

श्री एस. एम. लोढ़ा
स्वतंत्र निदेशक
Shri S. M. Lodha
Independent Director

श्री के. एस. गिल
स्वतंत्र निदेशक
Shri K.S. Gill
Independent Director

श्री के. एस. शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
Shri K.S. Sharma
Independent Director

Going Beyond Boundaries...
... looking beyond the Horizon

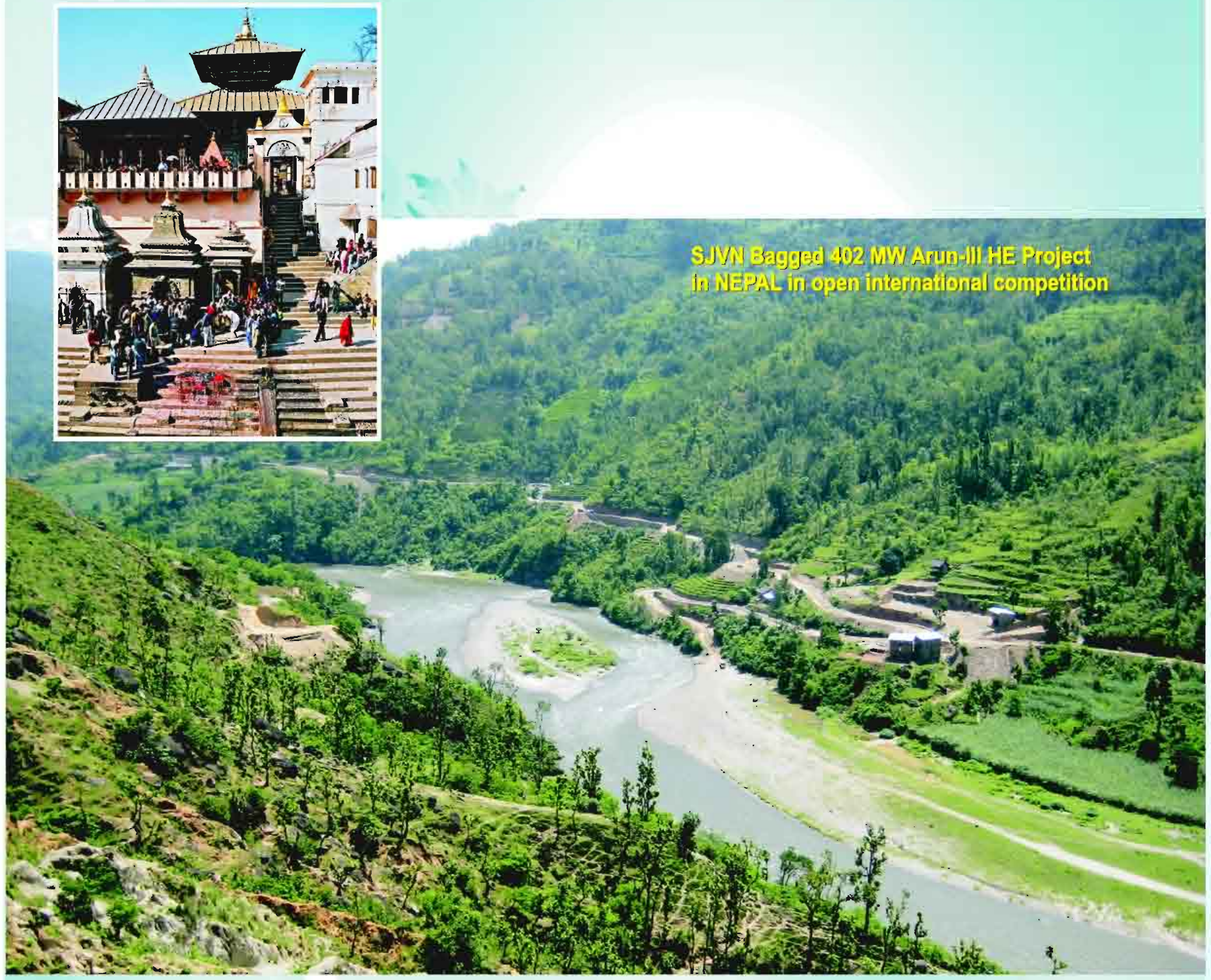

A view of Arun river in Nepal
Inset : Pashupati Nath Temple

Chairman's Statement
अध्यक्षीय संबोधन

मान्यवर,

आज, 30 अगस्त,2008 को संपन्न होने जा रही 20वीं आम वार्षिक बैठक में मैं आप सभी को सहर्ष आमंत्रित करता हूँ। वर्ष 2007-08 के परीक्षित वार्षिक लेखे सहित लेखा परीक्षकों एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट आपके पास पहले से ही उपलब्ध है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मान लेता हूँ।

सर्वप्रथम, मैं "नई जलविद्युत नीति 2008" संबंधी पहल के लिए विद्युत मंत्रालय को बधाई देता हूँ और इस नीति का स्वागत करता हूँ। बिजली की बढ़ रही माँग और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभाव के प्रति बढ़ती चिंताओं के इस दौर में जलविद्युत ऊर्जा एक सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प है और मुझे यकीन है कि इस पहल से आने वाले समय में जल विद्युत क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।

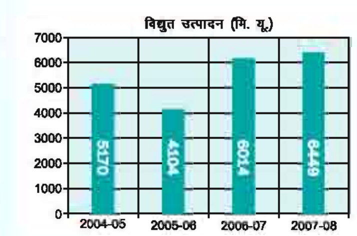

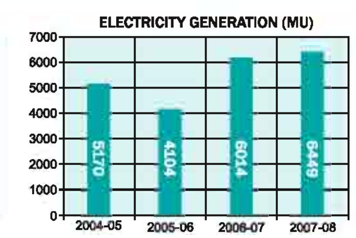

विशिष्ट घटनाक्रम

यद्यपि कंपनी के कार्य-निष्पादन संबंधी विस्तृत जानकारी निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में दी गई है, तथापि मैं कुछ उपलब्धियों का जिक्र आपके समक्ष करना चाहूँगा। हमारी कंपनी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच नेपाल सरकार से अरूण-III परियोजना (402 मेगावाट) बूट आधार पर हासिल कर मार्च, 2008 में नेपाल सरकार के साथ निष्पादन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी धौलासिद्ध परियोजना (40 मेगावाट) हमें सौंपकर इसके अन्वेषण, तदोपरांत निर्माण के लिए जून, 2008 में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार ने हमारी कंपनी को कार्य-निष्पादन के आधार पर मई, 2008 में मिनी रत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने के साथ-साथ शेड्यूल "ए" श्रेणी की कंपनी के रूप में अपग्रेड किया है। सितम्बर,2005 में विद्युत संयंत्र को हुई क्षति और

Dear Members,

I cordially invite you to the 20th Annual General Meeting scheduled today, the August 30th, 2008. The Annual Audited Accounts along with the Report of the Auditors and Directors for the year 2007-08 are already with you and with your permission, I would take them as read.

At the very outset, I congratulate the Ministry of Power for initiatives in bringing "New Hydro Policy 2008" and welcome the policy. In the times of growing demand for power and concern for the Green House Gas emissions by coal based power plants, the best available option is hydro potential and this initiative, I am sure, shall boost the hydro power development in the times to come.

Highlights of the Year

While the Directors' Report has extensively dealt with the performance of the Company, a few achievements, I prefer to share with you. Your Company amidst tough competition, bagged Arun-III Project (402 MW) from Government of Nepal on BOOT basis and executed MoU with Government of Nepal in March 2008. The Government of Himachal Pradesh also allotted Dhaulasidh Project (40 MW) and given in-principle approval for investigation and subsequent development of the Project in June 2008. Considering your company's performance, the Government of India, conferred **Mini-Ratna** Category-I status and upgraded the Company to **Schedule 'A'** category in May 2008. Following the damage to power plant in September 2005 and

विद्युत आपूर्ति में आई बाधा के उपरांत कंपनी द्वारा बीमाकर्त्ताओं, विशेषज्ञों तथा सर्वेक्षणकर्त्ताओं के साथ जोरदार ढंग से निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही करने के फलस्वरूप कंपनी को कारोबार बाधित होने की एवज में 236.68 करोड़ रुपए तथा क्षतिग्रस्त सामग्री के लिए 71.19 करोड़ रुपए मई, 2008 में प्राप्त हुए।

वित्तीय निष्पादन पर नजर डालें तो कंपनी ने पिछले वर्ष के 732.71 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 764.51 करोड़ रुपए का कर-पश्चात् शुद्ध लाभ कमाया है और पिछले वर्ष के 235 करोड़ रुपए की तुलना में निदेशक मण्डल ने इस वर्ष 244 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया है। नाथपा झाकड़ी परियोजना से बिजली के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत के उपरांत लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि तरक्की के वायदों की गवाह है।

भविष्य की योजनाएँ

वर्तमान में देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 1,41,080 मेगावाट है, जिसमें से जलविद्युत क्षमता 35208 मेगावाट है। भारत की आकलित संभाव्य जलविद्युत क्षमता लगभग 1,50,000 मेगावाट है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार सन 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने तथा बिजली खपत के 631 यूनिट प्रति व्यक्ति के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन क्षमता में 78,577 मेगावाट की बढ़ोतरी करनी होगी। जलविद्युत उत्पादन की मौजूदा संस्थापित क्षमता परिकल्पित संभावित जलविद्युत क्षमता का लगभग एक चौथाई से भी कम है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे लिए कारोबार की असीम संभावनाएँ हैं और हम प्रत्येक अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

रामपुर परियोजना (412 मेगावाट) का निर्माण कार्य फरवरी,2007 में मुख्य सिविल कार्यों के अवार्ड के साथ पहले ही शुरू हो चुका है। अधिकांश घटकों के सिविल कार्यों की प्रगति तत्संबंधी अनुसूची के अनुरुप है। कंपनी द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 40 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना सहित बिजली उत्पादन क्षमता में 452 मेगावाट की वृद्धि की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लूहरी तथा उत्तराखण्ड में अन्य अनुमोदनाधीन/ अन्वेषणाधीन परियोजनाएँ 12वीं योजना में शुरू किए जाने की आशा है, जिससे कंपनी की बिजली उत्पादन क्षमता में 1131 मेगावाट की वृद्धि होगी।

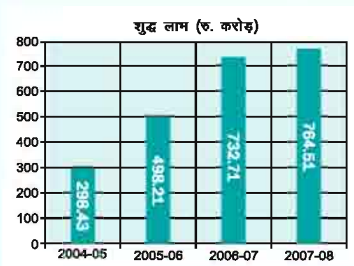

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा पड़ोसी देशों में विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में रूचि दिखाई है। कंपनी द्वारा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने सहित अन्य कंपनियों में इक्विटीगत निवेश करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि निजी क्षेत्र हेतु चिन्हित परियोजनाएँ विभिन्न सरकारों से हासिल की जा सकें।

interruption in supply of power, your company made relentless and protracted follow up with Insurers, Experts, Surveyors, as a result of which, a claim of Rs.236.68 crores on account of business interruption and Rs.71.19 crores towards materials damage was realized in May 2008.

As regards Financial performance, your company earned Net profit after tax of Rs.764.51 crores as against Rs.732.71 crores during the previous year and your Board has recommended a dividend of Rs.244 crores as against Rs.235 crores for the previous year. The increase in profit year after year since commercial operation of Nathpa Jhakri Project witnesses the promised growth.

Future Plans

The total installed capacity of power generation in India is presently at 1,41,080 MW. Out of this, 35,208 MW comes from Hydro sector as against India's estimated hydro power potential of about 1,50,000 MW As per the National Electricity Policy, power for all by 2012 and per capita consumption of electricity to rise to 1000 units from the present level of 631 units requires a capacity addition of 78,577 MW in the 11th Plan. Present installation capacities indicate less than one-fourth of the envisaged potential. I am happy to say that the business opportunities for us are enormous and we are availing every opportunity.

Rampur Project (412 MW) has already commenced with the award of major civil works in February 2007. The progress of civil works is as per the schedule in most of the components. With Daulasidh Project (40 MW), the capacity addition, by your company, in the 11th plan shall be 452 MW. Other projects, namely, Luhri in Himachal Pradesh and other projects in Uttarakhand, which are presently under approval/investigation, are expected to come up in the 12th Plan and capacity addition shall be around 1131 MW.

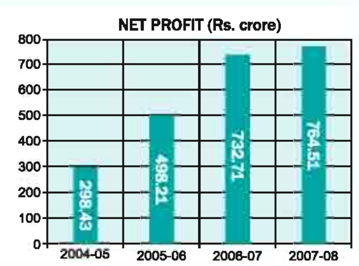

Further, the company had also submitted Expression of Interests for executing projects in other States like Sikkim, Arunachal Pradesh and neighboring countries. Efforts are also being made for equity investment in other companies including formation of joint ventures so as to secure projects from the governments which are earmarked for private sector.

उपर्युक्त प्रयासों एवं संभावनाओं से हमारी कंपनी निस्संदेह समृद्ध होगी। साथ ही, देश एवं इसकी जनता की समृद्धि में भी वृद्धि करेगी।

आभार

अंत में, मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, भारत सरकार, नेपाल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा अन्य सभी सरकारी एवं गैर.सरकारी एजेन्सियों तथा कर्मचारियों, वित्तीय संस्थानों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

सधन्यवाद।

आपका

;

स्थानः शिमला
दिनांकः 30 अगस्त, 2008

(हेमंत कुमार शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

With the above efforts and opportunities, I have no doubt that the company shall not only prosper but also bring prosperity to the Country and her people.

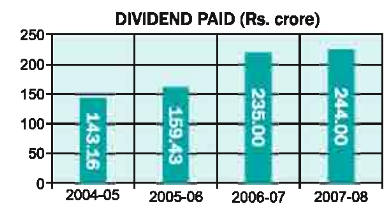

ACKNOWLEDGEMENT

At the end, I would like to place on record my gratitude for the assistance, guidance and co-operation received from all the Members of the Board, Government of India, the Government of Nepal, the Government of Himachal Pradesh, the Government of Uttarakhand, and all the other governmental and non-governmental agencies and the Employees, Financial Institutions, Contractors and Suppliers.

Thanking you,

Yours sincerely,

Place : Shimla
Date : 30th August, 2008

(H.K. Sharma)
Chairman & Managing Director

A Mini Ratna with Mega Performance

Producing Power ....

....Generating Prosperity

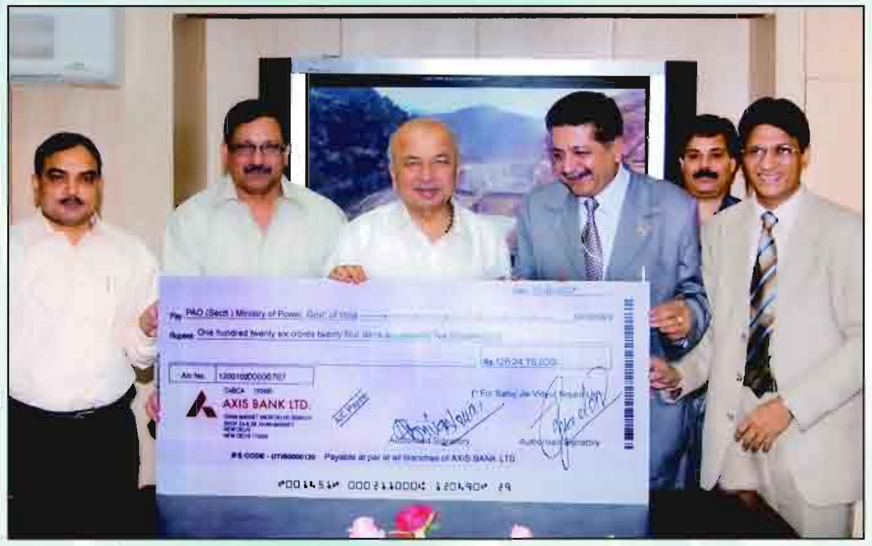

Presenting the Dividend cheque to Shri Sushilkumar Shinde, Hon'ble Minister of Power

FINANCIAL PERFORMANCE

(2007-08)

Total Income : Rs. 1582.21 crore

Net Profit : Rs. 764.51 crore

Dividend : Rs. 244.00 crore

Presenting the Dividend cheque to Shri Prem Kumar Dhumal, Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2008
DIRECTORS' REPORT 2008

मान्यवर,

आपके निदेशक मंडल को दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष से संबंधित लेखा परीक्षित खाते, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। नीचे दर्शाए गए नतीजों से आप देखेंगे कि 30 मार्च, 2004 को कंपनी की पहली इकाई के व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के बाद आपकी कंपनी ने साल दर साल क्रमिक प्रगति की है।

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the Twentieth Annual Report of the Company for the year ended March 31, 2008 along with the Audited Statement of Accounts, Report of Auditors and Comments of the Comptroller and Auditor General of India. You will appreciate from the results, the gradual progress achieved by your Company year after year since the beginning of the commercial operations of the company of the first unit on 30th March, 2004.

1. वित्तीय परिणाम

(रु.करोड़ में)

आय	2007-08	2006-07
समायोजन पश्चात् बिजली की शुद्ध बिक्री	1250.34	1618.23
अन्य आय	95.19	47.40
बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि	236.68	...
कुल आय	1582.21	1665.63
व्यय		
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	106.43	140.10
मूल्यह्रास	259.81	466.15
गत वर्षों के रिट्टेन बैक के रूप में मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान	(506.93)	शून्य
प्रावधान	63.97	0.12
ब्याज एवं वित्त प्रभार	224.36	271.18
पूर्व अवधि समायोजन	550.34	(37.73)
कुल व्यय	697.98	839.82
कर पूर्व लाभ	884.23	825.81
कर हेतु प्रावधान	119.72	93.10
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	764.51	732.71
विनियोग:		
अंतरिम लाभांश (प्रदत्त)	136.00	66.67
प्रस्तावित लाभांश	108.00	168.33
कुल लाभांश	244.00	235.00
आरक्षित निधि में अंतरित राशि	479.05	459.75

1. FINANCIAL HIGHLIGHTS

(Rs. in crore)

INCOME	2007-08	2006-07
Net Sales after adjustments	1250.34	1618.23
Other Income	95.19	47.40
Claim from Insurance Co.	236.68	—
Total Income	1582.21	1665.63
EXPENDITURE		
Generation, Admn., & Other Exp.	106.43	140.10
Depreciation	259.81	466.15
Depreciation prov. of earlier yrs written back	(506.93)	Nil
Provisions	63.97	0.12
Interest and Finance charges	224.36	271.18
Prior Period Adjustment	550.34	(37.73)
Total Expenditure	697.98	839.82
Profit before Tax	884.23	825.81
Provision for Tax	119.72	93.10
Profit after Tax	764.51	732.71
Appropriations		
Interim dividend paid	136.00	66.67
Proposed Dividend	108.00	168.33
Total Dividend	244.00	235.00
Amount transferred to Reserves	479.05	459.75

Power House Control Room

2. बिजली उत्पादन

पिछले वर्ष के 6014.480 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युत उत्पादन 6448.977 मिलियन यूनिट हुआ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा एनजेएचपीएस के लिए मई, 2001 के डिस्चार्ज आंकड़ों के आधार पर 90% डिपेन्डेबल वर्ष के लिए यथा स्वीकृत डिजाइन विद्युत उत्पादन 6951 मिलियन यूनिट था, परंतु पर्यावरणीय पहलुओं की खातिर नदी में न्यूनतम अवलोकित डिस्चार्ज का न्यूनतम 15% बहाव सुनिश्चित करने, जलाशय की फ्लशिंग की वजह से संयंत्र बंद रखने, सिल्ट की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक होने जैसे महत्वपूर्ण उत्तरवर्ती कारणों से डिजाइन विद्युत उत्पादन में संशोधन करना पड़ा। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष में आपकी कंपनी ने 90% डिपेन्डेबल वर्ष में संशोधित 6255 मिलियन यूनिट डिजाइन विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव सीईए को प्रस्तुत किया है। सिल्ट की भारी मात्रा तथा जलाशय की फ्लशिंग करने की वजह से विद्युत संयंत्र बंद रखने संबंधी दिनों के निर्धारण के लिए सीईए ने सितंबर, 2009 तक के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा है। संशोधित हाइड्रोलॉजी संबंधी विस्तृत नोट तदनुसार सीडब्ल्यूसी के हाइड्रोलॉजी निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है, जो परीक्षणाधीन है।

3. बिक्री

बिजली की बिक्री से कंपनी का वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर 31.37 करोड़ रुपए के यूआई प्रभार सहित 1504.26 करोड़ रुपए रहा तथा चालू वर्ष में मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के लिए 189.36 करोड़ रुपए के समायोजनगत प्रावधान एवं गत वर्षों के लिए 64.56 करोड़ रुपए के टैरिफगत समायोजन के पश्चात् बिजली की शुद्ध बिक्री 1250.34 करोड़ रुपए रही।

टैरिफ निर्धारण के संबंध में आपकी कंपनी ने 01.04.2004 से 31.03.2009 तक टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी के पास आरसीई-III के आधार पर फरवरी, 2008 में अंतिम टैरिफ याचिका दायर की। माननीय सीईआरसी ने दिनांक 5 मार्च, 2008 के आदेश के अनुसार याचिका स्वीकार करते हुए इस पर फैसला होने तक, हमारे 1409.83 करोड़ रुपए के एएफसी संबंधी दावे की तुलना में,

2. GENERATION

During the year 2007-08, 6448.977 MUs of power was generated as compared to the previous year's generation of 6014.480 MUs.

While the Design Energy for the NJHPS as approved by CEA for 90% dependable year based upon discharge data up to May 2001 was 6951 MUs, the subsequent important factors, such as, ensuring minimum flow of 15% of the minimum observed discharge in the river for environmental considerations, shutdown of the plant during flushing of Reservoir and silt level exceeding the permissible limits, led to revision of the Design Energy. Considering these factors, your company proposed revised design energy at 6255 MUs in a 90% dependable year and submitted a proposal to CEA. CEA had advised that for finalizing the number of days of shutdown on account of high silt load and reservoir flushing, data up to September 2009 should be provided and further as per the advice of CEA, a detailed note on revised hydrology was submitted to Hydrology Directorate of CWC. The same is under examination.

3. SALES

The gross turnover from sale of energy for the year including UI charges of Rs.31.37 crore stood at Rs.1504.26 crore and net sale of energy after adjustment of provision of Rs.189.36 crore on account of advance against depreciation for the current year and tariff adjustment of Rs.64.56 crore for earlier years was Rs.1250.34 crore.

As regards tariff fixation, your Company filed Final Tariff Petition with CERC for determination of tariff from 01.04.2004 to 31.03.2009 in February 2008 based on RCE-III. The Hon'ble CERC vide order dated 05th March 2008 admitted the Petition and pending decision on the same, allowed the provisional tariff up to September 2008 based on the provisional Annual Fixed Charges

वित्तीय वर्ष 2007-08 के 1278.12 करोड़ रुपए के अस्थायी वार्षिक नियत प्रभारों (एएफसी) के आधार पर सितंबर, 2008 तक के अस्थायी टैरिफ की मंजूरी दी है। इस याचिका की पहली सुनवाई अप्रैल, 2008 में हुई थी और सीईआरसी के माननीय सदस्यों, सीईआरसी तथा एनआरएलडीसी के अधिकारियों ने यथार्थ स्थिति के मूल्यांकन के लिए परियोजना का भ्रमण किया।

4. लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान 764.51 करोड़ रुपए का कर पश्चात् शुद्ध लाभ अर्जित किया है और आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष के 235 करोड़ रुपए की तुलना में रु. 244 करोड़ (पहले ही प्रदत्त रु. 136 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित) के लाभांश की संस्तुति की है। वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के पश्चात् लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा।

5. नई परियोजनाओं की स्थिति

5.1 अरुण-III परियोजना (402 मेगावाट)

एक बड़ी सफलता के रूप में आपकी कंपनी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच नेपाल सरकार से अरुण-III (402 मेगावाट) परियोजना बूट आधार पर हासिल की है। रन.ऑफ.दि.रिवर किस्म की 2891 मिलियन यूनिट के डिजाइन विद्युत वाली यह परियोजना नेपाल के ईस्टर्न डेवल्पमेंट क्षेत्र के संखूवासभ जिले में कोसी नदी की सहायक अरुण नदी पर अवस्थित है, जिसकी अनुमानित लागत 4400 करोड़ रुपए है। नेपाल सरकार को 21.9% बिजली निःशुल्क आबंटित करने के उपरांत लेवलाइज्ड टैरिफ सीईआरसी मानदण्डों के अनुसार 3.59 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच रहने की उम्मीद है। सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा डीपीआर बनाने के लिए कंपनी पहले ही नेपाल सरकार के साथ 2 मार्च, 2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है और सर्वेक्षण लाइसेंस 21 जुलाई, 2008 को हासिल हो गया है। यह परियोजना फाइनेंशियल क्लोजर की तिथि से 60 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी है। आपकी कंपनी इस परियोजना को जनरेशन लाइसेंस जारी होने के उपरांत 30 वर्ष की अवधि के लिए चलाने हेतु अधिकृत है। विदेश में कंपनी की यह प्रथम परियोजना होने के परिप्रेक्ष में सभी स्तरों पर लक्ष्य पूरे किए जाने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(AFC) of Rs.1278.12 crore for the financial year 2007-08 against our claim of AFC for Rs.1409.83 crore. The First Hearing on the Petition was held in April 2008 and Hon'ble Members of CERC, officials of CERC and NRLDC also visited the project for assessment of factual position.

4. DIVIDEND

The Company earned a net profit after tax of Rs.764.51 crore during the year and as such your Directors had recommended a dividend of Rs.244 crore (including interim dividend of Rs.136 crore already paid) as against dividend of Rs.235 crore for the previous year. The dividend shall be paid after your approval.

5. STATUS OF NEW PROJECTS

5.1 Arun-III Project (402 MW)

One of the successes, your company achieved during the year, is securing the Arun-III Project (402 MW) on BOOT basis from Government of Nepal amidst tough competition. The Project is situated on River Arun, a tributary of River Koshi, Sankhuwasabha District of Eastern Development Region of Nepal and is run of river project with a design energy of 2891 MUs. The project is estimated to cost Rs.4400 crore. Considering 21.9% of free power to Government of Nepal, the levelised tariff is expected to be Rs.3.59 per kwh as per CERC norms. Your company had already executed MoU with Government of Nepal on 2nd March 2008 for survey, investigation and preparation of DPR and survey license has been obtained on 21st July 2008. The project is to be completed within 60 months from the date of financial closure. Your company will be entitled to operate the project for a period of 30 years from the date of issue of generation license. This being a first venture of your company on foreign land, all out efforts are being put in to achieve the milestones at all levels.

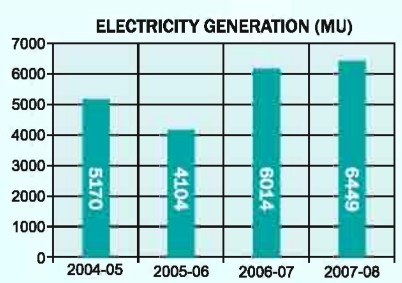

Takeoff point of access road for PH & TRT - Arun-III Project

Tunneling work of Rampur Project in progress

5.2 रामपुर परियोजना (412 मेगावाट)

रु. 2047.03 करोड़ की अनुमानित लागत से रामपुर जलविद्युत परियोजना (6X 68.67 मेगावाट) का निष्पादन करने की भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी,2007 को मंजूरी दिए जाने के उपरांत आपकी कंपनी ने एचआरटी, सर्जशाफ्ट, विद्युत गृह परिसर इत्यादि जैसे मुख्य सिविल कार्य दिनांक 1 फरवरी,2007 को पटेल एण्ड गैमन जेवी कंपनी को अवार्ड कर दिए हैं। मुख्य निर्माण कार्यों के दो पैकेज हैं और निर्माण कार्य 19.02.07 से शुरू हो चुके हैं। रामपुर जल विद्युत परियोजना के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज अवार्ड करने के लिए प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो गई थी, लेकिन इस हेतु विश्व बैंक की मंजूरी न मिलने की वजह से इसके लिए पुनर्निविदाएँ जारी करनी पड़ी। ये कार्य सितंबर,2008 में अवार्ड कर दिए जाएंगे। उक्त कार्य अवार्ड करने में हुए विलंब की वजह से इन पैकेजों की पूर्णता अवधि पूर्व निर्धारित साढ़े 52 माह के बजाए अब 42 माह कर दी गई है, ताकि अवार्ड कार्य में हुई देरी से मूलतः परिकल्पित कमीशनिंग शेड्यूल प्रभावित न हो।

जहाँ तक निर्माण कार्यों संबंधी प्रगति का प्रश्न है, सर्जशाफ्ट, पायलट होल, डॉयवर्जन सुरंग तथा एडिट.कम. स्पिल सुरंग संबंधी खुली खुदाई तत्संबंधी नियत पूर्णता तिथि से पहले ही पूरी हो चुकी है। काजो, कुन्नी तथा बायल एडिट पूरे हो चुके हैं तथा गोशाई एवं कशोली एडिट पूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। एचआरटी की कुल 15088 मीटर में से 2085 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है तथा विद्युत गृह परिसर की कुल 17.02 लाख घनमीटर मात्रा में से 13.37 लाख घनमीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है।

परियोजना से 90% डिपेन्डेबल वर्ष में 1770 मिलियन यूनिट डिजाइन विद्युत उत्पादित होगी। प्रथम वर्ष का टैरिफ 2.39 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच बनता है। यह परियोजना फरवरी, 2012 तक (11वीं योजना के अंदर) पूरी की जानी है।

परियोजना की लागत संबंधी निधि की संपूर्ण व्यवस्था आंतरिक स्रोतों और विश्व बैंक ऋण से की जाएगी, जिसके लिए 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि उपलब्ध कराने संबंधी ऋण अनुबंध पर 15.01.2008 को हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण के लिए भारत सरकार ने गारंटी दी है। यह ऋण राशि परियोजना लागत का लगभग 70% है, जो 20 वर्ष की अवधि में चुकता की जाएगी, जिसमें 5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है।

5.3 लूहरी परियोजना (775 मेगावाट)

अन्वेषण करने और डीपीआर बनाने के लिए यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम को दिसंबर, 2004 में सौंपी गई थी। सीईए तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चरण-I एवं चरण-II के आकलनों, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा पूर्व पर्यावरण क्लीयरेंस हासिल किए गए। अन्वेषणोपरांत परामर्शक से 775 मेगावाट की स्थापित क्षमता से युक्त एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाकर तकनीकी-आर्थिक क्लीयरेंस हेतु सीईए को अगस्त, 2007 में प्रस्तुत की गई। लूहरी परियोजना हेतु क्रियान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर न हो पाने की वजह से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने डीपीआर वापस भेज दी है। इस परियोजना हेतु क्रियान्वयन अनुबंध पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षर होने के उपरांत डीपीआर पुनः प्रस्तुत की जाएगी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई डीपीआर के अनुसार परियोजना के वर्तमान मानचित्र में 86 मी. ऊँचा कंक्रीट बांध, 38.14 कि.मी. लंबी 9 मीटर व्यास वाली ट्विन सुरंग एचआरटी तथा प्रत्येक 193.75 मेगावाट की चार उत्पादन इकाईयाँ सम्मिलित हैं। परियोजना की संभावित लागत आईडीसी को जोड़कर लगभग रु.4795 करोड़ है। परियोजना की निर्माण अवधि मुख्य सिविल कार्यों के अवार्ड की तिथि से 72 माह है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना संबंधी कराए गए अध्ययनों की परामर्शक से मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो सभी प्रक्रियाएँ पूरी होने के उपरांत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आवाह क्षेत्र उपचार योजना संबंधी कराए गए अध्ययनों की अंतिम मसौदा रिपोर्ट सितंबर,2008 तक मिल जाने की आशा है। परियोजना क्षेत्र के सभी 72 गाँवों की डेमाग्राफिक सर्वेक्षण संबंधी अंतिम रिपोर्ट मिल गई है और एसजेवीएन ने स्वीकार कर ली है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

तकनीकी विनिर्दिष्टता तथा बोली दस्तावेजगत मसौदा परामर्शक द्वारा सितंबर, 2008 में प्रस्तुत कर दिए जाने की उम्मीद है। इस

5.2 Rampur Project (412 MW)

Pursuant to the approval of the Government of India, Ministry of Power, to the Execution of the Rampur H.E. Project (6 x 68.67 MW), at an estimated cost of Rs.2047.03 crore on 25th January 2007, your company awarded Major Civil Works consisting of HRT, Surge Shaft, Power house complex etc., on 1st February 2007 to M/s Patel and Gammon JV. The major civil works comprises in two packages and the civil works commenced on 19th February 2007. Process for award of Electro-Mechanical Packages for RHEP although was done in the right time, due to non-clearance by the World Bank, the re-tendering process was resorted and the work will be awarded in September 2008. Since there was a loss of time in award, the completion period for the packages is now kept at 42 months as against 52.5 months fixed earlier, so that the delay in award no way affects the originally envisaged commissioning schedule.

As regards progress of civil works, open excavation of surge shaft, pilot hole, diversion tunnel, and Adit cum Spill tunnel were completed before scheduled date of completion. While Kazo Adit, Kunni Adit and Bayal Adits were completed, Goshai Adit and Kasholi Adit are in different stages of completion. As regards HRT, 2085 m of HRT was excavated out of total 15088 m and in Power House complex, the excavation was 13.37 lakh cum completed as against total quantity of 17.02 lakh cum.

The design energy of the Project would be 1770 MUs in a 90% dependable year. The first year tariff comes to Rs.2.39 per kwh. The project is scheduled to be completed by Feb. 2012 i.e., within the 11th plan.

The entire funding of the cost of the project shall be from the internal sources and loan from the World Bank for which Loan Agreement was signed on 15th January 2008 for availing 400 million US$. The Government of India stood as a guarantor for the loan. The loan is approximately 70% of cost of the project. The Loan shall be repaid over a period of 20 years including the moratorium period of 5 years.

5.3 Luhri Project (775 MW)

Luhri Hydro-electric Project was allotted to SJVN for carrying out investigation and preparation of DPR during December, 2004. Stage I & II estimates, commercial viability and pre-environmental clearances were obtained from CEA and MOEF. After carrying out the investigation a detailed project report with installed capacity of 775 MW was got prepared from the consultant and submitted to CEA during August, 2007 for Techno-Economic clearance. CEA returned the DPR for want of signing of Implementation Agreement for the Luhri Project. The DPR will be resubmitted upon signing of IA with the Government of HP. As per the DPR submitted to CEA, present layout of the Project consists of Concrete Dam of 86 m high, 38.14 km twin 9 m. dia tunnel HRT and four generating units of 193.75 MW each. The expected cost of the project is approx Rs.4795 crore plus IDC. The construction period of the project is 72 months from the award of major civil works. Environmental Impact Assessment/ Environment Management Plan studies were got carried out for which draft report was received from the consultant and shall be submitted to competent authority for environment clearance after observing all procedures. Catchment Area Treatment Plan studies were also got carried out and the final draft is expected by Sept. 2008. Final Report of demographic survey covering all the 72 villages has been received and accepted by SJVN. Land acquisition is under process.

Draft Technical specification and bid documents are expected to be submitted by Consultants in Sept., 2008. Signing of MoU for implementation of the project is

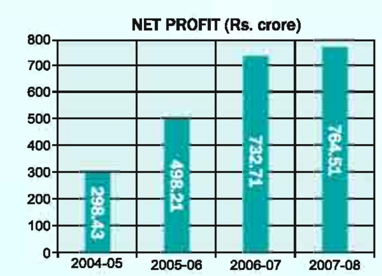

An adit of Rampur Project

Construction of Bridges in project area

परियोजना के निर्माण संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के विचाराधीन है।

5.4 खाब परियोजना

परियोजना के चरण-I एवं II के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चरण-I के वित्तीय आकलन को मंजूरी दे दी है और चरण-II की मंजूरी परियोजना कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिशोधित एफएसआर न बन सकने के कारण लंबित है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलनकारी रुख अपनाने की वजह से कई बार शुरू किया गया टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाया है। प्रारंभिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययन प्रगति पर है। इस परियोजना के निर्माण संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

5.5 उत्तराखण्ड परियोजनाएँ

देवसरी (300 मेगावाट), नैटवार मोरी (33 मेगावाट) तथा जाखोल सांकरी (33 मेगावाट) नामक तीन परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए।

चमोली जिले में पिण्डर नदी पर अवस्थित पहले स्टोरेज किस्म की परिकल्पित 300 मेगावाट क्षमता की देवसरी जल विद्युत परियोजना अब रन-ऑफ-रिवर किस्म की देवसरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (252 मेगावाट) में परिवर्तित कर दी गई है। आरओआर स्कीम संबंधी संशोधित प्रस्ताव को उत्तराखण्ड सरकार ने अक्तूबर, 2007 में अनुमोदन प्रदान किया। स्टोरेज किस्म से आरओआर में परिवर्तन करने से डूब क्षेत्र काफी कम अर्थात् 522 हैक्टेयर से 87 हैक्टेयर रह जाएगा। इसके अतिरिक्त, संशोधित आरओआर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण स्थलों पर निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अप्रैल,2008 में मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य लगभग पूरा हो गया है। वर्तमान में एसजेवीएन स्विट्जरलैण्ड के मैसर्स कोलेंको पॉवर इंजीनियर्स लिमिटेड नामक परामर्शक से परियोजना की डीपीआर बनवा रहा है और यह रिपोर्ट सीईए के अनुमोदनार्थ फरवरी, 2009 में प्रस्तुत किया

under active consideration by the Govt. of H.P and Govt. of India.

5.4 Khab Project

Stage-I and II clearance from MOEF for the project was obtained. The Stage-I clearance of estimate from CEA has been cleared and stage-II clearance is pending for want of preparation of revised FSR due to changed scope of activity. Due to agitational path adopted by the local villagers, the topographical survey initiated several times could not be completed. EIA studies are in progress. Signing of MOU for implementation of the project is under active consideration by the Govt. of H.P.

5.5 Uttarakhand Projects

MoU for execution of the three Hydro projects, namely, Devsari (300 MW), Naitwar Mori (33 MW) and Jhakol Sankri (33 MW), was signed with Uttarakhand Government on 22nd November 2005.

The Devsari Hydro Project, a 300 MW storage scheme situated on river Pindar in Chamoli Distt. envisaged earlier has been converted into Run of the River Scheme-Devsari HEP Stage-I (252 MW). The approval of revised proposal of ROR Scheme has been accorded by Government of Uttarakhand in October 2007. The conversion from storage to ROR Scheme would reduce submergence area considerably i.e. from 522 ha to 87 ha, thereby, avoiding submergence to a great extent. Further, the clearance for pre-construction activities in the proposed sites in respect of revised ROR scheme has also been accorded by MOEF in April 2008. The preliminary survey and investigation has almost been completed. Presently the preparation of DPR is in progress by SJVNL through Consultants M/s Colenco Power Engineering Ltd., Switzerland, and the Report is

जाना तय है। परियोजना के घटकों के लिए अपेक्षित भूमि चिन्हित हो चुकी है और इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

रन-ऑफ-दि-रिवर प्रकार की नैटवार मोरी परियोजना (स्थापित क्षमता 33 मेगावाट) यमुना नदी की सहायक टांस नदी पर अवस्थित है। परामर्शक मैसर्ज एलआईआई द्वारा पेश डीपीआर के अनुसार परियोजना को दांये किनारे पर शिफ्ट करके और बैरेज एवं विद्युत गृह की अवस्थिति बदलने से स्थापित क्षमता बढ़ाकर 59 मेगावाट कर दी गई है। डीपीआर के मुताबिक परियोजना लागत लगभग 384.55 करोड़ रुपए है। परियोजना के कंट्रोल एवं टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं और जियोलॉजिकल अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। भूमि-अधिग्रहण का कार्य भी प्रगति पर है। परामर्शकों से जुलाई,2008 में प्राप्त हुई अंतिम डीपीआर तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत की गई है।

36 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली रन-ऑफ-दि-रिवर प्रकार की जाखोल सांकरी परियोजना टांस नदी की सहायक सूपिन नदी पर अवस्थित है। परियोजना का बैरेज क्षेत्र बदलकर 1.5 कि.मी. अपस्ट्रीम पर ले जाने से परियोजना की स्थापित क्षमता बढ़ाकर लगभग 44 मेगावाट की जा सकती है। एफएसआर, डीपीआर इत्यादि तैयार करने का कार्य अक्तूबर,2006 में मैसर्स लाहमीयेर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड को 12 माह की अवधि में पूरा किए जाने के लिए अवार्ड किया गया था। इस परियोजना के चारों ओर वन्य जीवन अभ्यारण्य अवस्थित होने की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका और इसके लिए वन्य जीव संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की संस्तुतियों पर आधारित उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेना जरूरी है। संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले को कारगर तरीके से उठाया जा रहा है। जियोलॉजिकल अन्वेषण पूरे होने के बाद ही डीपीआर संबंधी कार्य शुरू हो सकता है, जिसके लिए पूर्व-पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है। देवसरी तथा नैटवार मोरी के लिए ईआईए अध्ययन का कार्य मैसर्स वैपकोस को तथा जाखोल-सांकरी के लिए एचएनबी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को अवार्ड किया गया है।

scheduled to be submitted to CEA for approval in February 2009. The land in respect of project components has been identified and process of acquisition is in progress.

In respect of Naitwar Mori, the project is a run of the river scheme, situated on River Tons, a tributary of River Yamuna with an installed capacity of 33 MW. By shifting the project to right bank and with change in locations of barrage and power house, the installed capacity has been enhanced to 59 MW as per DPR submitted by the Consultants M/s LII. As per DPR, the project cost is approx. Rs.384.55 crore. While Control and Topographical survey work for the project has been completed, geological investigations are in progress. Land acquisition work is also in progress. Final DPR received in July 2008 from Consultants was also submitted to Govt. of Uttarakhand for techno-economic clearance.

As regards Jakhol Sankri, the project is also a run of the river scheme and is situated on River Supin, a tributary of River Tons. The installed capacity of the project is 36 MW and by shifting the barrage area to about 1.5 km upstream, the installed capacity of the project can be increased to about 44 MW. The work of preparation of FSR, DPR etc. was awarded for the project to M/s Lehmeyer International (India) Pvt Ltd in October 2006 with a completion period of 12 months. The work could not be proceeded as the layout of the project is surrounded by Wild Life Area and as such the project requires permission of Hon'ble Supreme Court based on the recommendations of the Standing Committee of the National Board for Wild Life. The matter is being pursued vigorously with the concerned authorities. The work on DPR can be taken up only after completion of geological investigations for which Pre-Environment clearance is required. For EIA Studies, M/s WAPCOs were awarded the work for Devsari and Naitwar Mori and to HNB University, Uttarakhand for Jakhol Sankri.

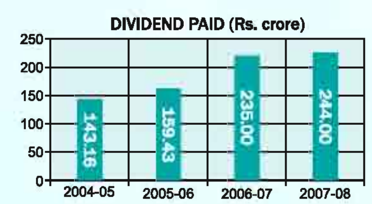

Construction of Bridges in project area

Power Transmission - Pot Head Yard (NJHPS)

6. वर्तमान कार्य निष्पादन 2008-09

दिनांक 30 जून,2008 को समाप्त तिमाही में शुद्ध बिक्री योग्य 2259.76 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 2015.41 मिलियन यूनिट बिक्री योग्य बिजली का उत्पादन हुआ। कुल आय 416.62 करोड़ रुपए रही तथा शुद्ध अनुमानित लाभ 165.61 करोड़ रुपए रहा।

7. ऊर्जा संरक्षण

वर्तमान में विभिन्न कार्य स्थलों और नियंत्रण कक्षों सहित कार्यालयों में मितव्ययी विद्युत नियंत्रण प्रणाली उपयोग में लाई जा रही है, जिससे कमरे खाली रहने की स्थिति में बिजली की खपत में 20% की बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों एवं गैर.आवासीय भवनों में साधारण इनकैन्डेसेंट बल्बों की जगह सीएफएल लैम्प लगाए गए हैं।

8. नई प्रौद्योगिकी अपनाना

एचपी-एचवीओएफ/एचवीओएफ प्रौद्योगिकी अपनाने से टरबाईनों के पानी में डूबे रहने वाले कल.पुर्जों के कार्य-निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अब इनकी मात्र छोटी-मोटी मरम्मत/रिकोटिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत हुई है। एक अन्य उपाय के रूप में जल संचारण प्रणाली की अपघर्षण एवं क्षरण से रक्षार्थ विशेष पोलिमर कोटिंग लगाई गई है। प्रायोगिक आधार पर प्रयुक्त हेन्कल की प्रौद्योगिकी असरदार रही है।

नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के विद्युत इन्टेक में सिल्ट के न्यूनतम प्रवेश के लिए सिल्ट नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे के हाइड्रोलिक मॉडल पर सत्यापित कराए गए हैं। निचले इन्टेक में सबसे निचले ट्रैश रैक पैनलों की ब्लैकिंग, जलाशय की आवधिक फ्लशिंग इत्यादि जैसे उपाय किए गए हैं।

9. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किसी भी प्रकार की आय नहीं हुई है। विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज के भुगतान, ठेकेदारों को किए गए भुगतान तथा उपकरणों के आयात आदि पर वर्ष के दौरान कुल रु.29.89 करोड़ की राशि विदेशी मुद्रा में व्यय की गई है।

6. CURRENT PERFORMANCE 2008-09

For the quarter ending 30th June 2008, the net saleable energy was 2015.41 MUs as against the target of 2259.76 MUs and the total Income was Rs. 416.62 crore and estimated net profit was Rs.165.61 crore.

7. CONSERVATION OF ENERGY

Presently, the intelligent lighting control system in various work sites and offices including control rooms is in operation which reduces illumination level of 20% when the rooms are unoccupied. Further, ordinary incandescent lamps have been replaced by CFL lamps in office and other non-residential buildings.

8. TECHNOLOGY ABSORPTION

With the adoption of HP-HVOF/HVOF technology, there is a remarkable improvement in the performance of underwater parts of turbines now needing minor repairs/recoating resulting considerable saving of foreign exchange. Another activity is Speciality polymer coatings intended to protect the underwater parts of water conductor system against abrasion and corrosion. The technology of Henkel used on trial basis proved effective.

Further silt control measures to minimize entry of silt into power Intake of NJHPS have been got verified on Hydraulic Model at CWPRS, Pune. The measures like blanking of the bottom most trash rack panels at power intake, periodical reservoir flushing etc have been adopted.

9. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

There were no foreign exchange earnings during the year. The total foreign exchange outgo during the year was Rs.29.89 crore on account of interest on foreign currency loans, payment to contractors and import of equipment etc.

10. पर्यावरण

पूरी हो चुकी परियोजनाएं हों या निर्माणाधीन, आपकी कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक पक्षों पर सदा ही पूरा ध्यान दिया है। आपके निगम ने नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना में पर्यावरण प्रबंधन के लिए रु.35.85 करोड़ आबंटित किए हैं। पर्यावरण प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि आवाह क्षेत्र उपचार (कैट) योजना है, जिसके लिए कुल रु.29.57 करोड़ की बजट राशि रखी गई है। इस योजना को वन विभाग के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन में वन विभाग की सहायता करने के लिए आपकी कंपनी सिविल ढांचों का निर्माण शुरू करेगी, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी सतलुज बेसिन (भारतीय सीमा क्षेत्र में) की विस्तृत कैट योजना की तैयारी का कार्य भी हाथ में लेगी। क्रियान्वयन हेतु यह रिपोर्ट अध्ययनाधीन है। यदि यह रिपोर्ट लागू की जाती है तो उन सभी जलविद्युत स्टेक होल्डरों को सिल्ट की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी, जिनकी सतलुज नदी पर परियोजनाएँ हैं। इसकी क्रियान्वयन संबंधी संभावित उच्च लागत के परिप्रेक्ष में इस बात का अध्ययन चल रहा है कि सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों द्वारा इस लागत को बाँटे जाने की संभावना तलाशी जाए।

रामपुर परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की लागत रु.45.52 करोड़ है, जिसमें से अकेले कैट योजना की लागत रु.23.37 करोड़ है। ईएमपी की अन्य गतिविधियाँ क्षतिपूरक वनीकरण, वनों का वर्तमान शुद्धमान, मत्स्य प्रबंधन, पर्यावरणीय अनुवीक्षण, आवाह क्षेत्र उपचार योजना (कैट) तथा मलबा प्रबंधन, परियोजना स्थल विकास हैं। आपकी कंपनी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन के लिए अब तक 13.50 करोड़ रुपए तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन तथा रामपुर जल विद्युत परियोजना के लिए 9.10 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।

इन प्रयासों की मान्यता के तौर पर आपकी कंपनी को गोल्डन पीकॉक नेशनल अवार्ड फॉर इको.इन्नोवेशन 2008 प्रदान किया गया है।

10. ENVIRONMENT

Your company consistently devotes its energies towards Environment & Social aspects in respect of various projects either completed or under completion. In Environment Management, your Nigam has allocated Rs. 35.85 crore for Nathpa Jhakri HEP. The most important activity of the Environment Management is CAT Plan with a total outlay of Rs.29.57 crore. The Plan is being implemented through Forest Department. To augment the efforts of the Forest Department in this implementation, your company shall take up construction of civil structures which are under finalisation. Further your Company also took up a job of "Preparation of Comprehensive CAT Plan of the Satluj basin within Indian territory. The Report is under study regarding implementation. This Plan, if implemented, will help to address the issue of silt among all stake holders of hydro projects along the river Satluj. In view of the expected high costs of implementation, probability of sharing the costs by the Governments and other stake holders is also under study.

In respect of Rampur Project, the Environment Management Plan is costing Rs.45.52 crore, in which the CAT Plan alone costs Rs.23.37 crore. The other activities of EMP consists of Compensatory Afforestation, Net Present Value of Forests, Fisheries Management, Environmental Monitoring, Catchment Area Treatment Plans and Muck Disposal, Site Development etc. Your company so far had released Rs. 13.50 crore for NJHPS and Rs.9.10 crore to the various departments of GOHP for NJHPS and Rampur Project.

In recognition of the efforts, your Company was in receipt of Golden Peacock National Award for Eco-Innovation 2008.

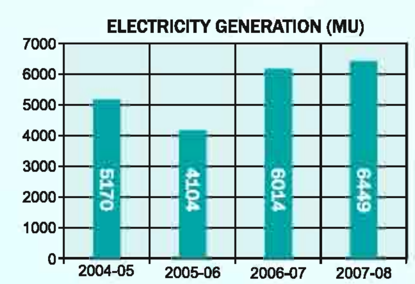

Shri J. K. Sharma, Director (Civil) receiving the Environment Excellence Gold Award 2008

SJVN assisted bus stand under construction at Rampur

11. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन के निर्माण के लिए सतलुज जल विद्युत निगम ने 480 परिवारों से 223.80 हैक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की थी और भू-अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत इसके लिए 12.31 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की थी। हालांकि, प्रभावित परिवारों को प्रतिपूर्ति राशि 1991 में ही अदा कर दी गई थी, लेकिन प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने का मामला अदालत के विचाराधीन था और इस प्रक्रिया में संबंधित परिवारों के साथ हमारी कंपनी को भी खर्च उठाना पड़ा। एलएसी द्वारा कुछ मामलों में बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति राशि के लिए यथा आकलित राशि सभी को अदा करने के लिए राजी होकर सतलुज जल विद्युत निगम इस मुद्दे को अन्ततः न्यायालय से बाहर हल करने के लिए राजी हो गया और बकाया प्रतिपूर्ति राशि जारी की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालयों/एलएसी से तत्संबंधी मामले वापस ले लिए गए। उक्त के लिए अब तक 12.00 करोड़ रुपए की राशि अदा की जा चुकी है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अदा की गई सांविधिक प्रतिपूर्ति के अलावा सतलुज जल विद्युत निगम नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) के लिए ढांचागत, सामुदायिक एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों पर लगभग 69.08 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि जैसी मुख्य ढाँचागत मदों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के तौर पर 49.99 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। मेधावी छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, महिला मंडलों को अनुदान देने इत्यादि जैसे सामुदायिक विकास कार्यों पर 1.95 करोड़ रुपए तथा रिहायशी मकानों की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, घर बनाने के लिए अनुदान देने, राहत उपायों इत्यादि जैसे सामाजिक दायित्व के कार्यों पर 7.14 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएएफ के 61 पात्र व्यक्तियों को नौकरियाँ दी गई हैं और रोजगार के बदले 49 परिवारों को वैकल्पिक पैकेज दिया गया है जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 2 से 3 लाख रुपए की आर्थिक ग्रान्ट दी गई है और बेघर हुए 23 परिवारों को निर्मित मकान, 44 बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए नकद सहायता, 109 भूमिहीन परिवारों को

11. REHABILITATION AND RESETTLEMENT

For the construction of Nathpa Jhakri Hydro Electric Project, SJVN acquired 223.80 ha of private land from 480 families for which SJVN provided Rs. 12.31 crore towards compensation under LA Act. Although the compensation was paid to the affected families way back in 1991, the issue of enhanced compensation was a matter of litigation involving costs to the families as well as to the Company. Ultimately, to resolve the issue, out of court, SJVN agreed to settle the dispute by paying the enhanced compensation as assessed by the LAC in few cases to all and released the balance compensation, thus, leading to withdrawal of cases in Courts/LAC. So far an amount of Rs.12.00 crore was paid towards the above.

Apart from the statutory compensation paid under Land Acquisition Act, SJVN under the R&R plan of NJHPS had spent approximately Rs. 69.08 crore towards resettlement and rehabilitation of the project affected families, Infrastructural, and Community and Corporate Social Responsibility. Under Infrastructural works, an amount of Rs.49.99 crore was spent, major items of which financial assistance for construction of Roads, bridges, hospital, community centres etc. Towards Community Development, an amount of Rs.1.95 crore was spent, covering merit scholarships, health, grants to Mahila Mandal etc., and towards Social Responsibility, an amount of Rs.7.14 crore was spent towards financial assistance to repair dwelling units, grants for construction of houses, relief measures etc.

Besides the above, Employment has been provided to the 61 eligible members of PAFs, 49 families have been provided alternate package scheme in lieu of employment has been implemented involving monetary grant ranging from Rs. 2 - 3 lacs per family, constructed house to 23 houseless families,

कृषि योग्य भूमि, 75 विस्थापित दुकानदारों को दुकानों के विकसित प्लाट तथा स्व-रोजगार के लिए 51 परिवारों को 20000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी गई है।

नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन की परियोजना प्रभावित पंचायतों में ढांचागत एवं सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की आवर्ती वार्षिक निधि स्थापित की गई है। स्कूलों में खेल के मैदानों, सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामीण रास्तों इत्यादि के निर्माण जैसे कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान 1.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

रामपुर जल विद्युत परियोजना में 53.84 करोड़ रुपए लागत की अंगीकृत आर.एण्ड आर. योजना में भूमि, मकानों इत्यादि की लागत के प्रति 25.84 करोड़ रुपए, बेघर परिवारों, भूमिहीन परिवारों तथा विस्थापित दुकानदारों के लिए अनुदान के तौर पर 4.10 करोड़ रुपए तथा सामुदायिक क्षेत्र विकास के लिए 11.03 करोड़ रुपए और निर्माणावस्था के दौरान परियोजना प्रभावित पंचायतों में ढांचागत विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ रुपए राशि की आवर्ती वार्षिक निधि के प्रावधानों की परिकल्पना है। हिमाचल प्रदेश के आईटीआई में विभिन्न वोकेशनल कोर्सों के लिए 70 बच्चे स्पांसर किए गए हैं। आईटीआई की ट्यूशन फीस के तौर पर 14.39 लाख रुपए खर्च हुए हैं। स्कूलों में विकासात्मक कार्यों के सिलसिले में स्कूलों के ईर्द-गिर्द पौधरोपण के लिए 49 स्कूलों के लिए पहली ग्रान्ट राशि के रूप में 2.65 लाख रुपए जारी किए गए हैं। परियोजनाओं की परियोजना प्रभावित पंचायतों में मोबाईल हैल्थ वैन सप्ताह में दो बार जा रही है और स्थानीय लोगों को चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयाँ मुहैया करवा रही है। बायल में एक डिस्पेंसरी खोली गई है, जिसका स्थानीय लोग लाभ ले रहे हैं। पीएपी के हल्के वाहन किराए पर लिए जा रहे हैं और ठेके के छोटे-मोटे कार्य प्राथमिकता के आधार पर पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को दिलाने पर विचार किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त ढांचागत एवं सामुदायिक विकास कार्यों के अंतर्गत रामपुर जल विद्युत परियोजना के विद्युत गृह के निकट सतलुज नदी पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टील ट्रस पुल

cash assistance for construction of house to 44 houseless families, agricultural land to 109 landless families, developed shop plots to 75 displaced shopkeepers and financial support up to Rs. 20000 to 51 families for self employment.

Your company also created a Recurring annual fund of Rs. 1.5 crore for infrastructural and community development works in project affected panchayats of NJHPS. For the financial year 2007-08 an amount of Rs. 1.06 crore have been spent on works like construction of school play grounds, community centers, village paths etc.

As far as RHEP is concerned, R&R plan of Rs. 53.84 crore has been adopted which envisages Rs.25.84 crore towards cost of land, houses etc., Rs.4.10 crore towards grants to houseless families, landless families and displaced shopkeepers and Rs. 11.03 crore towards area development community and a recurring annual fund of Rs. 2.5 crore for infrastructural development works in project affected Panchayats during the construction stage. 70 wards have been sponsored for various vocational courses in ITIs in HP. An expenditure of Rs. 14.39 lacs has been spent towards tuition fee in ITIs. Towards development works in schools an amount of Rs. 2.65 lacs has been released to 49 schools as the first grant for plantation of saplings in and around the schools. A Mobile Health Van has been plying in project affected Panchayats of the projects twice a week and extending medical consultancy and medicines to local population. A medical dispensary has been opened at Bayal which also caters to the local population. Light vehicles are being hired from PAPs and award of petty contracts works to eligible project affected families are being considered on preferential basis.

Besides the above, under infrastructural and community development works, a steel truss bridge across the river Satluj near power house of RHEP has been constructed

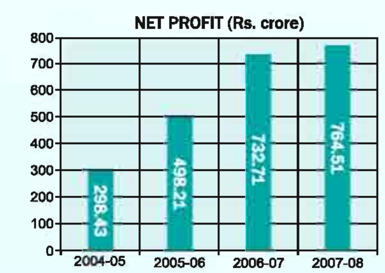

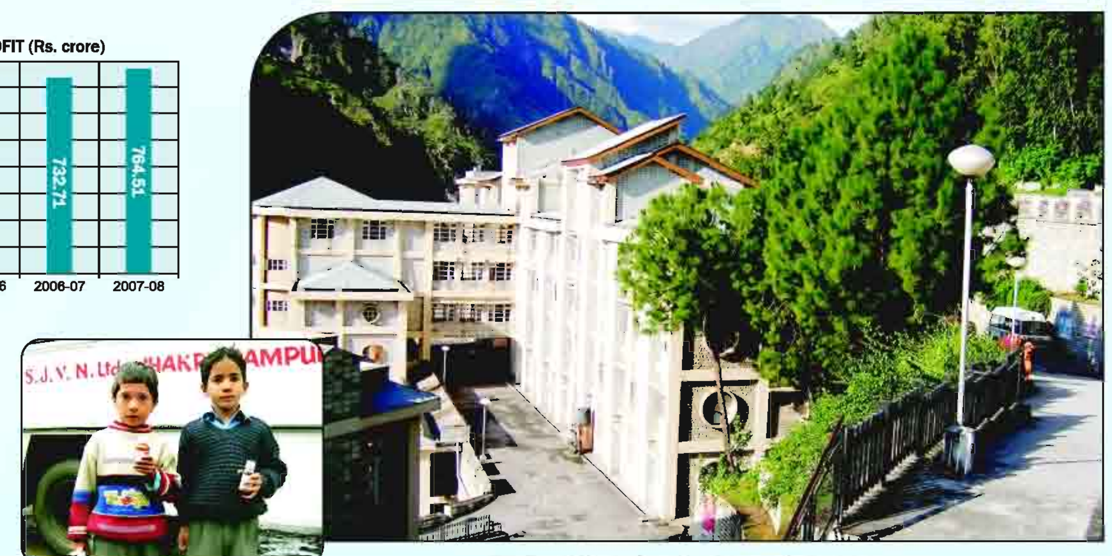

SJVN assisted Hospital at Rampur

Rehabilitation colony for displaced families of Natpha Jhakri project

बनाया गया है। रामपुर में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 8 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। रामपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण के लिए सतलुज जल विद्युत निगम ने 1.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

12 मानव-संसाधन

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की कुल जनशक्ति 31 मार्च, 2007 की 935 की तुलना में 31 मार्च, 2008 को 956 थी। उक्त तिथि को प्रतिनियुक्ति पर एचपीएसईबी/हि.प्र.सरकार की जनशक्ति 772 थी। उक्त तिथि को अनुसूचित जाति, अनु.जन.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की जनशक्ति क्रमशः 171, 52 एवं 84 है, जो गत वर्ष क्रमशः 194, 49 तथा 85 थी।

कार्यकुशलता के उन्नयनीकरण को आपकी कंपनी सर्वाधिक महत्व देती है और इस हेतु सभी विधाओं के लिए सभी स्तरों पर आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परिणामतः वर्ष के दौरान 1220 कर्मचारियों को 3898 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया।

12.1 औद्योगिक-संबंध

नीतिगत मामलों सहित स्थानीय मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से विभिन्न एसोसिएशनों/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं। निगम द्वारा विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों सहित अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रबंधन वर्ग द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरूप कर्मचारी.नियोक्ता संबंधों को बेहतर बनाए रखने में सफलता मिली है तथा वर्ष के दौरान कुल मिलाकर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

13. कारपोरेट कार्यप्रणाली

एक गैर-सूचीबद्ध प्रायवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यप्रणाली संबंधी मानदण्ड अपनाकर एक शालीन शुरूआत की है। शुरूआत में, आपकी कंपनी ने अक्तूबर, 2006 में ऑडिट समिति गठित की और इस रिपोर्ट की अवधि तक इसकी 9 बैठकें हो चुकी हैं। निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों के शामिल होने के फलस्वरूप ऑडिट समिति भी स्वतंत्र

at a cost of Rs. 1.5 crore. An amount of Rs. 8 crore has been given to HP Govt. for construction of new HRTC Bus Stand in Rampur. SJVN has released Rs. 1.5 crore for construction of Sr. Sec. School in Rampur.

12. HUMAN RESOURCES

The total manpower on the rolls of SJVN was 956 as on 31st March 2008 as against 935 as on 31st March 2007. The strength of HPSEB/HP Govt. on deputation on the above date was 772. The strength of SC, ST and OBC employees as on the above date was respectively 171, 52 and 84 as against 194, 49 and 85 during the previous year.

Your company gives utmost importance for the enrichment of skills and towards this in-house and external training programmes are organized in all disciplines and all levels. As a result, during the year, 1220 employees were trained for 3898 man days.

12.1 INDUSTRIAL RELATIONS

Regular Meetings are held with the representatives of the various Associations / Unions to sort out the local issues as well as policy related matters. Recreational, Cultural and Sports functions on different occasions were also held, thus, resulting better employee-employer relations and cordial industrial relations during the year.

13. CORPORATE GOVERNANCE

Although your company is an unlisted private limited company, it started in a modest way by following corporate governance norms. To begin with, your company constituted Audit Committee in October 2006 and till the report, there were 9 Meetings. With the induction of Independent Directors on the Board, the Audit Committee was also reconstituted with the Independent Directors.

निदेशकों के साथ पुनर्गठित की गई है। दूसरे, निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा उप महाप्रबंधक तथा इससे उच्च स्तर के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए आचार संहिता अमल में लाई गई है और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा संबंधित वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने इसका अनुपालन करने की पुष्टि की है।

14 निदेशकों का दायित्व पूर्ण कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करते समयः-

- स्थापित नीतियों से हटने की स्थिति में (यदि कोई हो तो) उचित स्पष्टीकरणों के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन कर उनका अनुकूल रूप से प्रयोग करते हुए (लेखा संबंधी टिप्पणियों में यथोल्लिखित रूप को छोड़कर) निर्णय एवं आकलन किए हैं, जो कि सर्वथा उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सत्य एवं उचित चित्रण किया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखा अभिलेखों का सही ढंग से रख-रखाव करने के लिए उचित एवं पर्याप्त कदम उठाए हैं, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सकेय और
- निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चल रहे कारोबार के आधार पर तैयार किया है।

15 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स आर.बंसल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, चंडीगढ़ को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिनांक 31.3.2008 को समाप्त वर्ष के लेखों के संबंध में सदस्यों को संबोधित सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखा. परीक्षकों की टिप्पणियों के संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के उत्तर क्रमशः अनुलग्नक ''क'' एवं ''ख'' में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 619(4) के अंतर्गत दिनांक 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के

Secondly, a Code of Conduct for Board Members and Senior Management in the level of Deputy General Manager and above was also put in place and all the Members of the Board and Senior Management concerned have affirmed to follow the same.

14. DIRECTORS' RESPONSIBILITIES STATEMENT

The Directors' confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2008:

- the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- that the directors had selected such accounting policies and applied them consistently except as disclosed in the Notes on Accounts and made judgment and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year;
- that the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- that the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

15. AUDITORS REPORT

M/s R. Bansal & Co., Chartered Accountants, Chandigarh, were appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2007-08.

The report of the Statutory Auditors to the Members on the Accounts for the year ended 31.3.2008 and replies of the Management on the qualifications of Statutory Auditors are placed at Annexures 'A' and 'B'. The Comments of C&AG of India under section 619(4) of the

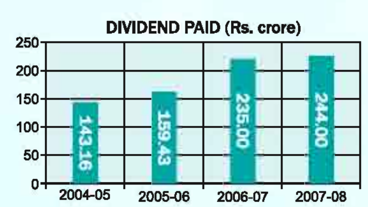

Shri H. K. Sharma, CMD and Shri J. K. Sharma, Director (Civil) receiving the Golden Peacock National Award for ECO-innovation

Shri H. K. Sharma, CMD, receiving the NTPC Rajbhasha Shield from Hon'ble Minister of Power Shri Sushilkumar Shinde

लेखागत विवरण पर भारत के सी. एण्ड ए.जी. की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक ''ग'' में दिए गए हैं।

15.1 लागत लेखा-परीक्षा

केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के यथा रखे गए लागत लेखा रिकाड्र्स की लेखा-परीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार, आपकी कंपनी ने कंपनी मामलों के मंत्रालय की स्वीकृति से श्री के.एस.बर्क, लागत लेखाकार को लेखा परीक्षा हेतु बतौर लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। यह कंपनी के लागत रिकार्डों की तीसरी लागत लेखा-परीक्षा है।

16. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय ने श्री आर.पी.सिह को बतौर पूर्णकालिक निदेशक (विद्युत) नियुक्त किया, जिन्होंने दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को कार्यभार संभाल लिया। अंश-कालिक निदेशकों के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने श्री अजय मित्तल, प्रधान सचिव (पॉवर), हिमाचल प्रदेश सरकार को 11 अप्रैल,2008 को तथा श्री एस.एम.लोधा, पूर्व मुख्य कार्यपालक, मार्मागाँव स्टील्स लिमिटेड, श्री के.एस.गिल, पूर्व प्रमुख अभियंता, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं श्री के.एस.शर्मा, पूर्व मुख्य कार्यपालक, प्रसार भारती को 02 मई, 2008 को नियुक्त किया। सभी गैर.सरकारी अंश-कालिक निदेशकों ने नियुक्ति स्वीकार कर ली है।

निदेशक मंडल इन नियुक्तियों का स्वागत करता है और आशा करता है कि इन नई नियुक्तियों से हासिल होने वाली उनकी सेवाएं निगम की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान करेंगी।

पिछली रिपोर्ट के उपरांत पूर्णकालिक निदेशक श्री आर.डी.प्रभाकर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 से तथा अंशकालिक निदेशक श्री जे.पी. नेगी 02 जनवरी, 2008 से निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे हैं।

निदेशक मंडल उक्त निदेशकों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए योगदान का संज्ञान लेते हुए उनकी सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

Companies Act 1956 on the Accounts for the year ended 31.3.2008 are placed at Annexure `C'.

15.1 Cost Audit

Pursuant to the Central Government directions to audit Cost Accounting Records as maintained by the Company, your Company appointed Shri K.S.Berk, Cost Accountant, as Cost Auditor for the year 2007-08 with the approval of Ministry of Corporate Affairs for the audit. This is the Third Cost Audit of the Company's Cost Records.

16. BOARD OF DIRECTORS

During the year, the Ministry of Power appointed Shri R.P.Singh, as a whole-time Director (Elec). Shri R.P.Singh assumed the charge on 1st November 2007. As regards Part-time Directors, the Ministry of Power appointed Shri Ajay Mittal, Principal Secretary (Power), GOHP on 11th April 2008. The Ministry of Power also appointed Shri S.M.Lodha, former Chief Executive of Murmagao Steels Ltd., Shri K.S.Gill, former Engineer-in-Chief, Punjab State Electricity Board and Shri K.S.Sarma, former Chief Executive of Prasar Bharati as non-official part-time Directors on 02nd May 2008. All the Non-official Part-Time Directors have accepted the appointment.

The Board welcomes their appointment and hopes that their services in their new capacities will be of immense use in furthering the progress of the company.

Since the last Report, Shri R.D.Prabhakar, whole time Director (Elec) ceased with effect from 31st October 2007 on attaining the age of superannuation. Also Shri J.P.Negi, ceased to be the Part-time Director with effect from 02nd January 2008.

The Board noted the contributions made by the above Directors during their tenure and placed on record its highest appreciation for their services.

17. कर्मचारियों संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2-क) के अंतर्गत 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए वांछित सूचना शून्य है।

18. राजभाषा कार्यान्वयन

आपके निगम द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी प्रावधानों को लागू करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों में-हिन्दी पखवाड़े का आयोजन, हिन्दी प्रश्न-मंच, हिन्दी कार्यशाला, समय-समय पर राजभाषा गृहपत्रिका अर्थात् ''हिमशक्ति'' का प्रकाशन तथा मैनुअल आदि का हिन्दी अनुवाद करना सम्मिलित है। कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण देना एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान 168 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपलेखन में भी प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2006-07 में राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रयासों की मान्यता के रूप में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिमला ने आपकी कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) तथा विद्युत मंत्रालय ने सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) से नवाजा है।

19. आभार

निदेशक मंडल केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विशेषतया विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार विशेषतया विद्युत विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेपाल सरकार, उत्तराखण्ड सरकार, राज्य विद्युत बोर्डों, विश्व बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य बैंकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सहयोग के प्रति एवं निगम के कर्मचारियों तथा निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड/हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों एवं उनके अथक परिश्रम के लिए उनका भी आभारी है।

सधन्यवाद।

निदेशक मंडल के लिए एवं इसकी ओर से

(हेमंत कुमार शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : न्यू शिमला
दिनांक : 30 अगस्त, 2008

17. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The information under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956, for the year ending 31st March, 2008 is nil.

18. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

In order to ensure the implementation of the Official Language Policy of the Govt. of India, all possible efforts have been made by the Company to achieve the targets as specified by the Department of Official Language.

Celebration of Hindi Fortnight, quiz competitions, Hindi workshops, publication of house journal i.e. "Himshakti" and translation of manuals into Hindi from time to time are regular feature. Training of employees in Hindi is yet another activity which is given utmost priority. During the year 168 employees were imparted training in usage of Hindi in day to day work. 3 employees were also trained in Hindi typing.

In recognition of efforts for the year 2006-07, in implementation of official language, your company was awarded with TOLIC Rajbhasha Shield (Second Prize) by Town Official Language Committee, Shimla, and NTPC Rajbhasha Shield (Second Prize) by Ministry of Power for best performance.

19. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledge with thanks the guidance and help extended by various Ministries / Departments of the Government of India, particularly, Ministry of Power, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, MOEF, Central Electricity Authority, Central Water Commission, Geological Survey of India, the Government of Nepal, Government of Himachal Pradesh, particularly, Deptt. of Power, Deptt. of Finance, Deptt. of Forests, Pollution Control Board, Government of Uttarakhand, State Electricity Boards, World Bank, Financial Institutions and Banks etc.

The Board also records its deep appreciation of valued cooperation extended by the Office of the Comptroller and Auditor General of India and the Auditors. Last but not least, the Board commends the hard work and dedicated efforts put in by the employees of the Corporation including the employees on deputation at all levels.

Thanking you,

For and on behalf of Board of Directors

(H.K.SHARMA)
Chairman and Managing Director

Place : New Shimla
Date : 30th August, 2008

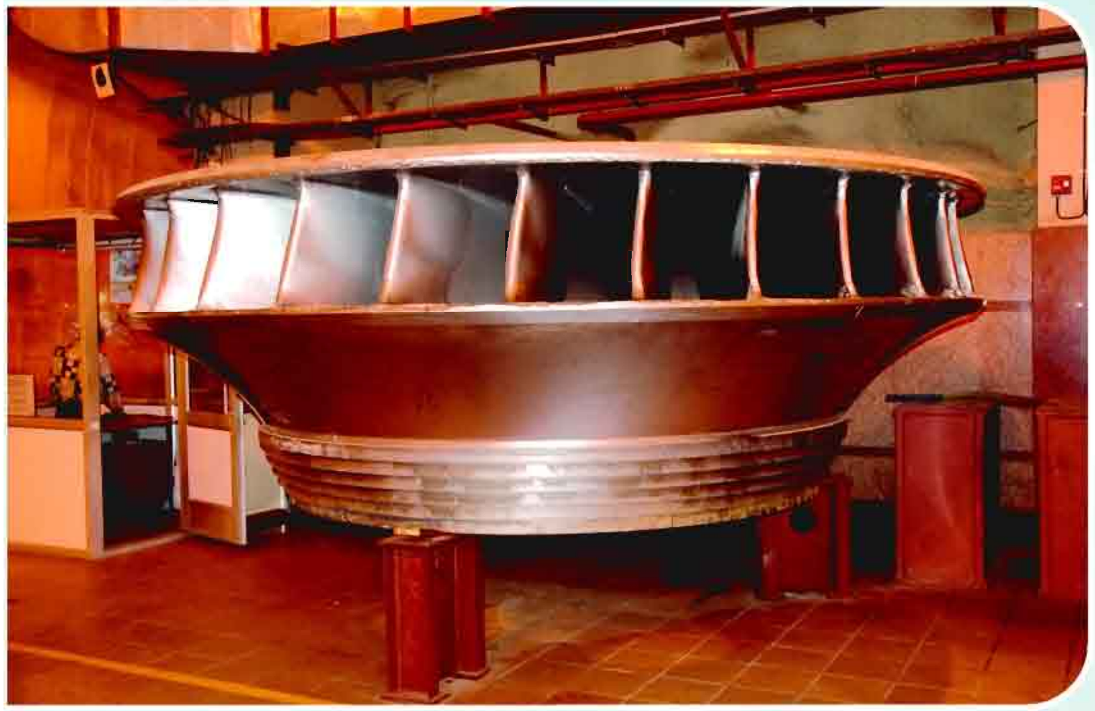

Technology

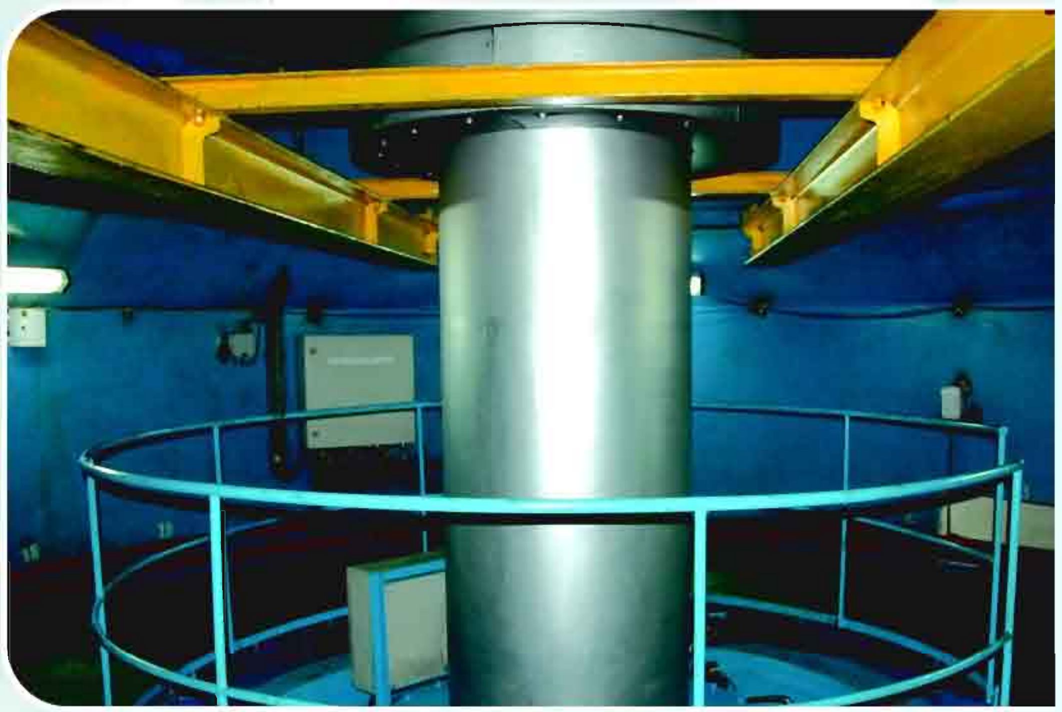

अनुलग्नक - 'क'
Annexure - 'A'

आर. बंसल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

सेवा में
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
के सदस्यों को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के सलंग्न तुलन-पत्र एवं इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा कैश-फ्लो स्टेटमेंट की लेखा-परीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट यह है कि इन वित्तीय विवरणों का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है । हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करने का है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन इस औचित्यपूर्ण आश्वासन लेने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों का खुलासा करते हुए जाँच करना शामिल होता है। प्रयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना तथा साथ ही साथ समग्र रूप से वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारे मत के लिए एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करती है।

3. चूंकि कंपनी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 2003 के तहत नियंत्रणाधीन है, अतः इसके नियमों के साथ पठित इस अधिनियम के प्रावधान (जहां कहीं भी ये कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से असंगत हैं) लागू हुए हैं।

4. यथाअपेक्षित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4-ए) के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी ;लेखा.परीक्षा रिपोर्टद्ध (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा अपेक्षित हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों संबंधी विवरण संलग्न कर रहे हैं।

5. **हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं :**

   i) अनुसूची 20 में नीति सं 3.1
   विषयः उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य का निर्धारण, जिनमें ठेकेदारों के बिलों का निबटान लंबित/विवादाधीन है। समायोजन के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

   ii) अनुसूची.20 में टिप्पण सं. 15 (i) से 15 (viii)

   विषयःलेखागत नीतियों में बदलाव और इनका प्रभाव निम्नवत है :

R. Bansal & Company
Chartered Accountants

To
The Members of
Satluj Jal Vidyut Nigam Limited

AUDITORS' REPORT

1. We have audited the attached Balance Sheet of Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. as at 31st March, 2008, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit report provides a reasonable basis for our opinion.

3. As the Electricity Act, 2003, governs the Company, the provisions of the said Act read with the rules there under have prevailed wherever the same have been inconsistent with the provisions of the Companies Act, 1956.

4. As required by the Companies (Auditors' Report) (Amendment) Order, 2004 issued by the Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure, a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

5. **We draw attention to:**

   i) **Policy No.3.1 of Schedule-20**
   Reg.: Determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending/under dispute. The impact of adjustments is not ascertainable.

   ii) **Note No.15 (i) to 15(viii) of Schedule-20**

   Reg.:Change in Accounting Policies and impact thereof is as follows:

(क) आईईडीसी में रु.40 लाख की वृद्धि।
(ख) शुद्ध ब्लॉक में रु.63384 लाख की वृद्धि।
(ग) मूल्यहास में रु.63384 लाख की कमी।
(घ) लाभ में रु.62892 लाख की वृद्धि।

6. उक्त पैरा 5 तथा तुलन.पत्र के अंग के रूप में लेखागत टिप्पणियों में हमारी दी गई टिप्पणियों के अतिरिक्त हमारी रिपोर्ट यह है कि:

क) हमारे द्वारा सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी ने, कानून के अनुसार अपेक्षित लेखा बहियाँ रखी हैं, ऐसा हमारे द्वारा कंपनी की बहियों की जाँच से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र,लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश-फ्लो विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे अपने विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश-फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 211 (3सी) में वर्णित प्रयोज्य सीमा तक लेखा-मानकों के अनुरूप हैं।

ड.) कंपनी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना सं.एफ.नं.8/5/2001-सीएल. वी. के माध्यम से यह अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम,1956 के भाग 274(1)(जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

च) कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत देय अधिभार राशि का केन्द्र सरकार ने निर्धारण नहीं किया है, यह राशि जमा करवाने के विषय में कंपनी की नियमितता या अन्यथा स्थिति के बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।

छ) हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, लेखा नीतियों (जो कि लेखों का भाग है) के साथ पठित उक्त लेखा, कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी ढंग से देते हैं तथा लेखा सिद्धांतों (जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य हैं) के अनुसार स्पष्ट एवं सही दृश्य प्रस्तुत करता है :

i) कंपनी के कामकाज संबंधी मामलों के दिनांक 31 मार्च,2008 के तुलन-पत्र के संबंध में और

ii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विषय में लाभ एवं हानि खाते के संबंध में।

iii) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के संबंध में कैश-फ्लो विवरण।

कृते आर. बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर.बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं.013000

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008

(a) Increase in IEDC by Rs. 40 Lakh.
(b) Increase in Net Block by Rs .63384 Lakh.
(c) Decrease in Depreciation by Rs.63384 Lakh.
(d) Increase in Profit by Rs.62892 Lakh.

6. Further to our comments in para 5 above and Notes on Accounts forming part of Balance Sheet, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b. In our opinion, the Company as required by Law, has kept proper books of account so far as appears from our examination of books of the Company.

c. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

d. In our opinion and to the best of our information, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956, to the extent applicable.

e. The Ministry of Companies Affairs vides their Notification NO. F. No.8/5/2001-CL.V dated 21st October, 2003 has notified that provision of Section 274 (I) (g) of the Companies Act, 1956, shall not apply to a Government Company.

f. The Central Government has not prescribed the amount of cess payable under Section 441A of the Companies Act, 1956, we are not in a position to comment upon the regularity or otherwise of the Company in depositing the same.

g. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Accounting Policies and Notes thereon forming part of accounts, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2008.

ii. In the case of the Profit & Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date, and

iii. In case of cash flow statement, of the cash flow for the year ended on that date.

For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

(R.S.Bansal)
Partner
Membership No 013000

Place : New Delhi
Date : 29th July, 2008

दिनांक 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष से संबंधित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के खातों संबंधी लेखा.परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा-4 में निर्दिष्ट

(i) (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक एवं इनके स्थान संबंधी जानकारी सहित पूर्ण जानकारी दर्शाने वाले माकूल रिकार्ड रखे हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि अचल परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है। हमारे विचार से सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित की गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में बही रिकार्ड की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई है।

(ग) वर्ष में परिसंपत्तियों के किसी पर्याप्त हिस्से का निपटान नहीं किए जाने के कारण वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा संपत्ति-सूची का यथोचित अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया गया है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन वर्ग द्वारा सामग्री की प्रत्यक्ष जाँच की अपनायी गयी प्रक्रिया, कंपनी के फैलाव तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त है।

(ग) कंपनी संपत्ति सूची का उचित रिकार्ड रख रही है। संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन के समय पाई गई कमियों का लेखा बहियों में उचित ढंग से निपटान किया गया है।

(iii)(क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुरूप कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने किसी भी प्रकार के प्रतिभूति प्राप्त या गैर. प्रतिभूति प्राप्त ऋण न तो लिए हैं और न ही इस प्रकार के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके परिप्रेक्ष में अनुच्छेद (iii) के उप अनुच्छेद (ख), (ग) एवं (घ) लागू नहीं होते।

(ख) कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर के तहत शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है। इसके परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद (iii) के उप.अनुच्छेद (ड.), (च) एवं (छ) अप्रयोज्य हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार संपत्ति सूची की मदों तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा बिजली एवं सेवाओं की बिक्री के लिए

ANNEXURE TO THE AUDITORS REPORT ON THE ACCOUNTS OF SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008.

Referred to in para 4 of our report of even date.

(i)(a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) We are informed that the fixed assets have been physically verified by the management during the year. In our opinion the frequency of verification is reasonable. As per the information given to us by the management, no material discrepancies as compared to book records were noticed in respect of fixed assets physically verified during the year.

(c) Since there is no disposal of a substantial part of fixed assets during the year, the preparation of financial statements on a going concern basis is not affected on this account.

(ii)(a) The inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals.

(b) In our opinion, the procedure of physical verification of inventories followed by management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

(c) The Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification of inventories, wherever material, have been properly dealt within the books of account.

(iii)(a) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to Companies, firms or other parties listed in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. In view of this, sub clauses (b), (c) and (d) of clause (iii) are not applicable.

(b) The Company has not taken any loans secured or unsecured from Companies, firms or other parties listed in the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. In view of this, sub clauses (e), (f) & (g) of clause (iii) are not applicable.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control procedure commensurate with the

कंपनी के आकार तथा बिजनेस के स्वरूप के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।

(v) हमें दी गई सूचना के अनुसार पाँच लाख रूपए से अधिक की राशि का कोई भी सौदा नहीं हुआ है, जिसकी कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अनुरूप रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी आवश्यक है।

(vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार की जमाराशियाँ प्राप्त नहीं की हैं। परिणामस्वरूप, कंपनी पर कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58-क एवं 58-क-क और कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियम,1975 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(vii) यद्यपि कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है तथा कुछ क्षेत्रों की लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा भी कराई जाती है। तथापि, इसमें सम्मिलित किए गए कार्य का क्षेत्र, रिपोर्टिंग प्रणाली एवं तत्संबंधी अनुपालन और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त को छोड़कर, वर्तमान आंतरिक लेखा.परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के अनुरूप है।

(viii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित लागत संबंधी रिकार्ड रखे हैं। यद्यपि, यह रिकार्ड सही एवं पूर्ण है, यह तय करने के लिए हमने इसकी विस्तृत जाँच नहीं की है।

(ix) कंपनी ने छोट-मोटे ठेकेदारों के श्रम संबंधी मामलों (जहाँ प्राधिकारियों द्वारा पी.एफ. कोड का आबंटन नहीं किया गया है) को छोड़कर भविष्य निधि, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर सहित सभी प्रकार के गैर.विवादित सांविधिक देय तथा 95.68 लाख रुपए की अनुसंधान एवं विकासगत अधिभार कर देयता प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित मामलों के संबंध में उठाई गई निम्नलिखित मांगों को छोड़कर लेखा बहियों में आय कर/बिक्री कर/संपत्ति कर/ सेवा कर/ सीमा. शुल्क/आबकारी कर/अधिभार के लिए कोई विवादित बकाया शेष नहीं है।

अधिनियम का नाम	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)	जिस फोरम में मामला लंबित है
केन्द्रीय आबकारी अधिनियम,1944	आबकारी शुल्क दंड	1.00	सीईएसटीएटी

(x) कंपनी को न ही रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष या गत वर्ष के दौरान और न ही इसके तुरंत पूर्व वर्ष में नकदी की हानि हुई है।

size of the Company and the nature of its business for the purchase of inventories, fixed assets and for the sale of power and services.

(v) As informed to us, there is no transaction exceeding rupees five lacs, which need to be entered in a register in pursuance of section 301 of the Companies Act, 1956.

(vi) The Company has not accepted any deposits from the public and consequently the provisions of section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 are not applicable.

(vii) Although the Company has an Internal Audit department and also some of the areas got audited by a firm of Chartered Accountants, scope of work covered, reporting system, compliance thereof need to be further strengthened. Subject to above the existing internal audit system is commensurate with its size and nature of its business.

(viii) In our opinion and as informed to us, the Company has maintained cost records as required under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.

ix) Undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Wealth Tax, Service Tax, Sales Tax and any other statutory dues have been generally deposited by the Company in time with appropriate authorities except in the cases of petty contractors' labour where P.F. Code has not been assigned by the appropriate authorities and R&D cess tax liability of Rs.95.68 Lakh. The provisions of Employees' State Insurance are not applicable to the Company.

According to the information and explanation given to us, there are no disputed dues outstanding in the books of account for income tax / sales tax /wealth tax / service tax / custom duty / excise duty /cess except for the following demands raised on disputed matters pending before appropriate authorities:

Name of Statue	Nature of the Dues	Amount (Rs. In Lacs)	Forum where dispute is pending
The Central Excise Act 1944	Excise Duty Penalty	1.00	CESTAT

(x) The Company has not incurred cash losses either during the financial year under report or in the previous year.

(xi) वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को देय के पुनर्भुगतान में कंपनी ने किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय में, ऐसे मामले में, जहां कंपनी ने अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत किए हैं, वहाँ उचित दस्तावेज एवं रिकार्ड रखे हैं।

(xiii) कंपनी किसी भी प्रकार की चिटफण्ड, निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फण्ड/सोसायटी नहीं है।

(xiv) कंपनी किसी भी प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।

(xv) किसी भी के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में कंपनी ने किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।

(xvi) सावधि ऋणों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए ये ऋण लिए गए थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के तुलन-पत्र के समूचे मुआयने के अनुसार हमारी यह रिपोर्ट है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि निवेश हेतु नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों तथा पार्टियों को कंपनी ने (शेयरों का) किसी भी प्रकार का अधिमान आबंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के डिबेंचर्स जारी नहीं किए गए हैं। अतः तत्संबंधी किसी भी प्रकार की प्रतिभूति अथवा चार्ज निर्मित नहीं किया गया है।

(xx) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी पब्लिक इश्यू नहीं निकाला गया।

(xxi) हमारे द्वारा की गई जाँच के दौरान तथा प्रबंधन वर्ग के प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षाधीन रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

कृते आर. बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर.बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं.013000

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 जुलाई,2008

(xi) The Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions or banks.

(xii) In our opinion, adequate documents and records are maintained in case where the Company has granted loans and advances on the basis of other securities.

(xiii) The Company is not a chit fund, nidhi or mutual benefit fund/society.

(xiv) The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments.

(xv) The Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.

(xvi) The term loans were applied for the purpose of which the loans were obtained.

(xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment.

(xviii) The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and Companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act.

(xix) The Company has not issued debentures and hence no securities have been created in respect thereof.

(xx) No public issue was made by the Company during the year.

(xxi) During the checks carried out by us and as per management representation, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the year under report.

For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

(R.S.Bansal)
Partner
Membership No 013000

Place : New Delhi
Date : 29th July, 2008

अनुलग्नक - 'ख'
Annexure - 'B'

निगम के वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन वर्ग के उत्तर

MANAGEMENT 'S REPLY ON STATUTORY AUDITOR'S QUALIFICATIONS ON ANNUAL ACCOUNTS OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2007-08

सांविधिक लेखा.परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की अनुसूची-20 के नीति क्र.3.1 एवं नोट सं. 15 (i) से (viii) के प्रति ध्यान आकर्षित किया है।

नीति सं.3.1 के तहत उन मामलों में अचल परिसंपत्तियों के अंतिम मूल्य के निर्धारण का आधार स्पष्ट किया गया है, जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अंतिम रूप से निपटान अभी लंबित / विवादाधीन है। इसे लेखा संबंधी नीति के मुताबिक लेखागत किया गया है।

नोट सं.15 (i) से (viii) में यथा आवश्यक अपेक्षित है, लेखा नीतियों और उनके प्रभावों के विषय में बताया गया है।

The Statutory Auditors in their Report have drawn attention to Policy No.3.1 and Note No.15(i) to (viii) of Schedule-20 of the Financial Statements.

The Policy No. 3.1 explains the basis of determination of final value of fixed assets in cases where final settlement of bills with the contractors is pending/under dispute. Accounting treatment has been accorded as per the Accounting Policy.

Note No.15 (i) to (viii) discloses the changes in the Accounting Policies and impact thereof as required mandatorily.

अनुलग्नक - 'ग'
Annexure - 'C'

दिनांक 31 मार्च,2008 को समाप्त वर्ष के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LIMITED, SHIMLA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2008.

कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला का दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी पर है। भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619 (2) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी व्यावसायिक संस्था दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के प्रति जिम्मेदार है। यह सूचित किया गया है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 29 जुलाई, 2008 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार निष्पादित कर दिया है।

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619 (3) (ख) के अनुसार सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा–परीक्षा संपन्न की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा.परीक्षकों की टिप्पणियों का संदर्भ लिए बिना स्वतंत्र रूप से संपन्न की गई है और यह प्राथमिक तौर पर सांविधिक लेखा.परीक्षकों तथा कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखापरक रिकार्ड की चुनिंदा जाँच तक सीमित है। मेरे द्वारा संपन्न लेखा.परीक्षा से मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित नहीं हुआ है, जो सांविधिक लेखा–परीक्षकों की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपरकता का रूप ले सके।

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(गज़ाला मीनाई)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा.परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2008

The preparation of financial statements of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Shimla for the year ended 31 March, 2008 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956, is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956, are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956, based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 July, 2008.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956, of the financial statements of Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Shimla for the year ended 31 March, 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Ghazala Meenai)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - III
New Delhi

Place : New Delhi
Date : 29 August, 2008

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
निधियों के स्रोत **SOURCES OF FUNDS**				
शेयरधारकों की निधियाँ **SHAREHOLDERS' FUNDS**				
शेयर पूंजी Share Capital	1	410,881		410,881
आरक्षित एवं अधिशेष Reserves and Surplus	2	129,759		81,854
			540,640	**492,735**
ऋण निधियाँ **LOAN FUNDS**				
प्रतिभूति सहित ऋण Secured Loans	3	171,093		220,383
प्रतिभूति रहित ऋण Unsecured Loans	4	30,915		33,737
			202,008	**254,120**
अग्रिम के रूप में हुई आय (मूल्यह्रास के लिए अग्रिम) **INCOME RECEIVED IN ADVANCE** (Advance Against Depreciation)			**70,480**	—
आस्थगित कर देयता (शुद्ध) **DEFERRED TAX LIABILITY (NET)**				
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		223		(17,983)
घटाएँ: उगाहनीय Less: Recoverable		223		(17,983)
			—	—
			813,128	**746,855**
निधियों का उपयोग **APPLICATION OF FUNDS**				
अचल परिसंपत्तियाँ **FIXED ASSETS**	5			
सकल ब्लाक Gross Block		845,184		817,771
घटाएँ: मूल्यह्रास Less: Depreciation		112,438		136,726
निवल ब्लाक **Net Block**		732,746		**681,045**
चालू पूंजीगत कार्य Capital Works In Progress	6	26,098		14,785
पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम Advances for Capital Works	7	6,155		1,735
निर्माण भण्डारण एवं स्पेयर्स Construction Stores and Spares	8	66		1,358
			765,065	**698,923**
निवेश **INVESTMENTS**	9		—	—

31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम **CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**	10			
संपत्ति सूची Inventories		5,363		5,871
विविध कर्जदार Sundry Debtors		11,609		14,082
रोकड़ एवं बैंक अधिशेष Cash and Bank Balances		69,360		62,104
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ Other Current Assets		3,286		2,353
ऋण एवं अग्रिम Loans and Advances		66,626		32,633
		156,244		**117,043**
घटाएँ: चालू देयताएँ एवं प्रावधान **Less: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**				
देयताएँ Liabilities	11	61,026		33,943
प्रावधान Provisions	12	47,155		35,374
		108,181		**69,317**
निवल चालू परिसंपत्तियाँ **Net Current Assets**			**48,063**	**47,726**
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले जाने या समायोजित न किए जाने की सीमा तक) **MISCELLANEOUS EXPENDITURE** (To the extent not written off or adjusted)			—	**206**
योग **Total**			**813,128**	**746,855**

लेखा संबंधी नीतियाँ, लेखा संबंधी टिप्पणियाँ अनुसूची 1 से 20 लेखों का एक अभिन्न अंग हैं।
Accounting Policies & Notes on Accounts 20
Schedules 1 to 20 form integral part of accounts

कृते आर. बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस. बंसल भागीदार एम. नं. 013000 R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008
Place : New Delhi
Date : July 29, 2008

31 मार्च,2008 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा विवरण
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31 मार्च, 2008 को समाप्त वष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
आय **INCOME**					
बिक्री Sales	13	150,426		160,971	
घटाएँ: Less:					
टैरिफ समायोजन Tariff Adjustment		6,456		(852)	
अग्रिम के प्रति मूल्यह्रास Advance Against Depreciation		18,936		—	
			125,034		161,823
अन्य आय Other Income	14		33,187		4,740
योग **Total**			**158,221**		**166,563**
व्यय **EXPENDITURE**					
उत्पादन प्रशासन व अन्य व्यय Generation, Administration and Other Expenses	15		10,643		14,010
मूल्यह्रास Depreciation			25,981		46,615
पिछले वर्षों के रिट्टन बैक के लिए मूल्यह्रास प्रावधान (अनुसूची .20 के लेखा संबंधी टिप्पणियों के नोट सं.6 तथा 15(iv) देखें) Depreciation provision of earlier years written back (Refer Note No.6 and 15(iv) of Notes on Accounts, Schedule 20)			(50,693)		—
प्रावधान एवं राइट बैक (शुद्ध) Provisions and Write Back (Net)	16		6,397		12
ब्याज एवं वित्त प्रभार Interest and Finance Charges	17		22,436		27,118
योग **Total**			**14,764**		**87,755**
कर से पहले लाभ तथा पूर्व अवधि समायोजन **Profit Before Tax and Prior Period Adjustments**			**143,457**		**78,808**
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) Prior Period Adjustments(Net)	18		55,034		(3,773)
कर से पहले लाभ **PROFIT BEFORE TAX**			**88,423**		**82,581**
कर के लिए प्रावधान **Provision for Taxation**					
चालू वर्ष Current Year		10,024		9,271	
आरंभिक वर्षों से संबंधित समायोजन Adjustments relating to earlier years		1,883		—	
फ्रिंज लाभ कर Fringe Benefit Tax					
चालू वर्ष Current Year		64		71	
आरंभिक वर्षों से संबंधित समायोजन Adjustments relating to earlier years		—		(33)	

31 मार्च,2008 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा विवरण
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
संपत्ति कर Wealth Tax		1	11,972	1	9,310
आस्थगित कर Deferred Tax		18,206		6,464	
घटाएं: उगाहनीय/देय Less: Recoverable / Payable		18,206	—	6,464	—
कराधान के लिए सकल प्रावधान **Total Provision for Taxation**			**11,972**		**9,310**
कर के पश्चात् लाभ **PROFIT AFTER TAX**			**76,451**		**73,271**
पिछले वर्ष से अग्रेनीत शेष Balance brought forward from last Year			81,854		35,879
विनियोग के लिए कुल उपलब्धता Total available for Appropriation			**158,305**		**109,150**
विनियोग **Appropriations**					
लाभांश **Dividend**					
- अंतरिम - Interim		13,600		6,667	
- प्रस्तावित - Proposed		10,800		16,833	
कुल लाभांश **Total Dividend**			**24,400**		**23,500**
लाभांश पर कर **Tax on Dividend**					
- अंतरिम - Interim		2,311		935	
- प्रस्तावित - Proposed		1,835		2,861	
लाभांश पर कुल कर **Total Tax on Dividend**			**4,146**		**3,796**
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष **Balance carried to Balance Sheet**			**129,759**		**81,854**
प्रति शेयर आय (रु.1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर) **Earning Per Share (Equity Share, face value of Rs.1000 each) -**					
बेसिक एवं डायल्यूटेड **Basic and Diluted**			**186.07**		**178.33**

कृते आर. बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस. बंसल भागीदार एम. नं. 013000 R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008
Place : New Delhi
Date : July 29, 2008

अनुसूची - 1
SCHEDULE - 1
शेयर पूंजी
SHARE CAPITAL

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
प्राधिकृत पूंजी		
AUTHORISED *		
प्रत्येक रू.1000/- के 45,000,000 (गत वर्ष 45,000,000) इक्विटी शेयर		
45,000,000(Previous Year 45,000,000) Equity Shares of Rs 1000/- Each	450,000	450,000
जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक रू.1000/- के 41088140 (गत वर्ष 41088140) पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर नकदी के अलावा उक्त में से 1,46,923 शेयर (गत वर्ष 1,46,923 शेयर) पूर्ण प्रदत्त शेयरों के रूप में आबंटित किए गए हैं।		
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
41088140(Previous Year 41088140) Equity Shares of Rs 1000/- each fully paid up. Of the above shares, 1,46,923 shares (Previous Year 1,46,923 Shares) were allotted as fully paid up for consideration other than cash.	410,881	410,881
योग		
Total	**410,881**	**410,881**

*कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिकृत पूंजी में 700000 लाख रुपए की वृद्धि अनुमोदित की है, जो सरकार के अनुमोदनाधीन है।

***The Board of Directors of the Company has approved increase in the Authorised Capital to Rs.700000 Lakh which is in the process of Govt. approval.**

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2
आरक्षित एवं अधिशेष
RESERVES AND SURPLUS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
लाभ एवं हानि खाता		
Profit & Loss Account		
अंतिम तुलन.पत्र के अनुसार		
As per last Balance Sheet	81,854	35,879
जमा: वर्ष के दौरान संवर्धन		
Add: Additions during the year	76,451	73,271
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		
Less: Adjustments during the year	28,546	27,296
तुलन.पत्र में अग्रेनीत शेष		
Balance carried to Balance Sheet	**129,759**	**81,854**

अनुसूची - 3
SCHEDULE - 3
प्रतिभूति सहित ऋण
SECURED LOANS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
प्रतिभूति सहित ऋण		
SECURED LOANS		
पावर फाइनैंस कारपोरेशन* Power Finance Corporation*	97,065	111,445
आर.ई.सी. लिमिटेड* REC Limited*	31,412	37,123
भारतीय जीवन बीमा निगम* Life Insurance Corporation of India*	27,628	32,890
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया * United Bank of India *	625	2,625
देना बैंक * Dena Bank *	1,531	4,031
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स * Oriental Bank of Commerce *	1,438	3,938
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया * Union Bank of India *	1,312	3,938
जे.एण्ड के.बैंक * J & K Bank *	1,344	3,719
यूको बैंक * UCO Bank *	1,438	3,938
बैंक ऑफ इंडिया * Bank of India *	1,312	3,937
बैंक ऑफ महाराष्ट्र * Bank of Maharashtra *	1,250	3,500
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर * State Bank of Mysore *	632	1,880
पंजाब नैशनल बैंक * Punjab National Bank *	1,250	3,750
सिंडीकेट बैंक* Syndicate Bank*	188	438
इंडियन ओवरसीज़ बैंक* Indian Overseas Bank*	375	875
आंध्रा बैंक * Andhra Bank *	281	656
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया # Central Bank of India #	2,012	1,700
योग **Total**	**171,093**	**220,383**
आगामी वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि Amount due for repayment within next one year	**40,339**	**51,304**

* अनुसूची-4 में दर्शाई विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरण पर नकारात्मक धारणाधिकार (Lien) के अध्यधीन पहले से ही निर्मित प्रभार में समरूप प्रभार सहित नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन की वर्तमान तथा भविष्य की सभी अचल परिसंपत्तियाँ तथा बही ऋण प्रभार प्रथम प्रभार के रूप में साम्यिक बंधक/दृष्टिबंधन द्वारा सुरक्षित

* Secured by equitable mortgage/hypothecation of all present & future fixed assets and book debts of NJHPS as first charge ranking pari passu with charge already created subject to negative lien on the equipment financed under foreign currency loans shown in Schedule-4.

टीडीआर के लिए अल्पावधि, प्रतिभूति सहित
Short Term, Secured against TDRs.

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4
प्रतिभूति रहित ऋण
UNSECURED LOANS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007	
प्रतिभूति रहित ऋण **UNSECURED LOANS**				
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)* **Foreign Currency Loans (Guaranteed by Government of India) ***				
क्रेडिटेंस्टाल्ट फुर वाइडरआफबाउ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी, एफ-2402 Kreditanstalt fur Wiederaufbau(Kfw), Germany, F-2402	6,153		8,609	
कंर्सोटियम ऑफ स्विस बैंक, स्विटजरलैंड (निर्यात ऋण) Consortium of Swiss Banks, Switzerland(Exp. Credit)	3,289		4,418	
एक्सपोर्टफिनान्स, नार्वे Eksportfinans, Norway	5,665		6,561	
नार्डिक इन्वैस्टमेंट बैंक, फिनलैंड Nordic Investment Bank, Finland	3,321		4,142	
बैंक नैशनल दि पेरिस, फ्रांस (निर्यात ऋण) Banque Nationale De Paris, France(Exp. Loan)	8,680		10,007	
		27,108		33,737
घरेलू ऋण **Domestic Loans**				
कामकाजी पूंजीगत ऋण (अल्पावधि) Working Capital Loan(Short term)		3,807		—
योग **Total**		30,915		33,737
आगामी वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि Amount due for repayment within next one year		12,686		8,238

*संबंधित ऋण के प्रतिज्ञा.पत्र के साथ वित्त पोषित उपकरण पर शेष परिसंपत्तियों पर समान रूप से अधिकार
*Loans are with covenant of negative lien on the equipment financed under the respective loan ranking pari passu.

अनुसूची - 5
SCHEDULE - 5
अचल परिसंपत्तियाँ
FIXED ASSETS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

क्र.सं. Sl.No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block				मूल्यह्रास Depreciation				निवल ब्लॉक Net Block	
		01.04.07 की स्थिति As at 01-04-07	वर्ष के दौरान संवर्धन Additions during the year	कटौतियाँ/समायोजन Deductions/ Adjustments	31.03.08 की स्थिति As at 31-03-08	01.04.07 की स्थिति Upto 01-04-07	वर्ष के लिए For the year	कटौतियाँ/समायोजन Deductions/ Adjustments	31.03.08 की स्थिति Upto 31-03-08	31.03.08 की स्थिति As at 31-03-08	31.03.07 की स्थिति As at 31-03-07
1	भूमि (फ्रीहोल्ड) Land(Freehold)	8,145	1,952	64	10,033	—	—	—	—	10,033	8,145
2	भूमि (लीजहोल्ड) Land(Leasehold)	36	—	—	36	1	—	(1)	2	34	35
3	भवन Buildings	64,912	9,160	49	74,023	6,021	2,559	296	8,284	65,739	58,891
4	सड़क एवं पुल Roads and Bridges	3,687	577	2	4,262	222	87	(40)	349	3,913	3,465
5	संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	1,157	158	—	1,315	201	112	(108)	421	894	956
6	उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी Generating Plant and Machinery	181,995	2,767	4	184,758	34,551	7,875	9,531	32,895	151,863	147,444
7	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि) Hydraulic Works(Dam, Tunnel, etc.)	547,291	12,620	1,049	558,862	87,799	14,978	41,013	61,764	497,098	459,492
8	वाहन Vehicles	175	7	4	178	49	39	(11)	99	79	126
9	फर्नीचर, फिक्चर एवं उपस्कर Furniture, Fixture and Equipments	317	93	—	410	127	56	3	180	230	190
10	विद्युत कार्य Electrical Works	1,418	442	5	1,855	201	55	56	200	1,655	1,217
11	विद्युत उपकरण Electrical Equipments	56	10	5	61	18	6	1	23	38	38
12	कार्यालय उपकरण Office Equipments	554	64	(2)	620	110	59	(21)	190	430	444
13	डाटा प्रोसेसिंग उपकरण Data processing Equipments	545	71	2	614	224	143	(24)	391	223	321
14	अमूर्त परिसंपत्तिः **Intangible Assets:**										
	...सॉफ्टवेयर ...Software	193	11	—	204	119	36	—	155	49	74
	...प्रतिपूरक वन्यारोपण पर व्यय ...Expenditure on Compensatory Afforestation	—	489	—	489	—	196	—	196	293	—
15	कंपनी की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियाँ Capital Assets not owned by Company	7,290	175	1	7,464	7,083	206	—	7,289	175	207
	योग **Total:**	**817,771**	**28,596**	**1,183**	**845,184**	**136,726**	**26,407**	**50,695**	**112,438**	**732,746**	**681,045**
	गत वर्ष **Previous Year :**	**797,261**	**22,071**	**1,561**	**817,771**	**90,941**	**47,100**	**1,315**	**136,726**	**681,045**	**706,320**

वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आबंटन निम्नवत् है:— Depreciation for the year is allocated as given below:-	चालू वर्ष **Current Year**	गत वर्ष **Previous Year**
लाभ एवं हानि खाते के प्रति प्रभारित Charged to Profit and Loss Account	**25,981**	46,615
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय के प्रति प्रभारित (अनुसूची-19) Charged to Incidental Expenditure During Construction (Schedule-19)	**326**	48
पूर्वअवधि के प्रति प्रभारित (अनुसूची-18) Charged to Prior Period (Schedule-18)	**96**	434
सीडब्ल्यूआईपी के प्रति प्रभारित (अनुसूची-6) Charged to CWIP (Preliminary Schedule-6)	**4**	3
लाभ व हानि खाते में रिट्टेन बैक Written Back in Profit and Loss Account	**50,693**	—
वर्ष के दौरान प्रापण और पूर्णतः मूल्यह्रासित की गई रु.5000/. अथवा इससे कम मूल्य तक की अचल परिसंपत्तियों को बट्टेखाते में डाला जाता है। Fixed Assets costing Rs. 5000 or less procured and depreciated fully during the year.	**48**	37

अनुसूची - 6
SCHEDULE - 6
चल रहे पूंजीगत कार्य
CAPITAL WORKS-IN-PROGRESS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.07 की स्थिति As at 31-03-07	वर्ष के दौरान संवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन Transfers/ Adjustments during the year	31.03.08 को योग Total as on 31-03-08	वर्ष के दौरान पूंजीगत की गई राशि Capitalised During the Year	31.03.08 को अधिशेष Balance as at 31.03.08
1	भवन Buildings	1,063	858	55	1,866	1,338	528
2	सिविल कार्य Civil Works	1,275	26,055	988	26,342	19,182	7,160
3	सड़क, पुल एवं पुलियाँ Roads, Bridges & Culverts	635	837	57	1,415	573	842
4	विद्युत कार्य Electrical Works	1	140	—	141	39	102
5	ठेकेदारों के पास पूंजीगत परिसंपत्तियाँ (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पैकेज) Capital Assets with Contractors (Electro Mechanical Packages)	2,238	2,081	302	4,017	3,291	726
6	प्रारंभिक Preliminary	1,903	604	(69)	2,576	5	2,571
7	कंपनी की स्वामित्व रहित पूंजीगत परिसंपत्तियाँ Capital Assets not owned by Company	489	960	1	1,448	159	1,289
8	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (अनुसूची-19) Incidental Expenditure During Construction (Schedule-19)	7,181	5,841	142	12,880	—	12,880
	योग **Total**	**14,785**	**37,376**	**1,476**	**50,685**	**24,587**	**26,098**
	गत वर्ष **Previous Year**	**8,868**	**21,148**	**1,166**	**28,850**	**14,065**	**14,785**

अनुसूची - 7
SCHEDULE - 7
पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम
ADVANCES FOR CAPITAL WORKS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007	
रक्षित (उपकरणों को दृष्टिबंधक रखकर) **Secured** (By hypothecation of Equipment)		620		164
प्रतिभूति रहित - वापसी सुनिश्चित **Unsecured - Considered Good**				
बैंक गारन्टीयुक्त Covered by Bank Guarantees	4,902		1,151	
अन्य Others	628		420	
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज Accrued Interest on Advances to Contractors	5		—	
कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम **Total Unsecured Advances**		5,535		1571
योग **Total**		6,155		1,735
घटाएँ: अशोध्य/संदिग्ध ऋणों संबंधी मामलों के लिए प्रावधान Less: Provision for Bad/Doubtful Cases		—		—
शुद्ध अग्रिम **Net Advances**		6,155		1,735

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8
निर्माण पूंजीगत भण्डारण एवं स्पेयर्स
CONSTRUCTION STORES & SPARES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
निर्माण भण्डारण (लागत पर) (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित) **CONSTRUCTION STORES (At Cost)** (As certified by Management)		
इस्पात Steel	60	113
सीमेंट Cement	6	11
मार्गस्थ सामग्री Material in Transit	—	1,234
योग **Total**	**66**	**1,358**

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9
निवेश
INVESTMENTS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
गैर-व्यावसायिक निवेश अनकोटेड (लागत पर) **Non Trade Investment- Others Unquoted (at Cost)**		
नाथपा झाकड़ी परियोजना कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार, झाकड़ी में प्रत्येक रु.50/- के 60 पूर्णतया प्रदत्त साधारण शेयर 60 Fully Paid up Ordinary Shares of Rs 50/- each in NJP Employees Consumer Co-operative Store, Jhakri	—	—
योग **Total**	—	—

निवेशित राशि केवल रु.3000/- है, जिसे शून्य के बराबर लिया गया है।
Amount of investment being Rs.3000/- only, has been rounded off to nil.

अनुसूची - 10
SCHEDULE - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008			31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007	
संपत्ति सूची (लेखा नीति सं. 8 के अनुरूप मूल्यांकित)					
INVENTORIES (Valued as per Accounting Policy No.8)					
अबद्ध औजार					
Loose Tools	5			5	
उपकरण तथा स्पेयर्स					
Components and Spares	2,943			2,963	
उपभोज्य भण्डारण तथा स्पेयर					
Consumable Stores & Spares	2,415			2,888	
अधिशेष भण्डारण/उपकरण					
Surplus Stores/Equipments	104			334	
घटाएँ: कमी तथा अप्रयुक्त मदों के लिए प्रावधान	5,467			6,190	
Less: Provision for Shortage and Obsolescence	104			319	
		5,363		5,871	
			5,363		5871
विविध कर्जदार					
SUNDRY DEBTORS					
छह माह से अधिक बकाया					
Outstanding over six months					
-प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)					
-Unsecured (considered good)		1,050		—	
अन्य					
Others					
-प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)					
-Unsecured (considered good)		10,559		14,082	
			11,609		14082
नकद एवं बैंक अधिशेष					
CASH & BANK BALANCES					
-उपलब्ध रोकड़					
-Cash on Hand		1		2	
-उपलब्ध चेक एवं ड्राफ्ट					
-Cheques & Drafts in hand		11		—	
-अनुसूचित बैंकों में अधिशेष					
-Balances with scheduled banks :					
-चालू खाते					
-Current Accounts		231		101	
-अल्पावधि जमा राशियाँ $					
-Short Term Deposits $		69,117		62,001	
			69,360		62104
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ					
OTHER CURRENT ASSETS					
प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज					
Interest Accrued but not due :					
-बैंकों में जमा अल्पावधि जमाराशियों पर					
-On Short Term Deposits with Banks			3,286		2353

अनुसूची - 10
SCHEDULE - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007
ऋण एवं अग्रिम*			
LOANS AND ADVANCES*			
ऋण			
LOANS			
कर्मचारी			
Employees			
- प्रतिभूति प्राप्त			
- Secured	821		660
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured(considered good)	107		91
		928	751
अग्रिम			
ADVANCES			
नकद या वस्तु अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम			
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received			
क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकार			
a) Contractors & Suppliers			
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured (considered good)	10,480		11,882
- संदिग्ध			
- Considered doubtful	10		9
	10,490		11,891
घटाएँ: अशोध्य अग्रिमों के लिए प्रावधान			
Less: Provision for doubtful advances	10		9
		10,480	11,882
ख) डिपाजिट कार्यों के लिए सरकारी विभाग			
b) Govt. Deptts.for Deposit Works		962	1,225
ग) कर्मचारी (प्रतिभूति रहित अग्रदाय सहित) परंतु वसूली सुनिश्चित			
c) Employees[including imprest unsecured (considered good)]		138	105
घ) अन्य			
d) Others			
- प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित)			
- Unsecured (considered good)	1,568		1,382
- संदिग्ध			
- Considered doubtful	4		—
	1,572		1,382
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			
Less: Provision for doubtful advances	4		—
		1,568	1,382
ङ) बीमा कंपनियों से वसूली			
e) Recoverable from Insurance Company		25,744	—
च) प्रतिभूति जमा राशियाँ:			
f) Security Deposit with:			
- सरकारी विभाग			
- Government Departments	86		87

अनुसूची - 10
SCHEDULE - 10
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008			31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007	
– अन्य - Others	6			5	
		92		92	
छ) पूर्व प्रदत्त व्यय g) Prepaid Expenses		10		1,746	
ज) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार.चढ़ाव संबंधी परिसंपत्तियाँ h) Deferred Foreign Currency Fluctuation Assets		2,017		—	
झ) अग्रिम रूप से अदा कर तथा स्रोत पर कर कटौती i) Advance Tax Deposit and Tax Deducted at Source		24,310		15,111	
ञ) स्टॉफ अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज j) Interest Accrued on Staff Advances:-					
– प्रतिभूति सहित - Secured	344			295	
– प्रतिभूति रहित (परंतु वसूली सुनिश्चित) - Unsecured (considered good)	33			44	
		377		339	
			66,626		32,633
योग Total			156,244		117,043

$ इसमें रु.2118 लाख (गत वर्ष रु. 2388 लाख) शामिल हैं, जिस पर लघु अवधि ऋण/बही ओवरड्राफ्ट लिया गया है (अनुसूची-3 एवं 11 में दर्शाया गया है) तथा रु.1229 लाख (गत वर्ष रु. 1451 लाख) जो पुनर्ग्रहणाधिकार में हैं।

$ Includes Rs 2118 Lakh (Previous year Rs. 2388 Lakh) against which short term loan/book overdraft has been taken (shown in Schedule-3 & 11) and Rs 1229 Lakh (Previous year Rs. 1451 Lakh) which are under lien.

* ऋण एवं अग्रिमों के विवरण, जो निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा देय है: * Particulars of Loans and Advances due from Directors and officers:	अधिकतम राशि Maximum Amount			
	2007-08		2006-07	
कंपनी के निदेशकों द्वारा देय Due from Directors of the company	25	10	8	1
कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय Due from Officers of the company	232	169	202	128

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11
चालू देयताएँ
CURRENT LIABILITIES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 की स्थिति As at 31st March, 2007	
चालू देयताएँ **CURRENT LIABILITIES**				
विविध ऋणदाता Sundry Creditors				
लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम Small Scale Industrial Undertakings	—		—	
अन्य Others	48,602		22,924	
बुक ओवरड्राफ्ट (बैंक) Book Overdraft (Banks)	106		688	
		48,708		23,612
ठेकेदारों एवं अन्य से जमा राशियाँ, प्रतिधारण राशि Deposits, Retention Money from Contractors and Others	2,843		2,648	
घटाएं : प्रतिभूति के रूप में रखे गए निवेश Less: Investments held as Security	243		184	
		2,600		2,464
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव संबंधी देयता Deferred Foreign Currency Fluctuation Liability		2,899		—
अन्य देयताएँ Other Liabilities		2,793		2,788
प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज: Interest Accrued but not due on:				
- विदेशी मुद्रा ऋण - Foreign Currency Loans	238		314	
- भारतीय मुद्रा ऋण - Term Loans in Indian Currency	3,788		4,765	
		4,026		5,079
योग **Total**		61,026		33,943

अनुसूची - 12
SCHEDULE - 12
प्रावधान
PROVISIONS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	1 अप्रैल, 2007 की स्थिति As at 1st April, 2007	संवर्धन Additions	राइट बैक Write Back	उपयोग Utilization	31 मार्च, 2008 की स्थिति As at 31st March, 2008
		वर्ष के दौरान During the year			
सृजित: **Created:**					
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend	16,833	10,800	—	16,833	10,800
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend	2,861	1,835	—	2,861	1,835
आयकर Income Tax	13,846	10,024	—	—	23,870
फ्रिंज लाभ कर Fringe Benefit Tax	207	132	—	—	339
संपत्ति कर Wealth Tax	1	1	—	1	1
वेतन पुनर्निधारण* Wage Revision*	—	1,794	—	—	1,794
एक्स ग्रेशिया Exgratia	—	300	—	—	300
सेवानिवृत्ति लाभ Retirement Benefits	1,626	293	—	203	1,716
टैरिफ समायोजन Tariff Adjustment	—	6,456	—	—	6,456
अन्य Others	—	44	—	—	44
योग **Total**	**35,374**	**31,679**	—	**19,898**	**47,155**
गत वर्ष **Previous Year**	**29,495**	**29,671**	**852**	**22,940**	**35,374**

*पिछले वर्ष वेतन पुनर्निर्धारण के लिए 213 लाख रुपए की राशि देयताओं (अनुसूची-11) के अंतर्गत दर्शाई गई थी।
*Provision for Wage Revision amounting to Rs.213 Lakh was shown under liabilities (Schedule-11) during previous year.

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13
बिक्री
SALES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007
बिजली की बिक्री Energy Sales	138,622	148,257
गैर-अनुसूचित आंतरिक परिवर्तन प्रभार (यूआई) UI Charges	3,137	2,805
लाभग्राहियों से विनिमय दर में भिन्नता की वसूली योग्य राशि Exchange Rate Variation recoverable from beneficiaries	254	580
लाभग्राहियों से वसूली योग्य कर की राशि Tax recoverable from beneficiaries	8,413	9,329
योग **Total**	**150,426**	**160,971**

अनुसूची - 14
SCHEDULE - 14
अन्य आय
OTHER INCOME

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
परामर्श कार्य **Consultancy Works**				
प्राप्तियाँ Receipts	158		—	
घटाएँ : व्यय Less: Expenditure (अनुसूची-15 से अंतरित) (Transferred from Schedule-15)	61		—	
		97		—
निम्न से ब्याज **Interest From:**				
बैंक (स्रोत पर कर कटौती रु.75143/- पिछले वर्ष रु. शून्य) Banks (Tax Deducted at Source Rs.75143/-, Previous year Rs. NIL)	7,513		4,316	
कर्मचारी Employees	54		52	
ठेकेदार Contractors	4		1	
अन्य Others	—		78	
		7,571		4,447
उपभोक्ताओं से विलंब से प्राप्त भुगतान पर सरचार्ज Surcharge on Late Payment from Customers		10		11
जनरेटरों से इंटर कनेक्शन सुविधा के अनुरक्षण से प्राप्ति Receipt of Maintenance of Inter Connection Facility from Generators		119		112
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Fixed Assets		11		2
कबाड़ की बिक्री Sale of Scrap		35		—
विविध आय Miscellaneous Income		239		168
मुनाफे के नुकसान के लिए बीमा कंपनियों से दावे Claim from Insurance Company for loss of profit		23,668		—
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव संबंधी समायोजन (जमा) Foreign Currency Fluctuation Adjustment (Credit)		1,437		—
योग **Total**		**33,187**		**4,740**

अनुसूची - 15
SCHEDULE - 15
बिजली उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्चे
GENERATION, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ **EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ Salaries,Wages, Allowances and Benefits	3,695		2,597	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों हेतु अंशदान Contribution to Provident and Other Funds	184		155	
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान Leave Salary and Pension Contribution	162		114	
कल्याण संबंधी खर्च Welfare Expenses	422		408	
		4,463		**3,274**
मरम्मत एवं अनुरक्षण **REPAIRS AND MAINTENANCE**				
सड़कें एवं भवन Roads and Buildings	497		217	
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	115		95	
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर Office Equipments & Furnitures	7		6	
सिविल कार्य Civil Works	492		945	
इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य Electro Mechanical Works	2,237		7,640	
वाहन Vehicles	304		322	
अन्य Others	85		66	
	3,737		9,291	
घटाएँ : बीमा कंपनियों से प्राप्त दावे Less: Claim Received from Insurance Companies	2,319		2,188	
		1,418		7,103
प्रशासन तथा अन्य व्यय **ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES**				
किराया Rent		**68**		41
बीमा Insurance		**1,764**		1,756
सुरक्षा संबंधी खर्च Security Expenses		**876**		504
विद्युत प्रभार Electricity Charges	532		442	
घटाएँ : कर्मचारियों एवं ठेकेदारों से वसूल की गई राशि Less: Recovered from Employees & Contractors	30		40	
		502		402
यात्रा एवं वाहन Travelling & Conveyance		**82**		96
प्रशिक्षण एवं भर्ती संबंधी व्यय Training and Recruitment Expenses	44		54	
घटाएँ : प्राप्त आवेदन फार्म की लागत Less: Cost of Application Forms Received	2		—	
		42		54
विधि संबंधी व्यय Legal Expenses		**43**		49
प्रोफेशनल एवं परामर्श संबंधी प्रभार Professional and Consultancy Charges		**22**		38
संचार व्यय Communication Expenses		**61**		77
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing & Stationery	41		52	
घटाएँ : निविदा दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त राशि Less: Receipts from Sale of Tenders	6		9	
		35		43

अनुसूची - 15
SCHEDULE - 15
बिजली उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्चे
GENERATION, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ende 31st March, 2007	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः Remuneration to Auditors:				
लेखा-परीक्षा शुल्क Audit Fees	3		3	
अन्य तौर पर In Other Capacity	1		3	
फुटकर खर्च Out of Pocket Expenses	1		—	
		5		6
विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement & Publicity		**88**		92
ईडीपी व्यय EDP Expenses		**22**		17
आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय Entertainment Expenses		**9**		12
ट्रांजिट कैंपों पर व्यय Expenses on Transit Camps		**12**		14
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ Books & Periodicals		**3**		3
दान Donations		—		2
सामाजिक कल्याण पर व्यय Social Welfare Expenses		**305**		104
बट्टाकृत भण्डारण Stores Written Off		—		1
अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालने/उनके निपटान पर हानि Loss on Disposal/Write off of Fixed Assets		**1**		4
बट्टाकृत उधार/अग्रिम Debts/ Advances Written Off		**1**		—
बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय Deferred Revenue Expenditure Written Off		**206**		104
आवाह क्षेत्र उपचार पर व्यय Expenditure on Catchment Area Treatment		**162**		—
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर व्यय Environment & Ecology Expenses		**49**		90
सुरक्षा व्यय Safety Expenses		**163**		69
विविध व्यय Miscellaneous Expenses		**50**		52
विनिमय दर में भिन्नता Exchange Rate Variation		**2**		6
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव समायोजन (नामे) Foreign Currency Fluctuation Adjustment (Debit)		**254**		—
योग **Total**		**10,708**		**14,013**
घटाएँ : परामर्श सेवाओं संबंधी व्यय Less: Expenditure on Consultancy Works (अनुसूची-14 में अंतरित) (Transferred to Schedule-14)		**61**		—
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Auditors (अनुसूची-19 में अंतरित) (Transferred to Schedule-19)		**4**		3
योग **Total**		**10,643**		**14,010**
मरम्मत एवं रखरखाव में सम्मिलित उपभोज्य भण्डारण, Stores Consumption Included in Repairs and Maintenance		**1,109**		3,414

अनुसूची - 16
SCHEDULE - 16
प्रावधान
PROVISIONS

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008	31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007
सृजित: **Created:**		
मध्यस्थता अवार्डों पर ब्याज Interest on Arbitration Awards	6382	—
परिसंपत्तियों को हुई क्षति Damages to Assets	44	—
भण्डारण/स्पयेर्स में कमी/अप्रचलन में Shortage/Obsolescence of Stores/Spares	2	25
योग **Total**	**6,428**	**25**
घटाएँ : रिट्टन बैक **Less: Written Back :**		
स्टोर एवं स्पेयर्स में कमी Shortage in Store & Spares	31	—
अचल परिसंपत्तियों में कमी Shortage of Fixed Assets	—	13
योग **Total**	31	13
शुद्ध **Net**	**6,397**	**12**

अनुसूची - 17
SCHEDULE - 17
ब्याज एवं वित्त प्रभार
INTEREST AND FINANCE CHARGES

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007
ब्याज **INTEREST**			
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) External Commercial Borrowings (ECBs)	1,791		2,394
सावधि ऋण Term Loans	16,704		21,304
विनियम अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन के रूप में लिया गया है। Exchange differences regarded as adjustment to interest cost	1,308	19,803	29
			23,727
वित्त प्रभार **FINANCE CHARGES**			
वित्त प्रभार Finance Charges	369		439
ग्राहकों को छूट Rebate to Customers	2,136		2,893
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (शुद्ध) Exchange Rate Variation (Net)	128	2,633	59
			3,391
योग **Total**		**22,436**	**27,118**

अनुसूची - 18
SCHEDULE - 18
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007
आय **INCOME**			
बिक्री Sales	(3,203)		159
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम का प्रावधान Provision for Advance Against Depreciation	(51,545)		—
रिट्टन बैक ब्याज Interest Written Back	(137)		—
अन्य Others	(13)		—
		(54,898)	159
व्यय **EXPENDITURE**			
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ Salaries, Wages, Allowances & Benefits	—		24
मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and Maintenance	1		(2,809)
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी Environment and Ecology	(489)		—
मूल्यह्रास Depreciation	(61)		(845)
अन्य Others	316		49
योग		(233)	(3,581)
Total		**54,665**	**(3,740)**
घटाएँ : निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (अनुसूची.19 में अंतरण) Less : Incidental Expenditure During Construction (Transferred to Schedule - 19)		(369)	33
योग **Total**		**55,034**	**(3,773)**

अनुसूची - 19
SCHEDULE - 19
निर्माण के दौरान आकस्मिक ब्याज
INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ **EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ Salaries, Wages, Allowances and Benefits	3,902		2,760	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों हेतु अंशदान Contribution to Provident and Other Funds	227		120	
छुट्टी, वेतन एवं पेंशन अंशदान Leave Salary and Pension Contribution	262		111	
कल्याण संबंधी खर्च Welfare Expenses	311		203	
		4,702		**3,194**
मरम्मत एवं अनुरक्षण **REPAIRS AND MAINTENANCE**				
सड़कें एवं भवन Roads and Buildings	42		31	
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	4		—	
कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर Office Equipments & Furnitures	7		2	
वाहन Vehicles	169		130	
अन्य Others	24		15	
		246		**178**
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय **ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES**				
किराया Rent		**157**		**43**
बीमा Insurance		**3**		**1**
सुरक्षा संबंधी व्यय Security Expenses		**91**		**75**
विद्युत प्रभार Electricity Charges		**46**		**20**
यात्रा एवं वाहन Travelling & Conveyance		**121**		**96**
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय Training and Recruitment Expenses		**74**		**25**
विधि संबंधी व्यय Legal Expenses		**3**		**1**
प्रोफेशनल एवं परामर्श संबंधी प्रभार Professional and Consultancy Charges		**53**		**2**
संचार व्यय Communication Expenses		**65**		**35**
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी Printing & Stationery	37		25	
घटाएँ : निविदा दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त राशि Less: Receipts from Sale of Tenders	1		2	
		36		**23**
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक Remuneration to Auditors (अनुसूची–15 से अंतरित) (Transferred from Schedule-15)		**4**		**3**
विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement & Publicity		**100**		**47**
ईडीपी व्यय EDP Expenses		**15**		**16**
आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय Entertainment Expenses		**10**		**6**
ट्रांजिट कैम्पों पर व्यय Expenses on Transit Camps		**40**		**24**
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ Books & Periodicals		**5**		**3**
सामाजिक कल्याण संबंधी व्यय				

अनुसूची - 19
SCHEDULE - 19
निर्माण के दौरान आकस्मिक ब्याज
INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2007	
Social Welfare Expenses		1		—
मूल्यह्रास Depreciation		327		48
अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते डालने/उनके निपटान पर हानि Loss on Disposal/Write off of Fixed Assets		2		—
बट्टाकृत उधार/अग्रिम Debts/ Advances Written Off		3		—
विनिमय दर में भिन्नता Exchange Rate Variation		(15)		—
कराधान के लिए प्रावधान (एफबीटी) Provision for Taxation (FBT)		68		42
अन्य Others		6		5
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी व्यय Environment & Ecology Expenses		1		551
विविध व्यय Miscellaneous Expenses		26		14
कुल व्यय **TOTAL EXPENSES**		6,190		4,452
ब्याज एवं वित्त प्रभार **INTEREST AND FINANCE CHARGES**		43		—
कुल आईईडीसी **TOTAL IEDC**		6,233		4,452
घटाएँ : प्राप्तियाँ एवं उगाहियाँ **LESS RECEIPTS AND RECOVERIES**				
निम्न से ब्याज Interest from:-				
बैंक Banks	—		10	
कर्मचारी Employees	6		6	
ठेकेदार Contractors	6		—	
	12		16	
विविध व्यय Miscellaneous Income	11		3	
योग **TOTAL**		23		19
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) **Prior Period Adjustments (Net)** (अनुसूची–18 से अंतरित) (Transferred from Schdule -18)		(369)		33
शुद्ध आईईडीसी (अनुसूची–6 में अंतरित) **NET IEDC** (Transferred to Schedule-6)		5,841		4,466

अनुसूची-20
Schedule – 20

लेखा संबंधी नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ संबंधित लेखों का एक भाग है।

क. लेखा संबंधी नीतियाँ

1.0 लेखा प्रणाली

1.1 वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अनुसार, जब अन्यथा न बताया गया हो, विवेकशीलता, संगतता और वस्तुगतता के मौलिक लेखागत सिद्धांतों के मुताबिक तैयार किए गए हैं।

1.2 वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में व्यक्त किए गए हैं और सभी मूल्यों, जब अन्यथा न बताया गया हो, को निकटतम लाख रुपए में दर्शाया गया है।

2.0 अनुपालन संबंधी वक्तव्य

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के मुताबिक तैयार किए गए हैं।

3.0 अचल परिसंपत्तियाँ

3.1 अचल परिसंपत्तियाँ संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी भी हानि को घटाकर मूल लागत में दर्शाई गई हैं। जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निबटान लंबित/विवादाधीन है, वहाँ उन्हें अंतिम निपटान के वर्ष में जरूरी समायोजन के अध्यधीन आकलित/अस्थायी आधार पर पूंजीगत किया गया है।

3.2 कंपनी से असंबंद्ध भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों में डाला गया है।

3.3 कंपनी की स्वामित्व रहित परिसंपत्तियों संबंधी पूंजीगत व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों/चल परिसंपत्तियों में एक विशिष्ट मद के रूप में डाला गया है।

3.4 भूमि संबंधी प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के तौर पर की गई अस्थायी अदायगियों को भूमि की लागत में डाला गया है।

3.5 क्षतिपूरक वनीकरण, भू-संरक्षण तथा पुनः वनीकरण के लिए वनभूमि के प्रति किए गए खर्च को ''प्रतिपूरक वन्यीकरण पर हुए अमूर्त परिसंपत्ति संबंधी व्यय'' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे उपयोग की संभावित अवधि में मूल्यह्रास के माध्यम से प्रो-राटा आधार पर प्रभारित किया गया है।

3.6 उन परिसंपत्तियों तथा प्रणालियों को जो एक से अधिक उत्पादन-इकाईयों के लिए समान रूप से लागू हैं, को इंजीनियरिंग के आकलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीगत किया गया है।

Accounting Policies & Notes forming part of Accounts

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 SYSTEM OF ACCOUNTING

1.1 The financial statements are prepared according to the historical cost convention on accrual basis and in line with the fundamental accounting principles of prudence, consistency and materiality except when otherwise stated.

1.2 The financial statements are reported in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakh except when otherwise stated.

2.0 STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements are prepared on the basis of generally accepted accounting principles in India and the provisions of Companies Act, 1956.

3.0 FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and any impairment in value. Where final settlement of bills with contractors is pending/under dispute, capitalization is done on estimated/provisional basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement.

3.2 Fixed Assets created on land not belonging to the Company are included under Fixed Assets.

3.3 Capital expenditure on assets not owned by the Company is reflected as a distinct item in Capital Work-in-Progress/Fixed Assets.

3.4 Payments made provisionally towards compensation and other expenses relatable to land are treated as cost of land.

3.5 Expenditure incurred for compensatory afforestation, soil conservation and re-forestation towards forest land is shown as "Intangible Assets-Expenditure on compensatory afforestation" and is amortized pro-rata through depreciation over the period of likely use.

3.6 Assets and systems common to more than one generating unit are capitalized on the basis of engineering estimates/assessments.

3.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपस्करों को बही मूल्य तथा शुद्ध उगाहनीय मूल्य से कम दर्शाया गया है।

4.0 **मशीनरी स्पेयर्स**

4.1 संयंत्र एवं मशीनरी के साथ या अनुवर्ती रूप से प्राप्त किए गए मशीनरी स्पेयर्स, जिन्हें नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने की संभावना नहीं है, को पूंजीगत कर संबंधित प्लांट एवं मशीनरी के जीवन काल तक पैरा 4.2 में यथा बताए गए के सिवाए उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

4.2 मशीनरी स्पेयर्स के डब्ल्यूडीवी का ह्रास ऐसे स्पेयर्स को इश्यू/खपत किए जाने वाले वर्ष में किया जाता है। इसी तरह वर्ष विशेष में प्राप्त एवं इश्यू किए गए ऐसे स्पेयर्स के मूल्य का उसी वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

5.0 **चल रहे पूंजीगत कार्य**

5.1 आपूर्ति-सह-उत्थापन ठेकों के संबंध में परियोजना स्थल/निर्माण भण्डार में प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों को चल रहे पूंजीगत कार्यों के रूप में माना जाता है।

5.2 ब्याज, निर्माण के दौरान प्रयुक्त अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास तथा कारपोरेट कार्यालय के व्यय सहित निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (शुद्ध) को निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय के रूप में किया जाता है तथा परियोजना की कमीशनिंग पर भूमि, अवसंरचना तथा क्रयित मदों को छोड़कर यह मुख्य परियोजना अचल परिसंपत्तियों में डाला जाता है।

5.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य माना जाता है और इन्हें परियोजना निर्माण कार्य पूरा होने पर परियोजना लागत के रूप में पूंजीगत किया जाता है।

5.4 "डिपॉजिट वर्क" के प्रति भुगतानों का लेखा–जोखा ठेकेदारों से प्राप्त एवं निगम द्वारा स्वीकृत खाता विवरणों के आधार पर किया जाता है। तथापि, इसके लिए जहाँ जरूरी समझा जाए, प्रावधान किया जाता है।

5.5 ठेके के संबंध में दावों के लिए मूल्य भिन्नता/विनिमय दरों में भिन्नता संबंधी भिन्नताओं को स्वीकृति के आधार पर परिकलित किया जाता है ।

6.0 **मूल्यह्रास एवं परिशोधन**

6.1 मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों के अनुसरण द्वारा स्ट्रेट लाईन मेथड से परिसंपत्तियों की लागत की 90% की हद तक प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए सीईआरसी के विनियमनों द्वारा दरें अधिसूचित न हों, मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान आयकर अधिनियम,1961 में विहित दरों के अनुरूप दरों पर स्ट्रेट लाईन तरीके से किया

3.7 Construction equipments declared surplus are shown at lower of book value and net realisable value.

4.0 **MACHINERY SPARES**

4.1 Machinery spares procured along with the Plant & Machinery or subsequently and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated fully over the residual useful life of the related plant and machinery except as stated as para 4.2.

4.2 WDV of Machinery Spares is fully depreciated in the year in which such spares are issued / consumed. Similarly value of such spares, procured & issued in a particular year is fully depreciated in that year itself.

5.0 **CAPITAL WORK-IN-PROGRESS**

5.1 In respect of supply-cum-erection contracts, the value of supplies received at site/construction store and accepted is treated as Capital Work-in-Progress.

5.2 Incidental Expenditure During Construction (Net) including interest, depreciation on fixed assets in use during construction and corporate office expenses are carried as part of Incidental Expenditure During Construction and allocated to major immovable project assets other than land, infrastructure and bought out items, on commissioning of the Project.

5.3 Expenditure on Survey and Investigation of the Projects is carried as capital work in progress and capitalized as cost of Project on completion of construction of the Project.

5.4 Expenditure against "Deposit Works" is accounted for on the basis of statement of account received from the concerned agency and acceptance by the Company. However, the provision is made wherever considered necessary.

5.5 Claims for price variation/exchange rate variation in case of contracts are accounted for on acceptance.

6.0 **DEPRECIATION AND AMORTISATION**

6.1 Depreciation is charged on straight-line method to the extent of 90% of the Cost of Asset following the rates notified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the purpose of fixation of tariff. In respect of assets, where rate has not been notified by regulations by the CERC, depreciation is provided on straight line method at the rates

जाता है (कंप्यूटरों एवं परिफॅरल संबंधी मामलों को छोड़कर, जहाँ इसे 25% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास किया जाता है)।

6.2 मूल्यह्रास परिसंपत्ति उपयोगार्थ उपलब्ध होने वाले महीने से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

6.3 अधिशेष/अप्रयुक्त घोषित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान इस प्रकार की घोषणा के महीने के अंत तक किया गया है।

6.4 रु.5000/– या इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ प्रापण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती हैं।

6.5 सॉफ्टवेयर संबंधी व्यय को "अमूर्त परिसंपत्ति" माना गया है, जिसका चार वर्ष में परिशोधन किया जाता है।

6.6 जहाँ कहीं भी मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों में विनिमय संबंधी उतार-चढ़ाव तथा ड्यूटी अथवा इसी तरह के अन्य कारणों की वजह से वर्ष के दौरान दीर्घकालीन दायित्वों की दृष्टि से बदलाव हुए हैं, वहाँ पर मूल्यह्रास की दर के आधार पर निश्चित की गई इस प्रकार की परिसंपत्तियों का आशोधित गैर-परिशोधित शेष संभावित रूप से पूरे अवशिष्ट जीवन हेतु मूल्यह्रास को सुनिश्चित किया गया है। मामलों के निबटारे की वजह से मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास पूर्व-प्रभाव रूप से प्रभारित किया जाता है।

6.7 नीति सं. 3.3 में संदर्भित पूंजीगत व्यय का परिशोधन, चार वर्षों में, उस वर्ष से जिनमें परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ हुआ तथा उसके बाद उस वर्ष से जिसमें संबंधित परिसंपत्तियाँ उपयोग हेतु उपलब्ध हुई, किया गया है। तथापि, प्रचालनाधीन परियोजना के मामले में ऐसे खर्चे, जो सामुदायिक विकास हेतु किए जाते हैं, उन्हें राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है।

6.8 लीजहोल्ड भूमि लीज की अवधि तक मूल्यह्रास किए जाने के जरिए यथानुपात परिशोधित की गई है।

6.9 निर्माण के दौरान बांध सहित आवाह क्षेत्र सुधार योजना (कैट) पर होने वाला व्यय पूंजीगत किया गया है। ओ.एण्ड एम. अवस्था के दौरान ऐसे व्यय को आस्थगित राजस्व माना गया है तथा उसके बाद उसे उस वर्ष से शुरू करके (जिस वर्ष इस प्रकार का व्यय किया गया है) चार वर्ष की अवधि में इसका परिशोधन किया गया है।

7.0 **पूंजी निवेश**

7.1 दीर्घावधि पूंजी निवेश का मूल्य लागत में से मूल्य में स्थायी कमी के लिए किए गए प्रावधान को घटाकर तय किया गया है।

7.2 वर्तमान पूंजी निवेश का मूल्य लागत से नीचे एवं उचित मूल्य पर तय किया गया है।

corresponding to the rates laid down under the Income Tax Act, 1961, except in case of computers and peripherals where it is depreciated @ 25% p.a.

6.2 Depreciation is provided on pro rata basis from the month in which the asset becomes available for use.

6.3 Depreciation on assets declared surplus/obsolete is provided till the end of the month in which such declaration is made.

6.4 Assets costing Rs. 5000/- or less are depreciated fully in the year of procurement.

6.5 Expenditure on software is recognized as 'Intangible Asset' and amortized fully over four years.

6.6 Where the cost of depreciable assets has undergone a change during the year due to increase/decrease in long term liability on account of exchange fluctuation, change in duties or similar factors, the revised unamortized balance of such assets is depreciated prospectively over the residual life. Depreciation on increase/decrease in the value of existing assets on account of settlement of disputes is charged retrospectively.

6.7 Capital Expenditure referred to in Policy No. 3.3 is amortized over a period of four years starting from the year in which the first unit of the project comes into commercial operation and thereafter from the year in which the relevant asset becomes available for use. However, such expenditure for community development in case of projects under operation is charged off to revenue.

6.8 Leasehold land is amortized pro-rata through depreciation over the period of lease.

6.9 Expenditure on Catchment Area Treatment (CAT) Plan during construction is capitalized along with dam. Such expenditure during O&M stage is charged to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

7.0 **INVESTMENTS**

7.1 Long Term Investments are valued at cost less provision for permanent diminution in value.

7.2 Current Investments are valued at lower of cost and fair value.

8.0 **संपत्ति सूची**

8.1 संपत्ति सूची का मूल्य भारित औसत आधार तथा शुद्ध उगाहनीय मूल्य पर निकली लागत से नीचे तय किया गया है।

8.2 वर्ष के दौरान जारी अबद्ध औजारों को उपभोज्य शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।

9.0 **विदेशी मुद्रा-कारोबार**

9.1 विदेशी मुद्रा कारोबार को प्रारंभिक चरण में सौदों की तिथि को लागू दरों पर रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा में दर्शित मौद्रिक मदों का तुलन-पत्र तिथि को लागू विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में पुनर्निर्धारण किया जाता है।

9.2 विनिमय अंतरों को (एएसआई–10 के साथ पठित एस-16 के अनुसार ऋणपरक लागत के प्रति समायोजन मानी गई हद को छोड़कर) आय या व्यय के रूप में माना गया है। तथापि, अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो से संबंधित अंतरों, जो 01.04.2004 से पहले हुए कारोबार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं (उन अंतरों के अतिरिक्त जिन्हें ऋणपरक लागत माना गया है), को अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यो की वर्तमान लागत में समायोजित किया गया है।

10.0 **ऋण लागत**

निर्माण/मरम्मत तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान अचल परिसंपत्तियों के प्रति ऋण लागतें पूंजीगत की गई हैं। अन्य ऋण लागतों को (उस अवधि में, जिसमें वे वास्तव में खर्च की गई हैं), व्यय के रूप में स्वीकृत किया गया है।

11.0 **आय**

11.1 ऊर्जा की बिक्री केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर की जाती है। विभिन्न विदेशी मुद्रा से जुड़े विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली/वापसी तथा सीईआरसी की अधिसूचना के अनुसार लाभग्राहियों से वसूल किए गए आयकर का वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर आकलन किया गया है।

11.2 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मापदण्डों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन का परिकलन किया जाता है।

11.3 ऋणों के पुनर्भुगतान की दृष्टि से मूल्यहास की एवज में लिए अग्रिम, जो टैरिफ का एक हिस्सा है, को विक्रय की राशि में से घटा दिया गया है तथा आस्थगित राजस्व के रूप में मानते हुए इसे आगे के वर्षो की बिक्री में सम्मिलित किया जाना है।

11.4 ऊर्जा की बिक्री हेतु विभिन्न कर्जदारों के द्वारा देरी से किए गए भुगतान/अतिदेय राशि पर लगने वाले सरचार्ज को, उसकी प्राप्ति होने पर ही उसका परिकलन किया जाता है।

8.0 **INVENTORIES**

8.1 Inventories are valued at the lower of cost arrived at on weighted average basis and net realizable value.

8.2 Loose tools issued during the year are charged to consumption.

9.0 **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

9.1 Foreign currency transactions are initially recorded at the rates of exchange ruling at the date of transaction. Monetary items denominated in foreign currency are restated at the year end at exchange rates prevailing on the Balance Sheet date.

9.2 Exchange differences, except to the extent considered as adjustment to borrowing cost as per AS-16 read with ASI-10, are recognized as income or expense. However, the differences relating to Fixed Assets/Capital Works-in-Progress arising out of transactions entered into prior to 01.04.2004 over & above those considered as borrowing cost are adjusted to the carrying cost of Fixed Assets/Capital Work-in-Progress.

10.0 **BORROWING COSTS**

Borrowing costs attributable to fixed assets during construction/renovation and modernization are capitalized. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

11.0 **INCOME**

11.1 Sale of energy is accounted for based on tariff approved by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Recovery/refund towards foreign currency variation in respect of foreign currency loans and recovery towards income tax from beneficiaries as per CERC notification is accounted for on year to year basis.

11.2 The incentives /disincentives are accounted for based on the norms notified/approved by the Central Electricity Regulatory Commission.

11.3 Advance against depreciation, forming part of tariff to facilitate repayment of loans, is reduced from sales and considered as deferred revenue to be included in the sales in subsequent years.

11.4 The surcharge on late payment/overdue sundry debtors for sale of energy is accounted for on receipt basis.

11.5 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा लिए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य ब्याज तथा ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विवादाधीन अन्य दावों को, इनकी प्राप्ति होने के पश्चात् ही इनका परिकलन किया जाता है।

11.6 परामर्शक सेवाओं से होने वाली आय को वास्तविक प्रगति/निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन अथवा लागत की प्रतिपूर्ति या संबंधित परामर्शक सेवाओं की शर्तो के अनुरूप प्रतिपूर्ति लागतों के आधार पर परिकलित किया जाता है।

12.0 **कारपोरेट कार्यालय के व्यय का आबंटन**

कारपोरेट कार्यालय के व्यय (व्यावसायिक एवं प्रणाली अनुचालन विभाग को छोड़कर, जो कि प्रत्यक्षतः प्रचालन यूनिट का हिस्सा है) निम्नवत् आबंटित हैं :–

क) करों,शुल्कों और ईआरवी तथा यूआई प्रभारों को छोड़कर, चालू इकाईयों पर वर्ष में बिजली की बिक्री की 1% की दर पर; तथा

ख) शेष व्यय को निर्माण एवं अन्वेषण परियोजनाओं में चल रहे पूंजीगत कार्यो के संबंध में वर्ष के दौरान अभिवृद्धि के अनुपात में किया गया है।

13.0 **कर्मचारी लाभ**

उपदान, छुट्टी के नकदीकरण, अवकाश यात्रा रियायत तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ संबंधी प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वर्षांत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं। भविष्य निधि संबंधी देयता का आकलन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

14.0 **विविध**

14.1 बीमा दावों की गणना बीमाकर्त्ता द्वारा इन दावों को प्राप्त/स्वीकार किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

14.2 रु.50000/– एवं इससे कम मूल्य की मदों के पूर्व प्रदत्त व्यय और पूर्व कालिक व्यय/आय को भुगतान/प्राप्ति वाले वर्ष में नेचुरल लेखा-शीर्ष में प्रभार्य किया जाता है।

14.3 कंपनी के विरूद्ध दावों की देयता कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने/मध्यस्थ द्वारा दिए गए अवार्ड की प्राप्ति पर मान्य होगी और शेष दावे को, ठेकेदार द्वारा विवादित/न माने जाने पर आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है। मध्यस्थता अवार्ड की अवस्था से पहले के दावे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए जाते हैं।

15.0 **आय पर कर**

आय पर कर आयकर अधिनियम,1961 के तहत कर योग्य आय के आधार पर तय किया जाता है। आयकर का संबंध, जिस सीमा तक मुख्य कार्यकलाप अर्थात् बिजली उत्पादन से है, उस सीमा तक तत्संबंधी दायित्व लाभग्राहियों पर डाला जाता है।

आस्थगित कर तुलन-पत्र की तिथि को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानूनों के आधार पर तय किया जाता है।

11.5 Interest recoverable on advances to contractors/suppliers and other claims from contractors/suppliers under dispute are accounted for on receipt/acceptance.

11.6 Income from consultancy services is accounted for on the basis of actual progress /technical assessment of work executed or costs reimbursable, in line with the terms of respective consultancy contracts.

12.0 **ALLOCATION OF CORPORATE OFFICE EXPENSES**

Corporate office expenses (other than the expenditure on Commercial & System Operation Department which is directly identified with the operating unit) are allocated as under:-

a) To the operating units @ 1% of sale of energy for the year (excluding taxes, duties, ERV and UI Charges)

b) The balance expenditure to construction and investigation projects in the ratio of accretion during the year to Capital Work in Progress.

13.0 **EMPLOYEE BENEFITS**

Provision for gratuity, leave encashment, leave travel concession and post retirement benefits is made on the basis of actuarial valuation at the end of financial year. Provident fund liability is accounted for on accrual basis.

14.0 **MISCELLANEOUS**

14.1 Insurance claims are accounted for in the year of receipt /acceptance by the insurer/certainty of realisation.

14.2 Prepaid and prior period expenses/income of items of Rs. 50,000/- and below are charged to natural heads of accounts in the year of payment/receipt.

14.3 Liability for claims against the Company is recognized on acceptance by the Company/ receipt of award by the Arbitrator and the balance claim, if disputed /contested by the contractor is shown as contingent liability. The claims prior to Arbitration award stage are disclosed as contingent liability.

15.0 **TAXES ON INCOME**

Taxes on income are determined on the basis of taxable income under the Income Tax Act, 1961. Income Tax is a pass-through to beneficiaries to the extent relatable to core activity i.e. Generation of electricity.

Deferred tax is recognized using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the balance sheet date.

12. ठेकेदारों के कुछ दावे तथा कंपनी के प्रतिदावे विवाद/निपटान की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हालांकि, लेखागत नीति सं. 14.3 के अनुसार देयता चिह्नित कर ली गई है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि ठेकेदारों को/से अंतिम रूप से कितनी राशि देय/उगाहनीय होगी। इस अनिश्चितता के रहते, आयकर संबंधी कटौतियाँ ठेकेदारों से अंतिम तौर पर निपटान हो जाने पर की जाएँगी।

13. कुछ मदों की अनुमोदित मात्राओं से अधिक निष्पादित मात्राओं और अतिरिक्त मदों पर हुए अस्थायी व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने तक चालू पूंजीगत कार्यों में डाला गया है।

14. अग्रिमों, जमा राशियों, कर्जदाताओं के तहत दिखाई गई अधिशेष राशि, मार्गस्थ सामग्री/तीसरे पक्षों के पास पड़ी सामग्री पुष्टिकरण, समाधान एवं परिणामतः समायोजन, यदि हो, के अध्यधीन है।

प्रबंधन के मतानुसार वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की सामान्य कारोबारी तरीके से वसूली करने पर मूल्य तुलन-पत्र में दिखाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

15. वर्ष के दौरान लेखा संबंधी नीतियों में हुए बदलावों एवं वर्ष के लेखे पर उनका असर निम्नवत् है :

लेखागत नीति सं.3.5

i. वन्य भूमि के संबंध में प्रतिपूरक वन्यीकरण, मृदा संरक्षण इत्यादि पर किए गए खर्च को "लीज होल्ड भूमि" के प्रति "अमूर्त परिसंपत्तियाँ – प्रतिपूरक वन्यीकरण पर खर्च" के रूप में दिखाया गया है। इसका लेखे पर कोई असर नहीं होगा।

लेखागत नीति सं.5.2

ii. निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय संबंधी प्रावधान साल-दर-साल आधार पर परियोजना कमीशन होने पर किया जाएगा। पिछले वर्ष इस तरह का कोई आबंटन नहीं हुआ था और लेखे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

iii. "डिपॉजिट कार्यों" के लिए दिए गए अग्रिमों के प्रति, यहाँ जरूरी समझा गया है, प्रावधान किया गया है, जो संबंधित एजेंसी से लेखागत विवरण की प्राप्ति के उपरांत व्यय को लेखागत किए जाने और कंपनी की स्वीकार्यता पर प्रभावी है। इसके फलस्वरूप लाभ में 209 लाख रुपए की कमी हुई है।

लेखागत नीति सं.6

iv. टैरिफ तय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों/आयकर अधिनियम,1961 के तहत तय दरों/पूर्व प्रभाव से कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची–XIV में उल्लिखित दरों के परिप्रेक्ष में उल्लिखित दरों का, एनजेएचपीएस के मामले में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से तथा निर्माणाधीन/अन्वेषणाधीन परियोजनाओं के मामले में

12. Some claims of the contractors and counter claims of the Company are under various stages of dispute/settlement. Although, the liability has been recognized in terms of Accounting Policy No. 14.3, there is no certainty about the amount which may become finally payable to/receivable from the contractors. In view of this uncertainty, deductions towards Income Tax shall be made on final settlement with the contractors.

13. Pending approval of the Competent Authority, provisional payments made towards executed quantities of some of the items beyond approved quantities as also for extra items, are included in Capital Works-in Progress.

14. Some of the balances shown under advances, deposits, creditors, material in transit/material lying with third parties are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustment, if any.

In the opinion of the management, the value of current assets, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.

15. The changes in Accounting Policies during the year and their impact on the accounts for the year are as under:

Accounting Policy No. 3.5

i. Expenditure on compensatory afforestation, soil conservation etc. towards forest land has been shown as 'Intangible Assets-Expenditure on compensatory afforestation' as against 'leasehold land'. This has no effect on the accounts.

Accounting Policy No. 5.2

ii. Allocation of Incidental Expenditure During Construction shall be made on commissioning of the Project as against on year to year basis. No such allocation was made during the previous year and as such there is no effect on the accounts.

iii. Provision has been made wherever considered necessary against advances given for 'Deposit Works' as against accounting of the expenditure on receipt of statement of the account from the concerned agencies and acceptance by the Company. This has resulted in decrease in profit by Rs. 209 lakh.

Accounting Policy No. 6

iv. Depreciation has been charged following the rates notified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for the purpose of fixation of tariff/at the rates laid down under the Income-Tax Act, 1961/specified rate as against at the rates specified in Schedule-XIV of the Companies Act, 1956 retrospectively, in case of NJHPS from the date of commercial operations and for

शुरूआत से मूल्यह्रासीकरण किया गया है। उक्त बदलावों का प्रभाव निम्नवत है :

(लाख रुपए में)

	वर्ष के लिए	संचयी
मूल्यह्रास में कमी	12730	63384
नेट ब्लॉक में वृद्धि	12730	63384
लाभ में वृद्धि	12750	63424
आईईडीसी में वृद्धि	20	40

v. ओ.एण्ड एम. अवस्था के दौरान आवाह क्षेत्र उपचार योजना पर हुआ खर्च ऐसा खर्च घटित होने वाले वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है तथा ऐसे व्यय को आस्थगित राजस्व तथा व्यय घटित होने वाले वर्ष से शुरू करके चार वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित माना गया है। परिणामतः इससे राजस्व में 229 लाख रुपए की कमी हुई है।

लेखागत नीति सं.9

vi. लेखा संबंधी नीति एएस–11, एसएसआई–10 के साथ पठित एएस–16 और कंपनी मामलों के विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बदली गई है तथा एएस–11 को अनुसूची–VI पर अधिमानता प्राप्त होगी। नोट सं.19 (ख) में संदर्भित लेखागत व्यवहार के मद्देनजर तद्नुरूप विदेशी मुद्रा दर संबंधी अंतर को पहले अचल परिसंपत्तियों के कैरिंग कॉस्ट के समायोजन के तौर पर ऋणगत लागत में समायोजित किया गया है। इससे लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेखागत नीति सं.13

vii. अवकाश यात्रा रियायत/सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ संबंधी प्रावधान वर्षान्त में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और यह व्यय सुविधा लिए जाने के पश्चात प्रभार्य होता है। इससे लाभ में कमी और प्रावधानों में 94 लाख रुपए वृद्धि होगी।

लेखागत नीति सं.14.2

viii. पूर्व प्रदत्त तथा पूर्व कालिक व्ययों/अदायगी/प्राप्ति वाले वर्ष के नेचुरल हैड में प्रभार्य आय की सीमा 5000/– रुपए से संशोधित करके 50,000/– रुपए कर दी गई है। इसका लाभप्रदता पर नगण्य प्रभाव होगा।

16. कर्मचारियों के रिहायशी उपयोग, कार्यालयों, अतिथिगृहों एवं ट्रांजिट कैंपों के लिए भवनों की प्रचालित लीजों के रूप में कंपनी ने महत्वपूर्ण लीजिंग प्रबन्ध किए हैं। ये अनिरस्तनीय प्रबन्ध सामान्यतः पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर आधारित पारस्परिक सहमति के अनुसार नवीनीकरण योग्य हैं। कर्मचारियों के रिहायशी भवनों संबंधी कर्मचारी वेतन एवं लाभों की अनुसूची में लीज अदायगी (वसूल रहित) के तौर पर 135 लाख रुपए (पिछले वर्ष 132 लाख रुपए) शामिल हैं। कार्यालय, अतिथिगृह एवं ट्रांजिट कैंपों संबंधी लीज अदायगियाँ उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय संबंधी अनुसूची में किराए/किराया प्रभारों के रूप में दर्शाई गई हैं।

construction/investigation projects since inception. The above change has resulted as under:

(Rs. in lakh)

	For the Year	Cumulative
Decrease in Depreciation	12730	63384
Increase in Net Block	12730	63384
Increase in Profit	12750	63424
Increase in IEDC	20	40

v. Expenditure on Catchment Area Treatment (CAT) Plan during O&M stage is charged to revenue in the year of incurrence of such expenditure as against treating the same as deferred revenue and amortization over a period of four years commencing from the year in which the expenditure was incurred. This has resulted in decrease in profit by Rs. 229 lakh.

Accounting Policy No.9

vi. The Accounting Policy has been changed in line with AS-11, AS-16 read with ASI-10 and Notification issued by the Department of Company Affairs that AS-11 will prevail over Schedule-VI. Accordingly, the Foreign Exchange Rate Variation has been adjusted towards borrowing cost as against adjustment to the carrying cost of Fixed Assets earlier in view of accounting practice referred to in Note-19(b), this has no impact on profit.

Accounting Policy No. 13

vii. Provision against leave travel concession/post retirement benefit is made on the basis of actuarial valuation at the end of the year as against charging the expenditure on availing the facility. This has resulted in decrease in profit and increase in provisions by Rs. 94 lakh.

Accounting Policy No. 14.2

viii. The limit of pre-paid and prior period expenses/income being charged to natural head of accounts in the year of payment/receipt has been revised from Rs. 5,000/- to Rs. 50,000/-. The impact of the same on the profitability is insignificant.

16. The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for residential use of employees, offices, guesthouses & transit camps. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable by mutual consent on mutually agreeable terms. The Schedule of Employees remuneration and benefits include Rs.135 lakh (Previous year Rs.132 lakh) towards lease payments, net of recoveries, in respect of premises for residential use of employee. Lease payments in respect of premises for offices, guest house & transit camps are shown as Rent / Hiring charges under Schedule of Generation, Administration and Other expenses.

अनुसूची–20
Schedule – 20

लेखा संबंधी नीतियाँ एवं टिप्पणियां संबंधित लेखों का एक भाग है।

ख. लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1.क. निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया है :

i. **पूंजीगत कार्य :**

रु.88414 (पिछले वर्ष रु.124878 लाख)

उक्त राशि में एनजेएचपीएस के संबंध में ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों की रु.83026 लाख (पिछले वर्ष रु.119283 लाख) की राशि शामिल है। विवाद समीक्षा मण्डलों (डीआरबी / अतिरिक्त विवाद समीक्षा मण्डलों (एडीआरबी) ने जहां कहीं भी राशि की संस्तुति की है, वह ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों की राशि से काफी कम है, जिसके कारण ब्याज तथा बढ़ोत्तरी से बनने वाले दावों को आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया गया है।

ii. **भू–क्षतिपूर्ति :**

रु. 2297 लाख (पिछले वर्ष रु. 2 लाख)

iii. **अन्य :**

रु. 35 लाख (पिछले वर्ष रु. 68 लाख)

ख. सेवा एवं अन्य ऐसे मामलों, जिनमें राशि का निर्धारण नहीं हो सकता, के संबंध में लंबित मसलों से संबंधित दावों को उक्त आकस्मिक देयताओं में शामिल नहीं किया गया है।

ग. आउटफ्लो का निर्धारण करना और प्रतिपूर्ति की कोई संभावना व्यवहारणीय नहीं है।

2. पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने वाले बकाया ठेकों, जिनके लिए प्रावधान नहीं रखा गया है, की आकलित राशि (अग्रिम राशियों सहित) रु. 87355 लाख (पिछले वर्ष रु. 85767 लाख) है।

3. भारत सरकार ने नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) के 8187.71 करोड़ रुपए राशि के संशोधित लागतगत आकलन (आरसीई–III) को अनुमोदित किया है। ठेकेदारों के दावों, जो विभिन्न अवस्थाओं में हैं, के निपटान के फलस्वरूप देय होने वाली राशि इसमें शामिल नहीं है। लागतगत अनुमान को और संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव यथा समय भारत सरकार के सम्मुख रखा जाएगा।

4. 1121 लाख रुपए राशि की (पिछले वर्ष 970 लाख रुपए) 14–71–20 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 10–56–53 हैक्टेयर) क्षेत्रफल वाली जमीन तथा 15 लाख रुपए (पिछले वर्ष 15 लाख रुपए) के सकल ब्लाक वाले भवनों की टाइटल डीडें / टाइटल अभी निष्पादित / पारित किए जाने हैं। पंजीकरण से संबंधित स्टांप ड्यूटी इत्यादि संबंधी व्यय घटित होने पर लेखागत किए जाँएगे।

01–12–71 हैक्टेयर पिछले वर्ष 00–09–50 हैक्टेयर जमीन अभी भी कंपनी के नाम की जानी है।

Accounting Policies & Notes forming part of Accounts

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. a. Claims against the Company not acknowledged as debt in respect of :

i. **Capital Works :**

Rs. 88414 lakh (Previous Year Rs. 124878 lakh)

The above includes Rs. 83026 lakh (Previous Year Rs. 119283 lakh) representing the amount of basic claims by the contractors of NJHPS. Since the amount, wherever recommended by the Dispute Review Boards (DRBs)/Additional Dispute Review Boards (ADRBs) are much less than the amount claimed by the contractors, the claims on account of interest and escalation have not been included in the contingent liability.

ii. **Land Compensation :**

Rs. 2297 lakh (Previous Year Rs 2 lakh)

iii. **Others :**

Rs. 35 lakh (Previous Year Rs. 68 lakh)

b. The above contingent liabilities do not include claims against pending cases in respect of service matters and others where the amount cannot be quantified.

c. It is not practicable to work out the outflow and possibilities of any reimbursement.

2. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account net of advances and not provided for Rs. 87355 lakh (Previous Year Rs. 85767 lakh).

3. The revised cost estimate (RCE–III) of Nathpa Jhakri Hydro Power Station (NJHPS) has been approved by the Govt. of India at Rs. 8187.71 crore. This does not include the amount which may become payable on settlement of claims of the contractors which are under various stages. The proposal for further revision of the Cost Estimate shall be submitted to the Govt. in due course.

4. Title deeds/ title in respect of land amounting to Rs. 1121 lakh (Previous Year Rs. 970 lakh) covering an area of 14-71-20 hectare (Previous Year 10-56-53 hectare) and buildings having Gross Block of Rs. 15 lakh (Previous Year Rs. 15 lakh) are yet to be executed/ passed. Expenses on stamp duty etc. relating to registration shall be accounted for as and when incurred.

Possession of land measuring 01-12-71 hectare (Previous Year 00-09-50 Hectare) is still to be handed over to the Company.

5. विभिन्न कर्जदारों एवं बिक्री में वित्तीय वर्ष के बाद उगाही गई रु. 9419 लाख (पिछले वर्ष रु. 10840 लाख) के बिलों की राशि शामिल है।

6. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति में यह प्रावधान है कि टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा मूल्यह्रास की यथा अधिसूचित दर लागू होगी। टैरिफ नीति के अनुसार सीईआरसी द्वारा मानदण्ड तय किया जाना लंबित रहने तक, मौजूदा टैरिफ मानदंडों के तहत अधिसूचित या लेखाकरण नीति में अंगीकृत दर मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए उचित मानी गई है।

7. वर्ष 2004–05 से 2008–09 के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी द्वारा संशोधित टैरिफ संबंधी याचिका के आधार पर अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया जाना लंबित होने तक वर्ष के दौरान बिक्री को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित अस्थायी दो हिस्से टैरिफ के आधार पर लेखागत किया गया है। तथापि, मूल्यह्रास तथा टैरिफ समायोजन के प्रति अग्रिम का प्रावधान उक्तानुसार दायर याचिका के आधार पर तत्संबंधी लेखागत कार्य-व्यवहार के मुताबिक किया गया है। क्षेत्रीय विद्युत खाते (आरईए) के निपटान के फलस्वरूप समायोजन, यदि हो, कभी भी ऐसा निपटान घटित होने पर किया जाएगा।

8. कंपनी को वर्ष 2005–06 के दौरान बाढ़ की वजह से मुनाफे के नुकसान तथा प्लांट एवं मशीनरी / अन्य निर्माण कार्यों को हुई क्षति के बीमा दावे के लिए तुलन-पत्र तिथि के उपरांत क्रमशः 23668 लाख एवं 2119 लाख रुपए की राशियाँ प्राप्त हुई हैं। मुनाफे के नुकसान की एवज में प्राप्त हुई दावा राशि को अन्य आय में शामिल किया गया है। प्लांट एवं मशीनरी / अन्य निर्माण कार्यों की क्षति के उपरांत किए गए पुनर्रुद्धार कार्यों पर व्यय पिछले वर्ष करने एवं लेखागत किए जाने की वजह से दावों की प्राप्त हुई राशि मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी व्यय में डाली गई है।

9. कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित अवकाश वेतन / पेंशन अंशदान को उधारदाता संगठनों से प्राप्त हुई अस्थायी माँग के आधार पर अदा / प्रदान किया गया है। यदि कोई अंतर है तो उसे अंतिम माँग प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।

10. दूसरे संगठनों से एसजेवीएनएल में कार्यरत कर्मचारियों / कार्मिकों के लिए दिनांक 01-01-2006 / 01-01-2007 से संशोधित वेतनमान देय है। भारत सरकार द्वारा गठित छठे वेतन आयोग / दूसरी रिविजन समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान 1581 लाख रुपए (पिछले वर्ष 213 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया है।

11. रामपुर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान राहत एवं पुनर्वास (आर.एण्ड आर) संबंधी व्यय के लिए कंपनी द्वारा प्रावधित 5347 लाख रुपए राशि में से 2164 लाख रुपए अभी खर्च किए जाने हैं, जो प्रोद्भवन आधार पर लेखागत की जाएगी। कंपनी का मानना है कि उक्त अव्ययित राशि के लिए एएस–29 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान करना जरूरी नहीं है। तथापि, यह मामला आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के सुपुर्द किया गया है, जिनका निर्णय प्रतिक्षित है।

5. Sundry Debtors and Sales include an amount of Rs. 9419 lakh (Previous Year Rs. 10840 lakh) towards bills raised after the end of the financial year.

6. MOP has notified tariff policy which provides that rate of deprecation as notified by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) would be applicable for the purpose of tariff as well as accounting. Pending formalization of norms by CERC in accordance with the tariff policy, the rates notified under present Tariff norms and adopted in the Accounting Policy are considered appropriate for charging depreciation.

7. Pending issue of final tariff order based on revised tariff petition filed by the Company for fixation of tariff for the years 2004-05 to 2008-09, the sales for the year have been accounted for based on provisional two part tariff approved by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC). However, the provision for advance against depreciation and tariff adjustments has been made on the basis of tariff petition filed as aforesaid in line with the accounting practices in this regard. Adjustment, if any, on account of reconciliation of Regional Energy Account (REA) shall be carried out as and when such reconciliation takes place.

8. The Company has received insurance claims against loss of profit and damage to Plant & Machinery/other works due to floods during 2005-06 amounting to Rs. 23668 lakh and Rs. 2119 lakh respectively after the balance sheet date. The claim received against loss of profit is included in other income. Since expenditure on restoration for damages to Plant & Machinery/other works has been incurred and accounted for in earlier years, the claim received has been credited to repairs & maintenance expenditure.

9. Leave Salary/Pension Contribution in respect of employees on deputation has been paid/provided on the basis of provisional demand received from the lending organizations. The difference, if any will be adjusted on receipt of final demand.

10. Wage revision of the employees/personnel working in SJVNL from other organisations is due w.e.f. 01.01.2006/01.01.2007. Based on the recommendations of the 6th Pay Commission / 2nd Pay Revision Committee set up by the Govt. of India, a provision of Rs.1581 lakh (Previous Year Rs. 213 lakh) has been made during the year.

11. Against the Rehabilitation and Resettlement amount of Rs. 5347 lakh, approved by the Company for spending, over the construction period of RHEP, an amount of Rs. 2164 lakh is yet to be incurred, which shall be accounted for on accrual basis. Company is of the opinion that provisions of AS-29 do not require making of provision for the above unspent amount. However, the matter has been referred to the Expert Advisory Committee of ICAI whose opinion is awaited.

17. प्रबंधन का यह मानना है कि दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि संबंधी लेखापरक मानक (एएस)-28 के प्रावधानों के तहत परिसंपत्तियों की हानि का कोई मामला नहीं बनता।

18. **खण्डीय (सेगमेंट) रिपोर्टिंग:**

निगम का प्रमुख कार्य बिजली उत्पादन करना है। कंपनी के अन्य कार्यों जैसे परामर्श सेवाएँ प्रदान करना, बिजनेस का हिस्सा नहीं है। कंपनी के विद्युत उत्पादन केन्द्र/परियोजनाएँ देश के अंदर अवस्थित हैं, अतः भौगोलिक खण्ड अप्रयोज्य हैं।

19. **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयता**

मदवार विवरण निम्नवत् है.

रुपए लाख में

		31.03.2008	31.03.2007
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
i.	बही मूल्यहास तथा कर मूल्यहास का अंतर	(349)	17967
ii.	कर लाभ के लिए अस्वीकृत प्रावधान	126	87
	कुल	(223)	18054
	घटाएँ : आस्थगित कर देयता		
	बहियों तथा आयकर अधिनियम के अनुरूप विविध व्यय में अंतर (गैर बट्टाकृत सीमा तक)	–	71
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयता) (शुद्ध)	(223)	17983

19.क) **विदेशी मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव का वर्ष के दौरान प्रभाव निम्नवत है :-** रुपए लाख में

		वर्ष 2007-08 के लिए	वर्ष 2006-07 के लिए
i.	लाभ एवं हानि खाते में प्रभार्य राशि (मूल्यहासीकरण रहित)		
	– एफईआरवी	130	66
	– ऋणपरक लागत के रूप में	1308	–
ii.	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय में प्रभार्य राशि		
	– एफईआरवी	(15)	–
	– ऋणपरक लागत के रूप में	–	–
iii.	चालू पूंजीगत कार्यों में प्रभार्य राशि (एफईआरवी)	–	–
iv.	अचल परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में जोड़कर समायोजित राशि	–	2020
;v.	फारवर्ड एक्सचेंज संविदाओं संबंधी विनिमय अंतर की राशि	शून्य	शून्य

ख) ऋणों की रिस्टेटमेंट के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा दर संबंधी अंतर एएस-11 के मुताबिक प्रोद्भवन आधार पर लेखागत किया जाता है, हालांकि, सीईआरसी के मानदण्डों के मुताबिक यह राशि असल अदायगी आधार पर लाभग्राही

17. The Management is of the opinion that no case of impairment of assets exists under the provisions of Accounting Standard (AS) - 28 on impairment of assets as on 31.03.2008.

18. **Segment reporting:**

Electricity generation is the principal business activity of the Company. Other operations viz., consultancy services do not form a reportable business segment. The Company has power station/projects located within the country and therefore, geographical segments are not applicable.

19. **Deferred Tax Asset/Liability**

Item-wise details are as under:

Rs. in lakh

		31.03.2008	31.03.2007
	Deferred Tax Asset		
i)	Difference of Book Deprecation and Tax Depreciation	(349)	17967
ii)	Provision disallowed for tax purpose	126	87
	Total	(223)	18054
	Less: Deferred Tax Liability		
	Difference in Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off) as per books and Income Tax Act	-	71
	Deferred Tax Asset/ (Liability) (Net)	(223)	17983

19. a) **The effect of foreign exchange fluctuation during the year:** Rs. In lakh

		For the year 2007-08	For the year 2006-07
(i)	Amount charged to Profit and Loss Account excluding depreciation.		
	- As FERV	130	66
	- As Borrowing cost	1308	-
(ii)	Amount charged to Incidental Expenditure During Construction		
	- As FERV	(15)	-
	- As Borrowing cost	-	-
(iii)	Amount charged to Capital work-in-progress (as FERV)	-	-
(iv)	Amount adjusted by addition to carrying amount of fixed assets	-	2020
(v)	Amount of exchange difference in respect of forward exchange contracts	Nil	Nil

b) As per AS-11, Foreign Exchange Rate Variation on restatement of loans is accounted for on accrual basis but as per CERC norms, the same is recoverable through sale from beneficiary States

राज्यों से बिक्री के रूप में उगाहनीय है। राजस्व एवं व्यय संबंधी अनुरूपी संकल्पना के मुताबिक आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्शक समिति के मतानुसार आस्थगित चालू परिसंपत्तियों/आस्थगित चालू देयताओं संबंधी लेखापरक कार्य व्यवहार दिनांक 01.04.2004 इस तरह अंगीकृत किया गया है कि लाभ अप्रभावित रहे। पूर्व काल के जरिए (शुद्ध) इस लेखे में (चालू वर्ष संबंधी समायोजन के अतिरिक्त) समायोजन 2066 लाख रुपए (डेबिट) बनता है।

20. "कर्मचारियों हेतु लाभ" संबंधी एएस-15 के प्रावधानों के तहत विवरण चालू वर्ष के लिए दिनांक 31.03.2008 तक किए गए प्रोद्भूत मूल्यांकन का इस्तेमाल करके कर्मचारियों के लाभ संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए "कर्मचारी संबंधी लाभों" से संबंधित लेखागत मानक-15 के प्रावधानों के तहत तदनुसार विवरण निम्नवत है :-

on actual payment basis. As per matching concept of revenue and expenditure, accounting practice of Deferred Current Assets/Deferred Current Liabilities has been introduced as per the opinion of Expert Advisory Committee of ICAI w.e.f. 01.04.2004 such that there is no impact on the profit. The adjustment on this account (in addition to the current year adjustment) through prior period (net), works out to Rs. 2066 lakh (Debit).

20. Disclosure under the provisions of AS-15 on 'Employee Benefits' Provision for employee benefits have been made for the current period using the Actuarial Valuation done as at 31.03.2008. Accordingly, disclosure under the provision of Accounting Standard 15 on "Employee Benefits" for the Financial Year ended 31.03.2008 is given below:

सारणी 1 : निम्नलिखित तिथियों को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु मुख्य बीमांकिक अभिकल्पनाएँ :

विवरण	31.03.2008	31.03.2007
मर्त्यता सारणी	विधिवत् एलआईसी (1994-96) संशोधित	विधिवत एलआईसी (1994-96) संशोधित
छूट दर	8%	8.2%
भविष्य में वेतनगत वृद्धि	5.5%	9%

Table 1:- Key Actuarial assumption for Actuarial Valuation as at:

Particular	31.03.2008	31.03.2007
Mortality Table	LIC (1994-96) duly modified	LIC (1994-96) duly modified
Discount Rate	8%	8.2%
Future Salary Increase	5.5%	9%

सारणी 2 : देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)

(रुपए लाख में)

विवरण	ग्रेज्यूटि	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
वर्ष के शुरू मे पीवीओ	550	1040	585	..	..
ब्याजगत लागत	44	83	47	..	..
चालू सेवा लागत	85	146	61	..	..
प्रदत्त लाभ	(32)	(197)	(6)	..	..
बीमांकिक (लाभ)/हानि	107	(50)	(88)	..	..
वर्ष के अंत पर पीवीओ	754	1022	599	71	23

Table 2:- Change in Present Value of Obligations (PVO)

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling Concession	Baggage Allowance / Service Reward on Retirement
PVO at Beginning of Year	550	1040	585	—	—
Interest Cost	44	83	47	—	—
Current Service Cost	85	146	61	—	—
Benefit paid	(32)	(197)	(6)	—	—
Actuarial (Gain)/loss	107	(50)	(88)	—	—
PVO at end of year	754	1022	599	71	23

सारणी 3 : तुलन-पत्र में दर्ज राशि

(रुपए लाख में)

विवरण	ग्रेज्यूटि	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
वर्ष के अंत पर पीवीओ	754	1022	599	71	23
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	553	..	..	..	..
निधिपरक स्थिति	(553)	(1022)	(599)	(71)	(23)
अमान्यीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	..	..	..	..	..
तुलन–पत्र में मान्यीकृत शुद्ध देयता	201	1022	599	71	23

Table 3:- Amount Recognised in Balance Sheet

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling Concession	Baggage Allowance / Service Reward on Retirement
PVO at end of year	754	1022	599	71	23
Fair Value of Plan Assets at the end of year	553	–	–	–	–
Funded Status	(553)	(1022)	(599)	(71)	(23)
Unrecognized actuarial gain/loss	–	–	–	–	–
Net Liability recognized in Balance Sheet	201	1022	599	71	23

सारणी 4 : लाभ एवं हानि खाते/आईईडीसी खाते में दर्ज राशि

(रुपए लाख में)

विवरण	ग्रेज्यूटि	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना	अवकाश यात्रा रियायत	सामान भत्ता/सेवानिवृत्ति पर सेवा पुरस्कार
चालू सेवागत लागत	85	146	61	..	..
ब्याज लागत	44	83	47	..	..
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(35)	..	..	..	..
वर्ष के लिए दर्ज प्रोद्भवित शुद्ध (लाभ/हानि)	107	(50)	(89)	71	23
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/आईईडीसी में दर्ज व्यय	201	179	19	71	23

Table 4:- Amount recognized in Profit & Loss Account/IEDC Account

(Rs. in lakh)

Particular	Gratuity	Leave Encashment	Retired Employee Health Scheme	Leave Travelling Concession	Baggage Allowance / Service Reward on Retirement
Current Service Cost	85	146	61	__	__
Interest Cost	44	83	47	__	__
Expected return on Plan Assets	(35)	__	__	__	__
Net Actuarial (gain)/loss recognized for the year	107	(50)	(89)	71	23
Expense recognized in Profit & Loss/IEDC for the year	201	179	19	71	23

21. मात्रात्मक सूचना (रुपए लाख में)

क)	**विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च (नकद आधार पर)**	2007–08	2006–07
i)	परामर्श	283	835
ii)	वित्तीय प्रभार (ईसीबी)	5	5
iii)	विदेशी मुद्रा वाणिजयिक ऋण पर ब्याज (ईसीबी)	1868	2394
iv)	अन्य विविध मामले	205	.
ख)	**वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**	शून्य	शून्य
ग)	**सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य**		
;i)	पूंजीगत माल	521	1714
ii)	स्पेयर पार्ट्स	107	6069
घ)	उपयोग किए गए कंपोनेंट्स, स्टोर्स तथा स्पेयर पार्ट्स का मूल्य		
i)	आयातित	456 (41.11%)	2173 (63.65%)
ii)	स्वदेशी	653 (58.89%)	1241 (36.35%)
ड.)	**संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन संबंधी आंकड़े**	**(मिलियन यूनिट में)**	**(मिलियन यूनिट में)**
i)	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	1500	1500
iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	6448.977	6014.480
iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट) – (गृह राज्य को आबंटित निःशुल्क बिजली को निकालकर)	5619.097	5179.061

21. Quantitative Information:

(Rs. in lakh)

(A)	**Expenditure in foreign currency (cash basis)**	2007-08	2006-07
i)	Consultancy	283	835
ii)	Financing Charges (ECBs)	5	5
iii)	Interest on External Commercial Borrowings (ECBs)	1868	2394
iv)	Other Miscellaneous Matters	205	-
(B)	**Earnings in foreign currency (on cash basis)**	Nil	Nil
(C)	**Value of Import on CIF basis**		
i)	Capital Goods	521	1714
ii)	Spare Parts	107	6069
(D)	**Value of components, stores and spare parts consumed**		
i)	Imported	456 (41.11%)	2173 (63.65%)
ii)	Indigenous	653 (58.89%)	1241 (36.35%)
(E)	**Installed Capacity and Generation Data:**	**(In MUs)**	**(In MUs)**
i)	Licensed Capacity	Not applicable	Not applicable
ii)	Installed Capacity (MW)	1500	1500
iii)	Actual Generation (MUs)	6448.977	6014.480
iv)	Actual Sales (MUs) – (Net of free power to Home State)	5619.097	5179.061

22. **संबंधित पार्टी विवरण:**

क) संबंधित पार्टियाँ – प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक

श्री एच.के.शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.डी.प्रभाकर	निदेशक (विद्युत) – 31.10.2007 को सेवानिवृत्त
श्री जे.के.शर्मा	निदेशक (सिविल)
श्री आर.एस.कटोच	निदेशक (कार्मिक)
श्री के.के.गर्ग	निदेशक (वित्त), 07.05.2007 को कार्यभार ग्रहण
श्री आर.पी.सिह	निदेशक (विद्युत), 01.11.2007 को कार्यभार ग्रहण

ख) संबंधित पार्टियों के साथ किए गए संव्यवहारों का सारांश (संविदापरक दायित्वों/भुगतानों के अतिरिक्त) – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य) यद्यपि, रु.1 लाख मूल्य (पिछले वर्ष रु.1 लाख) की परिसंपत्तियाँ निगम की बाई-बैक योजना के तहत खरीद ली गई हैं।

22. **Related Party Disclosure:**

a) Related Parties – Key Management Personnel:

Shri H.K. Sharma	Chairman & Managing Director.
Shri R.D. Prabhakar	Director (Electrical) - superannuated on 31.10.2007
Shri J.K. Sharma	Director (Civil)
Shri R.S.Katoch	Director (Personnel)
Shri K.K.Garg	Director (Finance), Joined on 07.05.2007
Shri R.P. Singh	Director (Electrical), joined on 01.11.2007

b) Summary of transactions with related parties (other than for contractual obligations) - Nil. (Previous Year – Nil) However, assets amounting to Rs. 1 lakh (Previous Year Rs.1 lakh) have been purchased under Buy-back Scheme of the Company.

23. **प्रबंधन स्तर पर निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक** (समूह बीमा प्रीमियम की राशि को छोड़कर)

(रुपए लाख में)

		2007-08	2006-07
i)	वेतन और भत्ते	50	23
ii)	भविष्य निधि और परिवार पेंशन फण्ड के अंतर्गत अंशदान	4	2
iii)	उपदान	1	1
iv)	अन्य लाभ	5	5

सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक भी भुगतान कर निजी यात्रा सहित स्टॉफ कार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं।

23. **Managerial Remuneration to the Directors:**
(Excluding group insurance premium)

(Rs. in lakh)

		2007-08	2006-07
i)	Salaries and allowances	50	23
ii)	Contribution to provident fund and family pension fund.	4	2
iii)	Gratuity	1	1
iv)	Other benefits	5	5

Whole time Directors were also allowed the use of staff cars including for private journey on payment in accordance with stipulations of the Department of Public Enterprises.

24. **प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डायल्यूटिड)**
प्रति शेयर आय की गणना हेतु विचारित अनुबंध निम्नवत् है :–

	2007–08	2006–07
टैक्स उपरांत शुद्ध लाभ बतौर न्यूमरेटर प्रयुक्त (रु. लाख)	76451	73271
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या बतौर डिनॉमीनेटर प्रयुक्त	41088140	41088140
प्रति शेयर आय (रू.) बेसिक एवं डायल्यूटिड	186.07	178.33
प्रति शेयर फेस वैल्यू (रू.)	1000	1000

24. **Earnings Per Share (Basic and Diluted):**
The elements considered for calculation of earnings per share are as under:-

	2007-08	2006-07
Net Profit after Tax used as numerator (Rs. lakh)	76451	73271
Weighted Average number of equity shares used as denominator	41088140	41088140
Earnings Per Share (Rupees) (Basic & Diluted)	186.07	178.33
Face value per share (Rupees)	1000	1000

25. अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के भाग 22 के तहत यथापेक्षित विवरण निम्नवत है :–

(रुपए लाख में)

	31.03.2008
अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यमों को अप्रदत्त रही मूल राशि	शून्य
वर्ष के लिए अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यमों को वर्ष के अंत में अप्रदत्त रही राशि एवं प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
वर्ष के दौरान डिलीवरी/सेवाएँ प्रदान किए जाने की तिथि से 15 दिन से अधिक या सहमत हुए समय से अधिक के लिए मूल राशि के भुगतान के साथ प्रदत्त ब्याज राशि	शून्य
उक्त ब्याज के संबंध में चालू वर्ष के ब्याज सहित पिछले लेखा वर्ष से अग्रेनीत ब्याज राशि	शून्य

25. Disclosure as required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is as follows:-

Rs. in lakh

	31.03.2008
Principal amount remaining unpaid at the end of the year to Micro, Small & Medium enterprise	Nil
Interest accrued & remaining unpaid at the end of the year to Micro, Small & Medium enterprise for the current year.	Nil
Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery/rendering of services.	Nil
Amount of interest carried forward from last accounting year with interest for the current year on such interest	Nil

26. गत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए यथावश्यक पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रुपायित किया गया है।

26. Previous Year's figures have been re-grouped /re-arranged and recasted wherever necessary to conform to this year's classification.

27. आंकड़े निकटतम लाख रुपये में दर्शाए गए हैं।

27. Figures have been rounded off to the nearest lakh of rupees.

कृते आर. बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस. बंसल भागीदार एम. नं. 013000 R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008
Place : New Delhi
Date : July 29, 2008

दिनांक 31 मार्च, 2008 का कैश-फ्लो विवरण
CASH FLOW STATEMENT AS AT 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष की स्थिति For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च,2007 को समाप्त वर्ष की स्थिति For the year ended 31st March, 2007
क. परिचालनात्मक गतिविधियों से कैश-फ्लो A. **CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**			
कर, पिछले समायोजन एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ **Net Profit Before Tax, Prior Period adjustments and Extra Ordinary Items**	143,457		78,808
निम्नलिखित हेतु समायोजनः **Adjustment for:**			
टैरिफ समायोजन/मूल्यहास के प्रति अग्रिम Tariff Adjustment/Advance Against Depreciation	25,392		
मूल्यहास Depreciation	25,981		46,615
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार Interest & Finance Charges	22,436		27,118
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय Deferred Revenue Expenditure amortised	206		104
विनिमय दर में भिन्नता (उतार–चढ़ाव संबंधी समायोजन खाता) Exchange rate variation/Fluctuation adjustment account	(1,181)		(59)
उपभोक्ताओं को छूट Rebate to Customers	(2,136)		(2,893)
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) Prior Period Adjustments (net)	(3,203)		3,773
ऋण/बट्टे खाते डाले गए Debts/Stores written off	(1)		1
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि Loss on Sale of Assets	1		4
रिट्टन बैक प्रावधान Provisions written back	(31)		(13)
रिट्टन बैक मूल्यहास Depreciation written back	(50,693)		(845)
प्रावधान Provisions	6,433		25
आस्थगित राजस्व खर्च Deferred Revenue Expenditure	—		(68)
कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालनात्मक लाभ **Operating Profit before Working Capital Changes**		166,661	152,570
निम्नलिखित हेतु समायोजनः **Adjustment for:**			
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियां Trade and Other Receivables	2,473		46,751
सामग्री–सूची Inventories	508		384
व्यापारिक भुगतान तथा अन्य देयताएँ Trade Payables and Other Liabilities	27,083		1,212
प्रावधान Provisions	11,781		5,879
ऋण एवं अग्रिम Loans and Advances	(33,993)		(13,215)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ Other Current Assets	(933)		(1,936)
		6,919	39,075
परिचालन से अर्जित नकदी **Cash generated from operations**		**173,580**	**191,645**

दिनांक 31 मार्च, 2008 का कैश-फ्लो विवरण
CASH FLOW STATEMENT AS AT 31ST MARCH, 2008

(रुपए लाख में)
(Rs. in Lakh)

	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष की स्थिति For the year ended 31st March, 2008		31 मार्च,2007 को समाप्त वर्ष की स्थिति For the year ended 31st March, 2008
प्रदत्त कर Taxes paid		(12,039)	(9,343)
परिचालनात्मक गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद–क **Net Cash Flow from Operating Activities-A**		**161,541**	**182,302**
ख. **निवेशगत गतिविधियों से कैश फ्लो** B. **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**			
अचल परिसंपत्तियों एवं सीडब्ल्यूआईपी, पूंजीगत कार्यों के लिए अग्रिम तथा निर्माण भण्डारण/स्पेयर्स इत्यादि पर शुद्ध व्यय Net Expenditure on Fixed Assets & CWIP, Advance for Capital Works & Construction Stores/Spares etc.	(44,959)		(25,673)
निवेशगत गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी – ख **Net cash used in Investing Activities - B**		(44,959)	(25,673)
ग. **वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो** C. **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**			
दीर्घावधि ऋणों का पुनर्भुगतान Repayment of Long Term Borrowings	(57,356)		(57,912)
प्रदत्त ब्याज एवं वित्तीय प्रभार Interest & Finance Charges Paid	(20,172)		(24,166)
ऋणगत प्राप्तियाँ Proceeds from Borrowings	3,807		—
लाभांश Dividend	(30,433)		(22,610)
लाभांश पर कर Tax on Dividend	(5,172)		(3,171)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो – ग **Net Cash Flow from Financing Activities - C**		**(109,326)**	**(107,859)**
नकद तथा नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग) **Net Increase/Decrease in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		7,256	48,770
Cash and cash equivalents (Opening balance)		62,104	13,334
Cash and cash equivalents (Closing balance)		69,360	62,104

नोटः
1. नकद एवं नकद समतुल्य राशियों में हाथ रोकड़ एवं बैंक अधिशेष राशियाँ शामिल हैं।
2. पिछले वर्ष की रकमों को यथावश्यक पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्रूपायित किया गया है।

Notes:
1. Cash and cash equivalents consist of cash in hand and bank balances.
2. The Previous year's figures have been regrouped/re-arranged/re-casted wherever necessary.

कृते आर. बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस. बंसल भागीदार एम. नं. 013000 R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008
Place : New Delhi
Date : July 29, 2008

तुलन-पत्र का सारांश एवं कंपनी के व्यवसाय की सामान्य रूप-रेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण संबंधी विवरण
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration No.	राज्य कोड State Code	तुलन-पत्र की तिथि Balance Sheet Date
0 6 – 0 8 4 0 9	0 6	3 1 / 0 3 / 2 0 0 8

II. वर्ष के दौरान पूंजी राशि में बढ़ोत्तरी
Capital Raised During the Year — शून्य Nil

III. निधियों के संग्रहण एवं विस्तारण की स्थिति
Position of Mobilisation and Deployment of Funds
(राशि रुपए हजार में) (Amount in Rs. Thousands)

कुल देयताएँ Total Liabilities: 9 2 1 3 0 9 9 2	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets: 9 2 1 3 0 9 9 2

निधियों के स्रोत
Sources of Funds

प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital: 4 1 0 8 8 1 4 0	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves and Surplus: 1 2 9 7 5 8 6 9
प्रतिभूति प्राप्त ऋण Secured Loans: 1 7 1 0 9 3 1 2	प्रतिभूति रहित ऋण Unsecured Loans: 3 0 9 1 4 6 3

निधियों का विनियोग
Application of Funds

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ Net Fixed Assets: 7 3 2 7 4 6 2 0	सीडब्ल्यूआईपी,पूंजीगत कार्यों, निर्माण भण्डारण के लिए अग्रिम CWIP, Advances for Capital Works, Construction Stores: 3 2 3 1 8 3 5
निवेश Investments: 3	शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ Net Current Assets: 4 8 0 6 3 7 3
विविध खर्च Misc. Expenditure: शून्य NIL	संचित हानियाँ Accumulated Losses: शून्य NIL

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (राशि रुपए हजार में)
Performance of Company (Amount in Rs. Thousands)

टर्नओवर (अन्य आय सहित) Turnover(Including Other Income): 1 5 8 2 2 1 0 5	कुल खर्च Total Expenditure: 1 4 7 6 4 9 6
कर पूर्व लाभ/हानि Profit/Loss before tax: 8 8 4 2 1 6 8	कर पश्चात् लाभ/हानि Profit/Loss after tax: 7 6 4 5 0 6 3
प्रति शेयर आय रुपए में Earning per share in Rs.: 1 8 6 . 0 7	लाभांश दर % Dividend Rate %: 5 . 9 4

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के जातीय नाम हैं
1. विद्युत उत्पादन
2. परियोजनाओं का निर्माण
3. परामर्शी सेवाएँ

Generic Names of Three Principal Products/Services of Company
1. Generation of Electricity
2. Construction of Projects
3. Consultancy Services

कृते आर. बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
For R. Bansal & Co.
Chartered Accountants

आर.एस. बंसल भागीदार एम. नं. 013000 R.S. Bansal Partner M.No.013000	पी.एस.आर.मूर्ति कंपनी सचिव P.S.R.Murthy Company Secretary	के.के. गर्ग निदेशक (वित्त) K.K.Garg Director (Finance)	हेमंत कुमार शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक H.K. Sharma Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2008
Place : New Delhi
Date : July 29, 2008